खण्ड-331, अंक-10
बुधवार, 29 चैत्र, शक संवत् 1900
(19 अप्रैल, 1978 ई0)

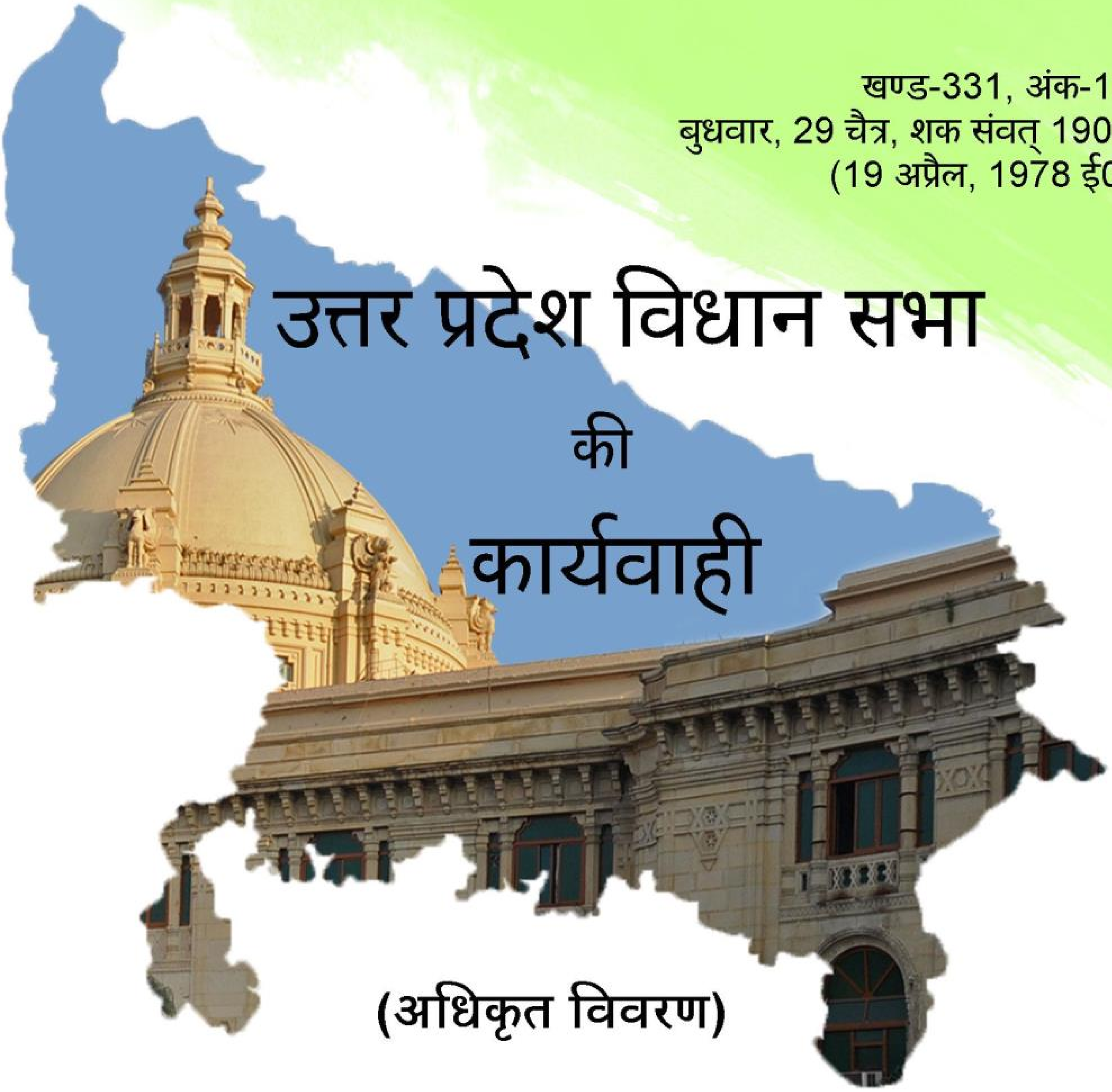

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
बुधवार, 19 अप्रैल, 1978	
उपस्थित सदस्य	1301–1304
प्रश्नोत्तर	1305–1357
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	1357–1358
बहराइच जिले के विकास खंड सिरसिया व हरिहरपुर रानी के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड से क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1358
जौनपुर में आरक्षण के मामले को लेकर निकाले गए छात्रों के जुलूस पर कथित लाठी चार्ज के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1359
बाराबंकी जनपद के किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य न मिलने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1359–1360
बहेड़ी स्थित गन्ना उत्पादक डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य पर प्राण-घातक हमला एवं कालेज खुलवाये जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1360
गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, कछला, बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1360–1361
छानवे ब्लाक, मिर्जापुर के अन्तर्गत रबी की खेती में कीड़ा लग जाने से नुकसान के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1361
अकबरपुर, फैजाबाद में स्थापित होने वाली किसान सहकारी चीनी मिल को आजमगढ़ में स्थानान्तरित किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1361–1362
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1976–77) (सदन के पटल पर रखा गया)	1362
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	1363
विविध विषय.. (जारी)	1363
दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही ..	1363–1366
दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को सदन से निकाले जाने के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद सिंह का स्पष्टीकरण ..	1366–136
लोक लेखा समिति (1977–78) के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	1367–1368

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१३६८–१३६९
प्रदेश के शीत गृह मालिकों द्वारा की गई अनियमितताओं से आलू उत्पादकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१३६९–१३७२
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना	१३७२
१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३७—सूचना तथा प्रचार तथा अनुदान संख्या ३९—हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण (स्वीकृत) ..	१३७२–१४२८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१४२८–१४२९
नस्थियां	१४३१–१४४१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३३३

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी,
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊधल, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काशीचरण, श्री
कासिम हसन श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल विलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आसिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ नन्हे बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द तिवारी, श्री
गुंजेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री

छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
श्याम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलवारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री

भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगलराम प्रेमी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्लूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नो लाल, श्री
मनू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकुन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताम अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर,
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल, वर्मा, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री

रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघवराम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री

रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोभन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहनवीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १९ अप्रैल, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

चीनी के मूल्य में कमी एवं चीनी की मिठाइयों का मूल्य

**१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खुले बाजार में चीनी की कीमत अप्रैल, सन् १९७८ में अधिक गिर गई है ? यदि हां, तो चीनी से तैयार होने वाली आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट लाने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री हरिश चन्द्र)—

जी हां, विगत कुछ महीनों से चीनी के मूल्य में उत्तरोत्तर कमी आई है ।

यद्यपि चीनी से तैयार होने वाली मिठाइयां गजक, रेउड़ी इत्यादि आवश्यक वस्तु की परिभाषा में नहीं आतीं और विधिक रूप से इनका मूल्य नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किन्तु जिला मजिस्ट्रेटों को यह निदेश भेज दिए गए हैं कि वे हलवाई संघों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उनसे आग्रह करें कि चीनी एवं वनस्पति के मूल्य में कमी को ध्यान में रखते हुए वे उनसे बनी हुई मिठाइयों एवं अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अनुपाततः कमी करें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कानून की दृष्टि से जिला मैजिस्ट्रेटों को जो आदेश भेजे हैं, वे हलवाइयों की सभा नहीं बुला सकते । एक्ज्यूक्यूटिव अधिकारी बुला सकते हैं । जिला मैजिस्ट्रेटों का कार्य न्यायिक है । तो पुनः आप जिला अधिकारियों को और परगना अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश भेजेंगे कि तुरन्त वे बैठक करवायें और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपने तर्क उपस्थित किया है । जिला मैजिस्ट्रेट के अधीन ही परगना अधिकारी होते हैं और उनकी जो शक्तियां हैं, वे उनको हस्तान्तरित होती हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जिला मैजिस्ट्रेट न्याय का काम देखता है उसकी वो हैसियत है...

श्री अध्यक्ष—

तर्क है । माननीय मंत्री जी आदेशों को क्रियान्वित करेंगे ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या इसको देखते हुए कि जो चीनी से तैयार होती हैं मिठाइयां और उसमें चाय भी शामिल कर ली जाय उसमें जब चीनी की कीमत बढ़ती है, तो इन चीजों की कीमत मनमाने हलवाई बढ़ा देते हैं लेकिन अब चीनी के दाम घटते हैं, तो इनके दाम घटाते नहीं हैं । तो इन बातों को देखते हुए कोई माननीय मंत्री जी ऐसी कार्यवाही करेंगे कि इन चीजों की कीमतों का अनुपात चीनी की कीमत के आधार पर रहे ।

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, . . .

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

आपको समय मिलेगा ।

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, यह आदेश पहले ही जिला अधिकारियों को भेज दिए गए हैं कि बीजों के गिरते हुए दाम को देखकर चाय के दामों में भी कमी कराई जाय कुछ जिलों से सूचनायें आई हैं, उनमें से एक जिला बिजनौर है, जिन्होंने . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी किसी जिले का नाम लेकर इतने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है । यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है । उसका उत्तर दे दें ।

श्री हरिशचन्द्र—

आदेश भेज दिए गए हैं कि चाय के दाम में भी कमी करायें । कुछ जिलों से सूचना आई है कि उन्होंने उन संघों की बैठक बुलाई थी, जिसमें निर्णय किया गया है पांच पैसा चाय के दाम में कम करने को । यह बिजनौर जिले का है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था कानून का, वह मंत्री जी को सुधारने के लिए किया था और कोई ऐसी बात नहीं है । जिला मैजिस्ट्रेट की जगह जिला अधिकारी को आदेश देते. . . .

श्री अध्यक्ष—

जिला अधिकारी को जिला मैजिस्ट्रेट कहते हैं । जिला मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी में कोई अंतर नहीं है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

बहुत अंतर है मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बैठक के बाद जिन जिलों में अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके लिए प्रभावकारी कदम उठाने के कौन से तरीके सोच रहे हैं ?

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, अभी जिन जिलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है बैठक करने के बाद उनमें उन लोगों ने दस प्रतिशत से लेकर १६ प्रतिशत तक मिठाइयों के दाम कम किये हैं । इसलिए यह मुझे आशा है कि अन्य जिले जहां से रिपोर्ट नहीं आई है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है । इसके बाद भी आज एक दूसरा रिमाइंडर जा रहा है जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि जो कार्यवाही की गई उसकी रिपोर्ट भेजें । यदि कोई जिला इसमें रह जायगा, तो जैसा निर्णय किया गया है, उसको लागू कराने का पूरा प्रयास किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

आज सब लोगों ने मीटिंग में यह तय किया है कि केवल ५ अनुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे। अगर सत्ता पक्ष का प्रश्न होगा, तो इस पक्ष के ४ अनुपूरक प्रश्न होंगे और विरोध पक्ष का एक होगा। अगर विरोध पक्ष का प्रश्न होगा, तो आप लोगों के तीन अनुपूरक प्रश्न होंगे और दो सत्ता पक्ष के।

एक सदस्य—

जब आदेश भेज दिए गए हैं, तो मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये आदेश कब भेजे गए ?

श्री हरिशचन्द्र—

११ अप्रैल, ७८ को।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

जो कीमत निर्धारित की जायगी क्या उस निर्धारित कीमत की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री हरिशचन्द्र—

जिलाधिकारी के साथ आपस की बैठक में जो निर्णय होगा, उसको उनको लागू करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर नहीं है। जो उल्लंघन करेगा, तो क्या उसे दंड दिया जायगा और आपने इसे एसेन्शियल सप्लाइज ऐक्ट में लिया है ?

श्री हरिशचन्द्र—

कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भूत पूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी का मेरठ सर्किट हाउस में ठहरने की जगह न देने की शिकायत

**२—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी व कांग्रेस आई० की अध्यक्षा को ३१ मार्च, ११७८ की रात को ठहरने के लिए मेरठ सरकिट हाउस में जगह नहीं दी गयी ? यदि हां, तो जगह न देने का क्या कारण है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी व कांग्रेस आई० की अध्यक्षा द्वारा मेरठ सर्किट हाउस में ३१ मार्च, १९७८ की रात्रि को ठहरने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी अतः सर्किट हाउस में उन्हें जगह न दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मन्जूर अहमद—

क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि २५-३-७८ को सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री दिवाकर ने दरखास्त दी थी और जिलाधिकारी ने कहा था कि पहले वह शासन से पूछ लें तब इजाजत देंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का कोई प्रार्थना-पत्र मिलने की सूचना नहीं है। आपने प्रश्न में केवल यह पूछा कि मेरठ सर्किट हाउस में जगह नहीं दी गयी श्रीमती इन्दिरा गांधी को। यह जानकारी मिली है कि किसी कांग्रेस (आई०) के वर्कर ने सिटी मैजिस्ट्रेट, मेरठ से जबानी तौर पर यह प्रार्थना की थी कि पूरा सर्किट हाउस उनके लिए सुरक्षित कर दिया जाय उस तारीख के लिए, तो उनको बतलाया गया कि पूरा सर्किट हाउस के आरक्षण करने के लिए राज्य सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी। एक सूट उपलब्ध है वह चाहें तो वह सूट उनको दिया जा सकता है।

श्री मन्जूर अहमद—

श्रीमन्, आप भी उस रोज स्वयं वहां ठहरे हुए थे। मैं यह जानना चाहूंगा क्या यह अपनी जगह सही है कि इससे पहले भी कानपुर में सर्किट हाउस और डाक बंगला नहीं दिया गया ? आप स्वयं ठहरे हुए थे। आप कहते हैं कि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया। उसके लिए मांग की गई मगर यह कह दिया गया कि हम शासन से पूछ लेते हैं। क्या शासन ने उसका उत्तर दिया या नहीं क्या इस बात को बतलायेंगे और आखिर में सर्किट हाउस नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, मैं समझा नहीं, आपसे इनका किससे मतलब है माननीय अध्यक्ष जी से या मुझसे ?

श्री अध्यक्ष—

आपसे मतलब है।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मुझ को तो याद नहीं है। जहां तक मुझे याद है मैं नहीं ठहरा। वैसे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी उसमें रुके हुए थे। सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसी कोई नियत शासन की होती कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को मना कर दें, तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को जगह दे दी गई। ऐसी कोई बात नहीं है। न इच्छा ही प्रकट की और न वहां वह रुकीं। जबानी एक आदमी ने बात कही थी। एक निवेदन मान्यवर, मैं और करना चाहता हूं कि यह बहुत छोटी-छोटी बातें हैं कि कानपुर में उनको जगह नहीं दी गई। यह आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह जहां जायेंगी देश भर में जगह दी जाती है। वैसे जो नियम आपने बनाये हैं, उसमें कहीं नहीं है। मगर हर जगह सर्किट हाउस और डाक बंगले देने के लिए हम तैयार हैं, और देंगे।

श्री उमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने रूल्स का हवाला दिया लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है सर्किट हाउस देने और डाक बंगले देने के लिए डाक्टर लोहिया ने भी पहल की थी और हाईकोर्ट से भी फैसला हुआ था। उसके बाद सरकार ने नियम वापस ले लिया था। कोई भी नागरिक, जो दरखास्त देता है ऐसे सार्वजनिक स्थानों के लिए उसमें कोई भी व्यक्ति ठहर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नियम, इसके विरुद्ध है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, मैनुअल, गवर्नमेंट आर्डर, मैनुअल सरकारी आदेश में जो फेहरिस्त है उसमें भूतपूर्व प्रधान मन्त्री या भूतपूर्व मुख्य मंत्री का कहीं हवाला नहीं है। इसमें राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, गवर्नमेंट के मेम्बर्स का है। फिर सिविल आफिसर्स की लिस्ट है और मिलिट्री आफिसर्स की लिस्ट है। सन् १९६१ में माननीय राज्यपाल का आदेश शासन से हुआ उसमें अंग्रेजी में शब्द 'एमीनेंट परसन' प्रमुख व्यक्ति दिया है। उसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री तो आती ह और डा० लोहिया भी आते थे। जगह उपलब्ध होगी, तो उसमें प्रायोरिटी है। अगर पूरा सर्किट हाउस आक्यूपाईड है तो उसे खाली कराकर दिया जायेगा ऐसा नहीं है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नियम जैसा उन्होंने बताया वह सर्किट हाउस के लिए है या निरीक्षण भवनों के लिए जो पी० डब्लू० डी० और सिंचाई विभाग के बंगले हैं, उनके लिए भी है ?

श्री अध्यक्ष--

वैद्य जी मंत्री जी उसका उत्तर दे चुके हैं, सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन और डाक बंगलों सब पर लागू होता है।

श्री विक्रमाराय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, इसे राजनीतिक इश्यू बनाकर कांग्रेस (आई) के लोग काफी प्रचार कर रहे हैं। कि सरकार के इस तरह के गुप्त आदेश हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि गवर्नमेंट के इस तरह के कोई निर्देश हैं कि डाक बंगलों आदि में जगह न दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि हर जगह सुविधा दी जायेगी।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, अभी तो दो ही प्रश्न हुए।

श्री अध्यक्ष--

तीन हो गये दो आपके और एक वैद्य जी का।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

धर्मदत्त जी का तो माना ही नहीं गया।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

माननीय मन्त्री जी, क्या इस बात की जांच करायेंगे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के आरक्षण के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अप्लीकेशन दी गई थी, वह दी गई थी या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

हमने जानकारी जिलाधीश से कल ही की है, यह जानकारी आई है कि कोई प्रार्थना-पत्र लिखित नहीं आया। अगर आपको जानकारी हो तो आप उस दरख्वास्त की नकल हमको दे दीजिए, तो हम और जानकारी उससे करा लेंगे।

बस्ती जिले के नौगढ़-लुम्बिनी मार्ग पर बेलार नदी के सड्डा घाट पुल पर आवागमन पर लगायी गई रोक

**३—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ लुम्बिनी मार्ग पर बेलार नदी पर जो सड्डा घाट का पुल पड़ता है पर पिछले चार रोज से सवारियों का आना-जाना विभाग द्वारा रोक दिया गया है जिसके कारण देश विदेश के जो पर्यटक लुम्बिनी जाते थे उनका आवागमन रुक गया है और उनको घोर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो आवागमन रोकने का क्या कारण है ? क्या सरकार उस मार्ग को अविलम्ब खुलवाने की व्यवस्था करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (मोहम्मद मसूद खां)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या मंत्री जी मेरे कथन को सूचना मानकर कि यह पुल इतना कमजोर हो गया है कि उस पर से बड़ी सवारियां नहीं जाती हैं, जब जाती हैं, तो अक्सर रोक दी जाती हैं और अगर जाने भी दी जाती हैं तो सवारियां इधर उतार कर उन्हें उधर चढ़ाया जाता है, उस पुल को बनवाने की कृपा करेंगे ताकि जनता को ऐसी तकलीफ न हो ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

यह पुल कमजोर अवश्य है और इसको ध्यान में रखकर पुल सैंक्शन हो चुका है और सम्बन्धित काम शुरू हो चुका है ।

श्री देवबहादुर सिंह—

पुल के निर्माण का काम कब से शुरू हो जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इस्टीमेट मांगा गया है, उसका कुछ रिवाइज्ड इस्टीमेट आने के बाद, मैं तारीख या महीना, तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है इस साल काम शुरू होने का अनुमान है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

इस्टीमेट कब मांगा गया है और पुल कमजोर होने की सूचना आपको कब मिली है कि इस पुल को खतरा है और इसके टूट कर गिर जाने से यात्रियों की जान का खतरा है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसकी निश्चित तारीख तो नहीं मालूम है कि रिवाइज्ड इस्टीमेट कब मांगा गया है, लेकिन यह मांगा गया है ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या यह सही है कि ७७-७८ के वित्तीय वर्ष में ही उस पुल को बनवाने की व्यवस्था की गई है, और वह पुल आज तक नहीं बना है ? यदि हां, तो कार्य न शुरू होने का कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह पुल सन् ७१ में संक्शन हुआ था, लेकिन जैसा पिछली सरकार का काम था संक्शन करते थे, काम नहीं करते थे, वैसा इसके साथ हुआ। अब ७७ में यह सरकार आई, तो ७१ के इस्टीमेट पर तो काम हो नहीं सकता था। इसलिए अब हम काम नया इस्टीमेट मांग कर शुरू करने जा रहे हैं।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

यह पुल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा और उस पर से सवारियां कब से आने जाने लगेंगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जैसा अभी हमने बताया, यह पुल हमने रखा है, लेकिन डिफनिट नहीं बता सकता कि कब से कार्य शुरू हो जायेगा, तो अब यह मैं कैसे बता सकता हूं कि कब तक वह तैयार हो जायेगा। बस इस साल हमारी योजना है।

काशी विद्यापीठ, वाराणसी को बन्द किये जाने का आदेश

**४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है तथा छात्रों को अविलम्ब छात्रावास खाली करने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

काशी विद्यापीठ के कुलपति ने छात्रों के उपद्रव पर दिनांक ५ अप्रैल, १९७८ की रात्रि में विद्यापीठ को अनिश्चित काल के लिए बन्द करने तथा छात्रावासों को खाली कराने का आदेश प्रसारित किया था। किन्तु दूसरे ही दिन प्रातः छात्रों के बिना शर्त क्षमा याचना करने पर यह आदेश वापस ले लिया गया और विद्यापीठ बन्द नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि छात्रों की मांगें क्या थीं और उन मांगों को बल प्रदान करने के लिए ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई थीं कि इस प्रकार का निर्णय लेकर कुलपति को विद्यापीठ को बन्द करना पड़ा और छात्रावासों को खाली कराना पड़ा ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, ११ मांगों का एक मांगपत्र छात्रों ने वहां के कुलपति को दिया था। इस मांगपत्र के साथ-साथ उन्होंने अपना कुलपति और कुलसचिव स्वतः नियुक्त कर दिया और साथ ही साथ वहां के कुलपति को यह बाध्य किया कि वह विद्यापीठ के परिसर से बाहर चले जायं। इस कारण से विद्यापीठ को बन्द करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और क्षमा याचना कर ली, तो विद्यापीठ खोल दी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बताएंगे कि जो उपद्रव का प्रश्न है, उसको छोड़ कर जो उनकी मांगें थीं, उनको स्वीकार करने की दृष्टि से क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री काली चरण---

श्रीमन्, अलग-अलग सूचना में माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं। जो पहली मांग थी, सांध्यकालीन कक्षाएं अविलम्ब प्रारम्भ की जायं, इस सम्बन्ध में विद्यापीठ का प्रस्ताव आया था, उसको शिक्षा विभाग ने अपनी सहमति से, वित्त विभाग को भेज दिया। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो गयी है और इसका आदेश विद्यापीठ को भेज दिया गया है। दुसरी मांग थी, आर्ट्स के बचे हुए विषयों की कक्षाएं अगले सत्र से प्रारम्भ की जायं। इस सम्बन्ध में विद्यापीठ से कोई प्रस्ताव शासन को नहीं प्राप्त हुआ, न विचार किया है, कुलपति ने क्या किया इसकी सूचना नहीं है। तीसरी मांग थी, रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत बिजिनेस एवं मैनेजमेन्ट होटल मैनेजमेन्ट के विषय खोले जायं। इस तरह का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विद्यापीठ की ओर से नहीं आया है। चौथी मांग थी, विद्यापीठ के विकास हेतु यह आवश्यक है कि परिसर में निवसित बाहरी व्यक्तियों को हटा कर अन्य स्थानों में बसाने की व्यवस्था की जाय। विद्यापीठ के बगल में, परिसर के भीतर ही कहा जा सकता है, बाहरी निजी व्यक्तियों के कुछ मकान हैं। इस सम्बन्ध में वहां के कुलपति प्रयत्नशील हैं कि शासन के सहयोग से उनको कोई और स्थान दे कर खाली करा लिया जाय। अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। जब तक बसाने की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती तब तक उनको वहां से हटाना बहुत उपयुक्त नहीं लगता। पांचवी मांग थी, काशी विद्यापीठ द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम में निभायी गयी भूमिका के कारण काशी विद्यापीठ को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाय। यह मांग एक तरह से स्पष्ट है कि उस विद्यापीठ को राष्ट्रीय कहा ही जाता रहा है। यदि अब वह कहने लायक नहीं रहा, तो उसकी मर्यादा वहां के लोग कायम करें जिससे यह हो सके। छठी मांग थी, वाराणसी मंडल के सभी महाविद्यालयों को विद्यापीठ से सम्बद्ध किया जाय। यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है। सातवीं मांग थी, काशी विद्यापीठ के बाहर गांजे, भांग एवं शराब के ठेके शीघ्र बन्द किये जांय। इस सम्बन्ध में जहां तक जानकारी है नये वर्ष में किसी ठेकेदार वगैरह को, या किसी दुकान के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है। आठवी मांग थी, छात्रावासों में परीक्षा के पूर्व मेस की व्यवस्था करायी जाय। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय जो कार्यवाही उचित समझेगा करेगा। नवीं मांग थी, विद्यापीठ में कार्यरत इंजीनियर, हेड बिजली मिस्त्री और लालता प्रसाद सिंह की अक्षमता एवं शिकायतों की कानूनी नोटिस के साथ अविलम्ब हटाया जाय। यह विश्व विद्यालय का अंतरंग विषय है। दसवीं मांग थी, सभा इत्यादि के लिये विद्यापीठ में एक बड़े प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जाय। इस सम्बन्ध में विद्यापीठ की ओर से शासन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं आया। ग्यारहवीं मांग थी, नवीन छात्रावास में बांउडरी वाल, नागपट्ट एवं शोधकक्ष में शौचालय एवं स्नान गृह का निर्माण कराया जाय। इस पर विश्वविद्यालय को कार्यवाही करनी है। यह उनकी मांगें हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन छात्रों ने उपकुलपति से माफी मांगी है, क्या वे किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हैं और वे कौन-कौन छात्र हैं।

श्री कालीचरण--

श्रीमन् छात्रों की सूचना और उनके दलों से सम्बन्ध होने की सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जिनके बारे में विद्यापीठ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है ऐसी मांगों जैसे आर्ट्स के विषय खोलना, तो क्या माननीय मंत्री जी विश्वविद्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके उनकी मांगों पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण—

माननीय सदस्य को यह ज्ञात होगा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था होता है और वह अपने कार्य परिषद के द्वारा प्रत्येक मसलों को हल करता है और उन पर निर्णय लेता है और जो प्रस्ताव उनका आता है शासन उन पर विचार करता है। शासन का कोई कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सिंचाई कार्य मण्डल, आजमगढ़ के अवर अभियन्ता श्री सईद अहमद सिद्दीकी की सेवा पुस्तिका एवं वेतन

*१—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल, आजमगढ़ के अन्तर्गत कितने ऐसे अवर अभियन्ता हैं जिनकी सेवा लगभग १८ साल से अधिक हो गई है परन्तु सेवा पुस्तिका पूर्ण न होने के कारण उन्हें न्यूनतम वेतन ही मिल रहा है ? यदि ऐसा है, तो उनकी पुस्तिका पूर्ण कराकर बकाया धनराशि देने की व्यवस्था कब तक करेंगे ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

सिंचाई कार्य मंडल, आजमगढ़ के अन्तर्गत ऐसा कोई अवर अभियन्ता नहीं है जिसकी सेवा १८ वर्ष से अधिक हो गई हो और सेवा पुस्तिका पूर्ण न होने के कारण उसे न्यूनतम् वेतन ही मिल रहा हो। किन्तु १७ वर्ष से कुछ अधिक सेवा वाले एक अवर अभियन्ता श्री सईद अहमद सिद्दीकी को उनकी सेवा पुस्तिका पूर्ण न होने के कारण उन्हें वेतन का न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। श्री सिद्दीकी की सेवा पुस्तिका पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है और उन्हें शीघ्रतिशीघ्र उनके बकाया का भुगतान कर दिया जायगा।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १७ वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी सेवा पुस्तिका नहीं बनी है और उसके प्रति कौन-कौन लोग जिम्मेवार हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

दिनांक १५-११-१९६० को श्री सिद्दीकी सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त हुए थे और दिनांक २०-१२-६१ के ३१-३-१९६५ तक नलकूप खण्ड गोरखपुर में कार्यरत रहे। इन्होंने पत्र लिखा कि मेरी सेवा पुस्तिका पूर्ण नहीं है। और उस पर आदेश दिए गये कि इसके कौन उत्तरदायी हैं और अधीक्षण अभियन्ता की १५ दिन के अन्दर आख्या मांगी गयी है और जो दोषी व्यक्ति होंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक तैयार कर दी जायगी ? बकाया वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इसमें ३ महीनें का कम के कम समय लगेगा ।

गेहूं का निर्धारित क्रय मूल्य

*२-श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)

क्या शासन के पास प्रदेश के किसानों की यह मांग आई है कि इस वर्ष रबी में गेहूं के प्रति कुन्टल दाम १२५ रु० दिए जायं ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो शासन ने गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न को रबी में खरीदने के लिए क्या मूल्य तय किए हैं ?

श्री हरिशचन्द्र--

जी नहीं, किन्तु किसानों की कथित मांग के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से गेहूं का इस वर्ष क्रय मूल्य १२५ रूपया प्रति क्विन्टल की दर से निर्धारित करने हेतु संस्तुति की गई थी । भारत सरकार ने गेहूं का क्रय मूल्य ११२·५० रु० प्रति क्विन्टल निर्धारित किया है । चने का समर्थन मूल्य १२५ रु० प्रति क्विन्टल भारत सरकार द्वारा बोआई के समय ही घोषित कर दिया गया था ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह किसानों की स्थिति के सम्बन्ध में है । १२५ रु० का कीमत के लिए रेकमेंड किया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गुजरात सरकार ने १२० रु० मूल्य निर्धारित कर दिया है उसी तरह से यह सरकार भी इस रेट को बढ़ाने की कोई चेष्टा करेगी ?

श्री हरिशचन्द्र--

मान्यवर, इस मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के हाथ में है । माननीय सदस्यों की भावना को देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से १२५ रुपया प्रति क्विन्टल की संस्तुति की गयी थी । केन्द्रीय सरकार ने ११२·५० रुपया निर्धारित किया है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह नहीं था । प्रश्न यह था कि गुजरात की सरकार ने १२० रुपया प्रति क्विन्टल के रेट पर खरीदना निश्चित किया है, तो क्या आपकी सरकार इस रेट पर खरीदेगी, इसका उत्तर उन्होंने मांगा था । संस्तुति तो आपने कर दी, लेकिन क्या आपकी सरकार इसी रेट पर खरीदेगी ?

श्री हरिशचन्द्र--

जो मूल्य केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित किया है, उसी मूल्य पर खरीदा जा रहा है और खरीदा जायगा ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

उत्तर प्रदेश ने जो आंकड़े लगाये हैं, उन्होंने स्वयं ही यहां पर वक्तव्य दिया था कि गेहूं की लगात मूल्य ११३ रुपये प्रति क्विन्टल आती है और उसमें १० प्रतिशत मुनाफा यदि लगा दिया जाय, तो यह १२३-१२४ रुपया आता है, जो यहां पर किसानों को मिलना चाहिए। अगर ११२·५० रुपये प्रति क्विन्टल किसानों को दिया जाता है, तो मूल्य लागत से भी कम आता है, ऐसा क्यों ?

श्री हरिशचन्द्र--

मैंने ११३ रुपया लागत मूल्य के बाद एक शब्द और कहा था कि कृषि विभाग की रिपोर्ट में ११३ रुपये प्रति क्विन्टल लागत मूल्य है किन्तु केन्द्रीय सरकार के सामने जो रिपोर्ट है, उसमें विभिन्न आंकड़े ९० रु० प्रति क्विन्टल से लेकर ११३ रुपये प्रति क्विन्टल लागत मूल्य के विभिन्न स्रोतों से आये हैं। इसमें १० प्रतिशत जोड़ कर मूल्य ९९ रुपये प्रति क्विन्टल से १२५ प्रति क्विन्टल तक आता है। मैं इस सम्बन्ध में एक और सूचना देना चाहता हूं और वह यह है कि जो पैरिटी प्राइस है, उसमें और जो सपोर्ट प्राइस है उसमें कुछ अन्तर रहता है ७५·९० प्रतिशत तक। उसके बाद जो पैरिटी प्राइस निकलती है आधार मूल्य अपान १०० इन टू मूल्य जो किसान देता है। उसके अनुसार ७०-७१...

श्री श्याम धर मिश्र--

यह कहां पूछा है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने उसकी लागत मूल्य सिर्फ ११३ रुपये बतलाई और उस पर १० प्रतिशत का मुनाफा लगाया। आपका कथन है कि आपने सदन में एक वक्तव्य दिया था कि १२५ रुपये मूल्य होना चाहिए, तो क्या ११३ रुपये में किसान को हानि नहीं होगी ?

श्री हरिशचन्द्र--

मान्यवर, मैंने तो उत्तर दे दिया कि जो कृषि विभाग से मुझे आंकड़े मिले थे, उनके आधार पर संस्तुति की थी। केन्द्र के पास दूसरे भी आंकड़े होंगे, जहां पर ९० रु० ११३ रु० प्रति क्विन्टल उत्पादन मूल्य आता है। उनको आधार मानकर मूल्य निर्धारित किया गया है। उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया था, लेकिन स्थिति को स्पष्ट करने के लिये मैं ब्योरे में जा रहा था।

श्री हर गोविन्द सिंह (जिला मुरादाबाद)--

मेरा निवेदन है कि जब ११३ रुपये प्रति क्विन्टल उनके प्रदेश के आंकड़े हैं, दूसरे प्रदेशों में ९० रुपये से भी कम लागत भले ही आती हो उन्हें तो अपने प्रदेश के आंकड़ों पर ही ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे प्रदेशों में ऊसर और बंजर भूमि हो जहां पर गेहूं में लागत ही न लगती हो लेकिन उत्तर प्रदेश तो एक प्रगतिशील सूबा है...

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न तो पूछिए ?

श्री हर गोविन्द सिंह--

मेरा प्रश्न यह है कि यह सरकार केन्द्र की ओर ही क्यों जाती है, अपने प्रदेश के जो खेती के आंकड़े हैं, उनकी ओर इसका ध्यान क्यों नहीं गया ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि आप अपने प्रदेश के आंकड़ों की ओर क्यों नहीं देखते हैं ?

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, कानपुर कृषि कालेज में ७६ रुपया प्रति क्विन्टल उत्पादन लागत आती है । इसलिए वह दूसरे प्रदेशों की बात नहीं है । उत्तर प्रदेश में ही पन्तनगर के कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के कृषि विद्यालय के ये विभिन्न आंकड़े हैं । इसलिए मैंने कहा कि इतने से लेकर इतने तक विभिन्न उत्पादन व्यय आता है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

जब उत्तर प्रदेश सरकार ने १२५ रुपया मूल्य दिलवाने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा, तो उसमें यह बतलाया कि ११३ रु० कम से कम लागत गेहूं की है । तो जब केन्द्रीय सरकार ने ११२·०५ रुपये तय कर दिया, तो जो किसान का घाटा है, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से कुछ मूल्य में वृद्धि कर के किसानों को देगी ?

श्री अध्यक्ष—

केन्द्रीय सरकार ने तो यह मूल्य रखा तो किसान को जो नुकसान है, उसकी पूर्ति आप करेंगे ?

श्री हरिशचन्द्र—

किसान का इसमें कोई नुकसान नहीं है, मान्यवर । उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि मेरे पास पिछले वर्षों का एक आंकड़ा है । मैं चाहूंगा कि इसे भी शान्ति से सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आप पारसाल के आंकड़ों में मत जाइये । आपने उत्तर दे दिया कि हानि नहीं रहेगी ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय खाद्य मन्त्री जी ने पिछले दिनों में भी अध्ययन किया होगा । जब कानपुर का उन्होंने जिक्र किया और कृषि विभाग की बात आपने मान ली कि ११३ रुपया लागत है, तो क्या आज मूल्य देने से कतरा नहीं रहे हैं ? क्यों नहीं किसान को फायदा देने के लिए १२५ रुपये दे रहे हैं, जिसको कि रिकमेंड किया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं है, दलील है ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, हाउस में किसान हितकारी जो गवर्नमेन्ट है उसने ऐलान किया है कि ११२·५० रुपया कम नहीं है और खुद उनके आंकड़े बताते हैं कि ११३ उपज के रेट हैं, तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई और तरीके अपनायेगी ताकि गांव की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके ? उसके लिए क्या-क्या पालिसी होगी ? क्या सीमेंट, खाद में सब्सिडी देने का विचार उनके सामने है ?

श्री अध्यक्ष--

अजीत सिंह जो इससे उत्पन्न नहीं होता है । इजाजत नहीं दूंगा ।

बाराबंकी जिले के बेसिक कन्या पाठशाला ओबरी (बंकी) की प्रधानाध्यापिका, श्रीमती हुसैनी बेगम का प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३-श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई) तथा श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतावेंगे कि दिनांक १५ मार्च, १९७८ को जनपद बाराबंकी के बेसिक कन्या पाठशाला ओबरी (बंकी) की प्रधानाध्यापिका को प्रति उप विद्यालय निरीक्षक (श्री पाठक) ने बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय के कमरे में बन्द कर अमानवीय एवं अभद्र व्यवहार किया और उनके पास जो धन था वह भी छीन लिया ? क्या शिक्षा मन्त्री, माननीय उप शिक्षा मन्त्री, शिक्षा निदेशक, जिलधिकारी, बाराबंकी को इस घटना के सम्बन्ध में दिनांक १६ मार्च, १९७८ से २२ मार्च, १९७८ में शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है और तत्काल क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं । वास्तविकता यह है कि दिनांक १४-३-७८ को अध्यापकों को वेतन और सी० डी० एस० का धन वितरित करते समय प्रसंगत प्रधानाध्यापिका श्रीमती हुसैनी बेगम को त्रुटिवश २९० ३० रु० का अधिक भुगतान कर दिया गया । छानबीन करने से इस भूल की जानकारी होने पर श्रीमती हुसेनी बेगम को दिनांक १५-३-७८ को उक्त गलत भुगतान के सम्बन्ध में कार्यालय बुलाया गया और उन्होंने श्री पाठक, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को स्वयं उपर्युक्त धनराशि वापस कर दी ।

प्रसंगत प्रकरण में श्रीमती हुसैनी बेगम का शिकायती पत्र प्राप्त होने पर जिलाधिकारी, बाराबंकी एवं शिक्षा निदेशालय द्वारा कथित घटना की जांच करायी गई, जिसमें आरोप तथ्यहीन पाये गये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि श्रीमती हुसैनी बेगम को वेतनावली पर कितना रुपया दिया गया और कितनी धनराशि उनको दी गयी, जिस पर उनके हस्ताक्षर लिए ? यह २९० रुपया ३० पैसा अधिक देने की बात कही गयी है, उसका क्या तात्पर्य है ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, जिस दिन यह वेतन वितरित होना था उस दिन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, श्री माथुर छुट्टी पर थे, इसलिए श्री पाठक ने ही कुछ अन्य की सहायता से, वेतन वितरित किया। जिस-जिस को जितना दिया जाया था, उनका हिसाब अलग-अलग रखा जाता था, श्रीमती हुसैनी बेगम को कुल दिया जाता था ११५४·३० रुपये, पर उनको दिये गये१,४४४·६० रुपये इस प्रकार २९०·३० रुपये उनको अधिक भुगतान गलती से हो गये। जब यह रुपया अंत में घटा और जो लिखा हुआ था उससे हिसाब मिलाया तो पता चला कि इनको अधिक दे दिया गया है। अतः यह रुपया उनसे वापस लिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा--

वेतन का कितना रुपया था और सी० डी० एस० का कितना रुपया था ?

श्री काली चरण—

इसकी अलग-अलग सूचना नहीं है।

श्री गौरीशंकर भैय्या (जिला बलिया)—

उक्त महिला ने श्री पाठक के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप लगाये हैं ?

श्री काली चरण—

यह आरोप तो प्रश्न में ही दिये हैं कि कमरे में बन्द करके जबरदस्ती रुपया छीन लिया।

श्री अध्यक्ष—

यह भी है कि अभद्र व्यवहार किया।

श्री रियासत हुसैन—

जो दरखास्त दी है, उसमें क्या आरोप हैं और जांच किसने की है ?

श्री काली चरण—

उन्होंने अलग-अलग अधिकारियों को अलग-अलग आरोपों के संबंध में दरखास्तें दी हैं। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी जिसमें रुपया छीन लेन की बात कही है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा है कि कमरे में बन्द करके रुपया छीना। दूसरी दरख स्त जिलाधिकारी को दी जिसमें लिखा है कि कमरे में बन्द करके श्री पाठक ने हमसे इतना रुपया छीन लिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि १०-१० रुपये के ३० नोट थे, जिसमें १० का एक नोट वापस कर दिया। फिर एक जगह उन्होंने कहा है कि १६०·६५ रुपये मेरे पास थे। पहले वाले में कहा कि ३०० रुपये के नोट थे। इसकी जांच जिलाधिकारी, शिक्षा सहायक निदेशक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) ने की है। इनके आरोप सही नहीं पाये गय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

जिन ३ अधिकारियों ने अलग-अलग जांच की उन्होंने क्या संबंधित प्रधानाध्यापिका का भी बयान लिया ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, सहायक शिक्षा निदेशक, निदेशालय जांच को गये थे, उन्होंने उनको पत्र देकर सूचित किया था, उन्होंने अपनी असमर्थता बीमारी के कारण प्रकट की कि मैं बीमार हूं, चिकित्सा अवकाश पर हूं, इसलिए नहीं आ सकती। वह उपस्थित नहीं हुईं इस मसले पर।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो माननीय मन्त्री जी ने बताया कि विभिन्न अधिकारियों को विभिन्न दरख्वास्तें दी गई, उसके सिलसिले में मैं यह जानना चाहूंगा कि कई अधिकारियों को एक ही दरख्वास्त की प्रतिलिपि भेजी गई, जिसमें जिन अधिकारियों ने जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया, उनके खिलाफ शिकायत का पूरा विवरण दिया गया जो दूसरी दरख्वास्त का जिक्र माननीय मन्त्री जी ने किया है, वह दरख्वास्तें फर्जी बनायी गयीं ? क्या इसकी जांच माननीय मन्त्री जी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

पहली दरख्वास्त जो उप जिला विद्यालय निरीक्षक से संबंधित थी, जिसको उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया था, स्वयं उपस्थित होकर। दूसरी दरख्वास्त जिसकी कापी अलग-अलग जगहों पर, जिसमें लिखा हुआ है हर जगहों को भेजी गयी, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं, उनकी भेजी हुई हैं। दरख्वास्त जो उप जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया था, वह स्वयं उपस्थित थी, इसलिए उस दरख्वास्त के फर्जी होने की कोई बात नहीं है और न जांच कराने का प्रश्न आता है।

एक सदस्य--

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न करने का अवसर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप चाहेंगे ५ मिनट से ज्यादा दिया जाय....(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, प्रश्नोत्तर के बाद इसको ले लीजिए। इसको बदलना पड़ेगा, आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपने स्वयं तय किया था।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

मान्यवर, इस तरह का फैसला बगैर सभी लोगों के रहे हुए लिया गया था, यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उसमें रियासत साहब मौजूद थे गुलाब सेहरा मौजूद थे।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, दिवे जो उस समय मौजूद थे, । उनका सजेशन आपने स्वीकार कर लिया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

५ मिनट से ज्यादा तो इसमें हो गया।

(व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, ५ मिनट बहुत कम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्याम धर जी, कितने प्रश्न लेना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, जैसा और जिस प्रकार का प्रश्न हो, उसमें उसी प्रकार के समय की आवश्यकता हो सकती है। कुछ प्रश्नों में ५ मिनट से भी काम चल सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो शिकायत थी, उसका उत्तर आ गया।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह--

हंस ने एक भी प्रश्न नहीं किया, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष--

यह खड़े तो होते नहीं हैं, मैं इनको क्या बाद में बोलाऊंगा ? आप खड़े तो होते नहीं हैं, क्या मैं आपको बैठे रहने पर बोलाऊंगा ?

श्री बिहारी लाल हंस--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र में जो अमानुषिक अभद्र व्यवहार बन्द कमरे में करने की जो बात आई, वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

शिकायत अभद्र व्यवहार की जो की गई, वह कहते हैं क्या अभद्र व्यवहार की शिकायत किया ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, स्थिति यह है कि, जो उन्होंने लिखकर दिया है, बाद में उसमें कही है कि कमरे में जबर्दस्ती बन्द कर हमसे रुपया छीन लिया इसी अभद्र व्यवहार की शिकायत है।

कक्षा आठ की परीक्षा सार्वजनिक रूप से लिए जाने का कथित निर्णय

*४--श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सभी विद्यालयों में इसी वर्ष से कक्षा ८ की परीक्षा को सार्वजनिक परीक्षा के रूप में लेने का निर्णय ले लिया है ? क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि परीक्षाएं इस वर्ष भी ली जा सकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष से ही प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस दिशा में सोच रही है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में इस सदन में मेरे द्वारा घोषणा की जा चुकी है कि इस वर्ष चूंकि बहुत विलम्ब हो गया है और सारी व्यवस्था पहले जैसी नहीं की जा सकती, इसलिए अगले वर्ष पूर्ण रूप से उसी ढंग से परीक्षायें ली जायंगी । इस समय जिला स्तर पर यह परीक्षा संचालित करने का आदेश दे दिया गया है ।

श्री गोविंद सिंह मेहरा--

मान्यवर, क्या इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार की कोई रिपोर्ट है, उन्होंने कोई आख्या दी है ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं ।

श्री ऊदल--

क्या यह सत्य है कि कक्षा ८ की परीक्षायें पिछले ४ वर्षों से हर साल अलग-अलग तरीके से ली जा रही हैं । क्या इस पर सरकार विचार करके निश्चित् नीति अख्तियार करेगी ताकि ठीक से इम्तहान लिए जा सकें ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, पिछले वर्षों में जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है, यह जो सार्वजनिक परीक्षा थी इसके स्वरूप को समाप्त करके, इसको गृह परीक्षा का स्वरूप दिया गया था । इस सम्बन्ध में एक जगह आदेश हैं, मैंने देखा है, अप्रैल, ७६ का आदेश है । उसमें उस समय के मुख्य मंत्री का आदेश है । '६५ प्रतिशत अधिकतम उत्तीर्ण का प्रतिबन्ध लगाकर इसकी गृह परीक्षा की जाय ।' तो श्रीमन् यह कोई बहुत उपयुक्त आदेश नहीं लगता कि कहा जाय कि इतने ही प्रतिशत लड़के पास कर दिए जायं, अगर पढ़ने वाले लड़के अच्छे हैं और १०० परसेन्ट पास होने वाले हैं तो यह आदेश दे दिया जाय कि ६५ प्रतिशत पास किया जाय। इससे जो शिक्षा का स्तर गिर रहा था, शासन ने यह निर्णय लिया कि पहले जिस ढंग से यह परीक्षायें होती थीं, उसी ढंग से रजिस्ट्रार के द्वारा इनका संचालन कराया जाय, जिससे शिक्षा का स्तर कायम रखा जाय और परीक्षा के बारे में लोगों में सम्मान रहे ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जिलों को आदेश चले गए हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी परीक्षा लेंगे, तो ८वीं की परीक्षा हो चुकी है । उन स्थानों पर १० वीं कक्षा की परीक्षायें हो रहीं हैं, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी फिर से परीक्षा लेने के लिए बच्चों को कहां से तलाश करेंगे ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जितने भी मिडिल स्कूल हैं या जूनियर हाई स्कूल हैं, तो केवल उन्हीं स्कूलों में परीक्षा की व्यवस्था की गयी है, जहां पर परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। हाई स्कूलों में या मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जहां के प्रधानाचार्य स्वयं सक्षम रहे हैं, इस वर्ष स्वतः चूंकि कहीं परीक्षा हो चुकी है इसलिए उनको छुआ नहीं गया है और बेसिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाय हो रही हैं जिनकी कि परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी क्या परीक्षा पद्धति और परीक्षा प्रकार में सार्वभौम, सम्यक एवं समानरूपी एकरूपता लाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन् एक चीज इस प्रश्न से स्पष्ट है कि राकेश जी ने अपनी सुललित और सुमधुर शब्दावली में जो तथ्य उपस्थित किये हैं, उसमें मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के तथ्य पर अपने मस्तिष्क को उस पर थोड़ा बल देकर विचार करने का कष्ट करेंगे कि यह प्रश्न जूनियर हाई स्कूल परीक्षा से संबंधित है सारे हिन्दुस्तान की परीक्षाओं से इसका संबंध नहीं है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

यह नीतिगत प्रश्न है।

(मन्त्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया)

श्री घासी राम वर्मा, अवर अभियन्ता के संबंध में सिंचाई विभाग के विरुद्ध लोक सेवा न्याय अधिकरण का निर्णय

*५--श्री बिहारी लाल हंस--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्याय अधिकरण द्वारा ३ जून, १९७७ को सिंचाई विभाग के विरुद्ध किन-किन मामलों पर निर्णय दिए गए हैं ? क्या उनमें कोई मामला श्री घासीराम वर्मा, अवर अभियन्ता का भी है ? यदि हां, तो क्या लोक सेवा न्याय अधिकरण, लखनऊ के निर्णय के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी को कार्यभार दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

दिनांक ३-६-१९७७ को सिंचाई विभाग से संबंधित केवल एक मामले पर लोक सेवा न्याय अधिकरण, लखनऊ द्वारा विभाग के विरुद्ध निर्णय दिया गया है। यह मामला श्री घासी राम वर्मा, अवर अभियन्ता का ही है। लोक सेवा न्याय अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन (एक्जीक्यूशन) के विरुद्ध जिला जज, लखनऊ के न्यायालय में शासन की ओर से एतराज दायर किया हुआ है। चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतः श्री वर्मा को कार्यभार दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बिहारी लाल हंस--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब श्री घासीराम वर्मा के निलम्बन के बारे में पहले तो ट्रिब्युनल में हार गए, बाद में हाईकोर्ट में हारे लेकिन उसके बाद भी उनको निलम्बित कर दिया, तो क्या यह उचित होगा कि उनको सेवा में इन आदेशों के बावजूद भी कोई ऐसी चीज बाकी रह जाती है जिससे जिला जज, लखनऊ के यहां गये हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, जिला जज के न्यायालय में श्री वर्मा ने ही वाद दायर किया है कि आर्डर को इम्प्लीमेन्ट कराया जाय । इस सम्बन्ध में जब तक उसका अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इसके सम्बन्ध में कुछ कहने की स्थिति में हम नहीं हैं ।

श्री बिहारी लाल हंस--

जब हाईकोर्ट ने उन्हीं आधारों को निराधार सिद्ध कर दिया, तो जिला जज के वहां क्यों गये हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, ३-६-७७ को जैसा प्रश्न से स्पष्ट है कि न्याय अधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है । उस निर्णय में कहा गया है कि 'शो काज' नोटिस इनको नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में विधि परामर्शी की राय ली गयी और राय के मुताबिक जैसा कि कहा गया था 'शो काज' नोटिस न देने के कारण इनकी अपील एलाऊ हुई है या उनके पक्ष में फैसला हुआ है, तो एल० आर० की रिपोर्ट के अनुसार 'शो काज' नोटिस दिया, उसको लिया । फिर भी जवाब नहीं दिया। इसलिए पुनः सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया । चूंकि इन्होंने विभाग को कोई जवाब नहीं दिया बल्कि जज के न्यायालय में जाकर के वाद दायर किया । जो फैसला हुआ उस पर हमने पुनः एल० आर० की राय ली और एतराज दाखिल किया है । जिला जज के सामने यह वाद विचाराधीन है । जो भी निर्णय होगा उसका पालन किया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री घासीराम वर्मा को ट्रिब्युनल ने बहाल किया, उसके बाद सरकार की ओर हाई कोर्ट में रिट दायर की गयी, वह खारिज की गयी और जिला जज को ट्रिब्यूनल ने डिक्री एक्शक्यूट करने के बारे में लिखा । सरकार की ओर से जो जिला जज के यहां मुकदमा दायर किया गया वह एक्शक्यूशन के खिलाफ है । दूसरी बात यह है कि जब ट्रिब्यूनल का उनके पक्ष में फैसला हुआ क्या उसके बाद उन्हें चार्ज लेने दिया गया या चार्ज नहीं दिया गया, तथा शो काज नोटिस देने या निलम्बित करने का अधिकार अधिकारियों को कैसे मिल जाता है और इस अनधिकृत रूप से कार्य करने वाले, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने की सरकार सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर इसका जवाब आने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं १२ बज चुके हैं। आप बैठ जाइये। उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

जवाब दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

नियम है। मेरी समझ में नहीं आता। आप लोग अनावश्यक सदन का समय नष्ट करते हैं। १२ बज चुके हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

आप ने मुझे एलाऊ किया। आप समय का ध्यान रखते।

श्री अध्यक्ष--

समय जिस समय था, मैंने अनुमति दिया।

नोट--नियम २६ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथिमकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विधान सभा क्षेत्र कोलअसला, वाराणसी के अन्तर्गत प्राइमरी बेसिक पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट

*१--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोलअसला, वाराणसी में प्राइमरी बेसिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, कन्या तथा छात्रों के लिए और कन्या जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में उच्चीकरण हेतु उप शिक्षा निदेशक, पंचम मंडल, वाराणसी ने एक सर्वेक्षण कराकर उसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (डा० श्याम नारायण मेहरोत्रा) को अपने पत्र संख्या अ० शा० प० सं० बेसिक/८५८-६०, दिनांक २ जून, १९७६ को भेजी है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गयी? क्या उस सर्वे रिपोर्ट की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री काली चरण--

जी, हां। सर्वेक्षण कराकर आख्या प्रेषित की गई, परन्तु सर्वेक्षण आख्या में कन्या जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में उच्चीकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं है, अपितु नवीन स्कूलों की आवश्यकता की सम्भावनाएं व्यक्त की गई हैं।

आठ नवीन प्राइमरी तथा एक जूनियर हाई स्कूल (बालक) बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा खोले गए। कनियर में व्यक्तिगत प्रबंध द्वारा संचालित कन्या जूनियर हाई स्कूल को मान्यता प्रदान की गई।

सर्वे रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४३१ पर)।

संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों का नया वेतनमान एवं अवशेष वेतन का भुगतान

*२—श्री रमेश चन्द्र (जिला बांदा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को नवीन वेतन के निर्धारण के फलस्वरूप अगस्त, १९७२ से फरवरी, १९७५ तक के अवशिष्ट वेतन तथा फरवरी, १९७६ तक की अवशिष्ट महंगाई का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

६ मंडलों में पूर्ण भुगतान तथा ५ मंडलों में आंशिक रूप से भुगतान किया जा चुका है ।

संस्थाओं द्वारा आवश्यक पत्रजात समय से प्रस्तुत न कर पाने तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों के कार्यालयों द्वारा की गई आपत्तियों का सामयिक निराकरण न करने के कारण पूर्ण भुगतान संभव नहीं हो सका है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के वेतनमान में असमानता

*३—श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बताएंगे कि विद्युत् विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों (कार्य प्रभारित) के वेतन-मानों से सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन-मानों में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो क्या इन असमानताओं को दूर करने हेतु आपने कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वह कब से लागू होगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)—

सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को देय वेतनमानों में असमानता है । इसका कारण इन विभागों में कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों को कार्य की प्रकृति एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वेतन दिया जाता है । अतएव इन विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों को एक समान वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

[१९ अप्रैल, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९७७ में कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के जिन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया उनमें से एक मुख्य सहायक ऐसे हैं जिनकी मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, गोरखपुर मण्डल तथा लखनऊ के कार्यकाल की शिकायतें अन्य मुख्य सहायकों की अपेक्षा अधिक गम्भीर है परन्तु फिर भी अन्य मुख्य सहायक के मुकाबले में इनके स्थानान्तरण आदेश कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलबीर सिंह—

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही जांच के सम्बन्ध में जून, १९७७ में कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों के

[श्री बलबीर सिंह---]
स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर करने की संस्तुति सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी। इन कर्मचारियों में चार मुख्य सहायकों के नाम भी सम्मिलित थे। लखनऊ से बाहर के स्थानों में इन मुख्य सहायकों के पदों के समकक्ष कुल मिलाकर केवल तीन पद उपलब्ध थे। अतः इनमें से केवल तीन का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर किया जा सका। इस स्थिति से सतर्कता विभाग को अवगत भी करा दिया गया। कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों अथवा उनकी तुलनात्मक गंभीरता की जानकारी सिंचाई विभाग को नहीं है।

सीतापुर की तहसील सिधौली के कतिपय चीनी बिक्रेताओं को देय धनराशि का भुगतान

*२---श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर ने अपने आदेश सं० ७७०/जी० पु० अ०, दिनांक १ अक्तूबर, १९७२ द्वारा समस्त चीनी थोक विक्रेताओं को यह आदेश दिया था कि थोक नामनीज चीनी को मिल से लेवेंगे जिसकी बिक्री दर जिलाधीश/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी और अधिकृत चीनी विक्रेताओं को १९६.३४ पैसे से १९८.३४ पसे में प्रति बोरी की दर से चीनी बिक्री करना था और शकर के मूल्यों में जो अन्तर होगा उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जावेगा? यदि हां, तो इस शकर का बकाया सरकार के ऊपर तहसील सिधौली, जिला सीतापुर के किन थोक विक्रेताओं का बाकी है और उसका भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ?

श्री हरिश चन्द्र---

जी हां। तहसील सिधौली के मेसर्स लक्ष्मी नारायण हनुमान प्रसाद, मेसर्स श्याम लाल बजरंग लाल और श्री महाबीर प्रसाद महेश्वरी अपना भुगतान मार्च, १९७८ में प्राप्त कर चुके हैं।

निम्नांकित शेष २ व्यापारियों के भी उनके नाम के सम्मुख अंकित धन-राशियों के चेक तैयार रखे हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य व्यापारियों के साथ सूचित किया जा चुका है---

(१) श्री कुंज बिहारी श्याम लाल, कमलापुर १,१०३.४८ पैसे
(२) श्री सवितादीन, राम प्रसाद, कमलापुर १,२५१.१२ पैसे

उक्त व्यापारी किसी भी समय जिला पूर्ति कार्यालय में उपस्थित होकर अपने चेक प्राप्त कर सकते हैं।

सिंचाई विभाग द्वारा जीप, अम्बेसडर कार व ट्रैक्टर की खरीद के विरुद्ध सी०आई०डी० की जांच

*३---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सिंचाई मन्त्री को इसकी जानकारी है कि वर्ष १९७७ में लोक सभा चुनाव के पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा लगभग १५० जीपें, ४० अम्बेसडर तथा ३७ ट्रैक्टर खरीदने का भुगतान किया गया तथा डिलेवरी चुनाव के बाद ली गई जिसमें भीषण भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं व्याप्त हैं? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा क्या मामले की जांच कराई गई? जांच रिपोर्ट क्या है? तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बलबीर सिंह---

इस सम्बन्ध में सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है जांच के पश्चात् अपेक्षित कार्यवाई की जायेगी।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के व्याख्याताओं का स्थायीकरण

*४---श्री सुखपाल पाण्डेय---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत व्याख्याता पद पर लोक सेवा आयोग से संस्तुत किए गए अधिकारी, जिनकी सेवायें तीन वर्ष से अधिक की हो चुकी है, को स्थायी कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरण--

प्राप्त सूचना के अनुसार लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर जारी किए गए नियुक्ति के आदेश की तिथि से ३ वर्ष से सेवारत व्याख्याताओं में से अधिकांश स्थायी हो चुके हैं। शेष के स्थायीकरण के आदेश न होने का कारण वांछित औपचारिकताओं का पूरा न होना है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं के कैश क्रेडिट अधिकार पर प्रतिबन्ध

*५--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिशासी अभियन्ता ओवर कैश क्रेडिट का प्रतिबन्ध लगा है ? यदि हां, तो कितना रुपया प्रत्येक महीना में खर्च कर सकते हैं ? यदि निश्चित धनराशि से अधिक का काम करा चुके हों, तो उसका पेमेन्ट कराने की व्यवस्था सरकार क्या करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां। मुख्य अभियन्ता की सिफारिश पर, अधिशासी अभियन्ताओं की माहवार खर्च की कैश क्रेडिट लिमिट मुकर्रर की जाती है। अगर अधिक काम करा चुकने या किसी और वजह से अधिक पेमेन्ट करना हो, तो मामले की जांच कर जरूरी बन्दोबस्त कराया जाता है।

लखनऊ पालीटेकनिक, कृष्णानगर की छात्रनिधि

*६--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि लखनऊ स्थित कृष्णानगर पालिटेकनिक, कानपुर रोड, लखनऊ के छात्र निधि का व्यय वहां के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के घरों के टेलीफोन पर व्यय की अदायगी में कर्मचारियों एवं अध्यापकों के पारिश्रमिक में मिनी बस के संचालक तथा ड्राइवर के वेतन एवं डीजल आदि में आगन्तुक मेहमानों के जलपान में, कर्मचारियों, अध्यापकों को अग्रिम देने के तथा अन्य इसी प्रकार के गैर छात्रहित सम्बन्धित कार्यों में व्यय की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की अनियमितता की जांच करायेगी तथा दोषी अधिकारी को उपयुक्त दन्ड देगी ?

श्री काली चरण--

जी हां।

कृष्णानगर लखनऊ स्थित लखनऊ पालीटेकनिक, लखनऊ जो एक स्वशासी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्था है के प्रधानाचार्य से प्राप्त सूचना के अनुसार संस्था की छात्रनिधि का इस प्रकार से अनियमित प्रयोग नहीं किया जाता। छात्र निधि का व्यय छात्रों के हित के, कार्यों पर ही किया जाता है। तथापि संस्था के छात्रनिधि के लेखा के विस्तृत सम्प्रेक्षण हेतु विभागीय लेखा पार्टी को निर्देश दिए गए हैं।

सिंचाई विभाग, कुमायूं व गढ़वाल मंडल के अवर अभियन्ताओं के पद और रिक्त पदों पर नियुक्ति

*७—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल तथा कुमायूं मन्डल के सिंचाई विभाग के प्रत्येक डिवीजन में १ अप्रैल, १९७६ और १ अप्रैल, १९७७ को कितने पद जूनियर इन्जीनियर के स्वीकृत थे और इनमें से १ दिसम्बर, १९७७ को कितने पद रिक्त थे तथा इनके खाली रहने की अवधि क्या है और उनको भरे जाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री बलबीर सिंह—

गढ़वाल मन्डल के अन्तर्गत स्थित सिंचाई विभाग के विभिन्न खण्डों में १ अप्रैल, १९७६ और १ अप्रैल, १९७७ को अवर अभियन्ताओं के क्रमशः ५७४ एवं ५८३ तथा कुमायूं मन्डल में ११२ एवं १५२ पद स्वीकृत थे। इन स्वीकृत पदों में से १ दिसम्बर, १९७७ को क्रमश, ५३ तथा २३ पद रिक्त थे। इन पदों के खाली रहने की अवधि बता सकना संभव नहीं है; क्योंकि कोई भी पद निरन्तर खाली नहीं पड़ा रहता है। खाली पदों को भरे जाने के निमित्त समय-समय पर अनेकानेक प्रयास किये जाते रहे हैं, जिनमें से पर्वतीय क्षेत्र की रिक्तियों के लिए पर्वतीय क्षेत्र के डिप्लोमा धारी अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों में ५ प्रतिशत को बरीयता प्रदान करके नियुक्त किया जाना प्रमुख है।

गढ़वाल तथा कुमायूं मन्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं के पद एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति

*८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९७६ और १ अप्रैल, १९७७ को गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों में जूनियर इन्जीनियर्स के कितने-कितने पद स्वीकृत थे तथा उनमें से १ दिसम्बर, १९७७ को कितने पद रिक्त थे और उनके न भरे जाने के क्या विशेष कारण थे तथा इनके रिक्त रहने की अवधि क्या थी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

१ अप्रैल, १९७६ और १ अप्रैल, १९७७ को गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों में जूनियर इंजीनियर्स के क्रमशः ३६९ तथा ८३५ पद स्वीकृत थे, जिनमें से १ दिसम्बर १९७७ को कुल ६७ पद मुख्यतः कार्यभार कम होने तथा विभाग में अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी होने के कारण रिक्त रहे। इन पदों के रिक्त रहने की अवधि के सम्बन्ध में विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४३४ पर)

*९—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

राधा कुमारी इण्टर कालेज, ठूठीवार, गोरखपुर में इतिहास के प्रवक्ता-पद हेतु कथित प्रार्थना-पत्र

*१०--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि राधा कुमारी इन्टर कालेज, ठूठीवार, गोरखपुर के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक ने अक्तूबर, १९७५ में कालेज में इतिहास प्रवक्ता के पद सृजन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर तथा उप शिक्षा निदेशक सप्तम मन्डल गोरखपुर को सम्बन्धित कागजात प्रेषित किए थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं । प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता ।

वाराणसी जिले की बावतपुर-बरही-नेवादा सड़क को पक्का किये जाने की मांग

*११--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बावतपुर वाराणसी के जमालपुर-जौनपुर की सड़क पर सन् १९७५-७६ में वाराणसी के हिस्से में सिर्फ पचास हजार रुपये का कार्य कराया गया और जौनपुर के हिस्से में दो लाख रुपए से अधिक का कार्य कराया गया ? यदि हां, तो वाराणसी के हिस्से में बावतपुर से बरही, नेवादा तक कार्य क्यों कम कराया गया ? क्या इस वर्ष १९७७-७८ में इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा (डामर) करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । वर्ष १९७७-७८ में कार्य पूरा कराना सम्भव नहीं हुआ ।

फर्रुखाबाद में सड़कों के निर्माण की मांग

*१२--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि बम्बई योजना के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद की सड़कों की उपलब्धि सन् १९७६ के अन्त तक ६१.९ प्रतिशत मात्र थी जो कि पड़ोसी जनपदों से अत्यधिक कम है ? यदि हां, तो इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने हेतु जनपद फर्रुखाबाद में सड़कों के निर्माण हेतु सरकार प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह सही है कि वर्ष १९७६ के अन्त तक फर्रुखाबाद में सड़कों की उपलब्धि ६१.९ प्रतिशत थी । यह उपलब्धि समीपवर्ती आठ जिलों में से एक जिले से अधिक है तथा छः अन्य जिलों से कम है । अब तक स्वीकृत सड़कों के बन जाने पर फर्रुखाबाद में सड़कों की उपलब्धि ९३.६ प्रतिशत हो जायेगी । धन उपलब्ध होने पर और मार्गों का निर्माण किया जायेगा ।

फर्रुखाबाद के तिर्वाखेर नगर के सड़क का निर्माण

*१३—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में तिर्वाखेर नगर के मध्य सड़क निर्माण का कार्य भारत स्वतन्त्र होने से पूर्व प्रारम्भ किया गया था जो आज तक अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं ।

जिला परिषद् द्वारा वर्ष १९७३ में इस पर कार्य किया गया था और वर्ष १९७७ में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस पर कार्य आरम्भ किया । आशा है कि यह मार्ग वर्ष १९८०—८१ तक पूरा हो जाएगा ।

राप्ति नदी की बाढ़ के नियंत्रण हेतु नेपाल राज्य की सहायता से विचाराधीन जलकुन्डी योजना

*१४—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का अनुग्रह करेंगे कि बहराइच, गोन्डा, बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जनपदों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु राप्ती नदी के जल को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के सहयोग से जलकुन्डी योजना प्रारम्भ की जाने वाली है ? यदि हां, तो कब से ? क्या इसका सर्वेक्षण कर परियोजना का प्रारूप अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्नगत जनपदों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु राप्ती नदी के जल को नियंत्रित करने के लिए नेपाल राज्य के सहयोग से जलकुन्डी योजना बनाने का प्रस्ताव था किन्तु इससे नेपाल राज्य का काफी बड़ा कृषि योग्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा था । इस कारण इस योजना के विकल्प में नेपाल राज्य के सहयोग से भालूभांग योजना विचाराधीन है ।

अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को दिया गया आवेदन—पत्र

*१५—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक को अध्यापकों की नियुक्ति हेतु किन—किन विद्यालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आवेदन—पत्र आमंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होने की तिथि से ३१ अगस्त, १९७७ तक नियुक्ति हेतु लिखा है ? उसमें से किन—किन विद्यालयों में किस—किस विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन—पत्र मांगे गए और उसमें से कितने—कितने पदों पर नियुक्तियां की गई है ? क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में विलम्ब हुआ है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री बाली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद जिले की दखन झील के नाले का पुनर्निर्माण

*१६—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में दखन झील से नाला निकालने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है और क्या दखन ड्रेन का शेष कार्य बरसात शुरू होने से पहले पूरा हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित नाले का पुनरुद्धार व निर्माण का कार्य पूर्ण प्रगति पर है । अब तक लगभग ६० प्रतिशत कार्य समाप्त हो गया है तथा शेष कार्य वर्षा आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण होने की आशा है ।

फैजाबाद, कामता प्रसाद श्याम सुन्दर महाविद्यालय में रसायन शास्त्र, एम० एस० सी० की कक्षा खोले जाने की मांग

*१७—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के कामता प्रसाद श्याम सुन्दर महाविद्यालय (डिग्री-कालेज), फैजाबाद में रसायन-शास्त्र में एम० एस-सी० की कक्षायें खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त क्षेत्र में इस बात की आवश्यकता को देखते हुये शासन द्वारा शीघ्र ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जायगा ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री काली चरण—

अवध विश्वविद्यालय से यह प्रस्ताव पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है । अगले शिक्षा सत्र के लिये इस पर शीघ्र विचार किया जायेगा ।

वाराणसी के राजकीय नलकूप, नं० १०, मीराबन के मरम्मत सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*१८—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप नं० १० मीराबन द्वितीय सब डिवीजन नलकूप प्रखन्ड वाराणसी अक्तूबर, १९७७ से २९ दिसम्बर, १९७७ तक खराब होकर बन्द पड़ा है और किसानों द्वारा बार-बार प्रार्थना-पत्र देने पर न ठीक कराने का क्या कारण है ? इसके सम्बन्ध में किस अधिकारी या कर्मचारी का दोष है तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री बलबीर सिंह—

राजकीय नलकूप संख्या १० मीराबन द्वितीय अक्तूबर, १९७७ से २९-१२-१९७७ तक लगातार खराब नहीं रहा बल्कि निम्नलिखित अवधियों में यांत्रिक तथा विद्युत् दोष के कारण बन्द रहा :—

२१-१०-७७ से २५-१०-७७ तक विद्युत् दोष के कारण ।

२-११-७७ से ४-११-७७ तक यांत्रिक दोष के कारण ।

९-११-७७ से १५-११-७७ तक विद्युत् दोष के कारण ।

१७-११-७७ से २०-११-७७ तक यांत्रिक दोष के कारण ।

२४-११-७७ से ३०-११-७७ तक यांत्रिक दोष के कारण ।

२-१२-७७ से १२-१२-७७ तक यांत्रिक दोष के कारण ।

१४-१२-७७ से २५-१२-७७ तक विद्युत् दोष के कारण ।

२६-१२-७७ से २९-१२-७७ तक यांत्रिक दोष के कारण ।

इसके खराब होने की सूचना मिलते ही ठीक कराने हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की गई ?

किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग की ट्रकों की बाडी बनाने का अनुबन्ध

*१९--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७ में दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७७ तक ट्रकों की बाडी निर्माण हेतु निविदा की मांग विभाग द्वारा की गयी थी जिसमें कम दर देने वाले ठेकेदार की निविदा अस्वीकार करके ३,००० रुपए प्रति बाडी अधिक दर की निविदा को स्वीकार करके एस० टी० बाडी बिल्डर, लखनऊ से बाडी बनवाकर भुगतान किया जा रहा है जिससे ६ लाख सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं । वर्ष १९७७ में परिवहन आयुक्त, लखनऊ के अनुमोदन पश्चात् न्यूनतम दर पर मेसर्स इस्टी बाडी बिल्डर्स, लखनऊ से १८ ट्रकों पर बाडी बनाने का अनुबन्ध १२,६२२·५० रुपया प्रति बाडी की दर पर किया गया था ।

कमला नेहरू संस्थान, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र और प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

*२०--श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कमला नेहरू संस्थान, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध समिति के विरुद्ध गम्भीर आरोपों से युक्त कितने प्रतिवेदन स्थानीय विद्यार्थी परिषद् एवं जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार को गत वर्ष प्राप्त हुए हैं और उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री काली चरण--

अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् सुल्तानपुर से एक पत्र दो तार तथा जनता युवा मोर्चा से एक तार प्राप्त हुआ था । किन्तु चूंकि कतिपय अन्य शिकायती-पत्रों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ५७-५८ के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित पत्रों में वांछित कार्यवाही की गयी, अतः उनके ऊपर अलग से कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२१--श्री तेजभान सिंह तथा श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि उक्त संस्थान के प्रबन्ध समिति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच व प्रबन्ध समिति को भंग किए जाने की मांग को लेकर छात्रों एवं प्राध्यापकों द्वारा आन्दोलनात्मक कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए प्रबन्ध समिति को भंग करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण--

सम्प्रति छात्रों तथा प्राध्यापकों द्वारा कोई आन्दोलन नहीं किया जा रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ५७ के अन्तर्गत जारी किये शासनादेश में उक्त कालेज के प्रबन्ध तंत्र को नोटिस दी जा चुकी है और धारा ५८(२) के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र को निलम्बित करके जिला अधिकारी, सुल्तानपुर को अन्तरिम प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया।

मुरादाबाद जिले के श्री चन्द्रपाल के चीनी के कोटे का निरसन

*२२--श्री रियासत हुसैन--

क्या यह सही है कि क्षेत्रीय विधायक ने जब इस ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया तो श्री चन्द्र पाल का चीनी का कोटा दिनांक १ अगस्त, १९७७ को रोक दिया गया ? परन्तु फिर दुबारा एस० डी० एम० मुरादाबाद ने जिलाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध श्री चन्द्रपाल को दुकानदार नियुक्त कर दिया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री हरिश चन्द्र--

माननीय विधायक की शिकायत पर श्री चन्द्र पाल सिंह का कोटा जिला पूर्ति अधिकारी न अपने आदेश से रोक दिया था। कोटेदार के विरुद्ध अनियमित वितरण की शिकायतें सिद्ध न होने के कारण परगनाधिकारी ने दिनांक २ नवम्बर, १९७७ को कोटा बहाल कर दिया था। जिलाधिकारी द्वारा कोटा रोकने का कोई आदेश न होने के कारण परगनाधिकारी द्वारा उसकी अवज्ञा का प्रश्न नहीं उठता।

*२३--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[७वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले की शिकारपुर-घुघली सड़क के पुनर्निर्माण की मांग

*२४--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में शिकारपुर--घुघली सड़क पुनः निर्माण (रीमाडलिंग) के लिए स्वीकृत है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले की छोटी गंडक नदी पर बैकुन्ठीघाट के पुल निर्माण की मांग

*२५—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि शिकारपुर—कौआसार (गोरखपुर) सड़क पर छोटी गंडक नदी के ढोकिला (बैकुन्ठी घाट) पुल को जनहित में निर्माण हेतु विधान सभा की याचिका समिति ने १९७५ में ही संस्तुति की थी एवं सेतु निगम ने उसका सर्वेक्षण कराया था ? यदि हां, तो कुल व्यय कितना होगा एवं कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां । छोटी गंडक नदी के ढोढीला (बैकुन्ठीघाट) पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में विधान सभा की याचिका समिति के माध्यम से श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित श्री गिरजा प्रसाद त्रिपाठी की याचिका मई, १९७५ में प्राप्त हुई थी । उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा इसका सर्वेक्षण नहीं कराया गया । पुल के निर्माण की अनुमानित लागत २५·०० लाख रुपये आंकी गयी है । धनाभाव के कारण कार्य अभी स्वीकृत नहीं किया जा सका है ।

*२६—श्री राम दत्त जोशी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

बांदा जिले की कनवारा पम्प नहर के टूटने से फसल को क्षति और शिकायती-पत्र

*२७—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि माह नवम्बर-दिसम्बर, १९७७ में कनवारा पम्प कैनाल, जिला बांदा का पट्टी टूट जाने के कारण किसानों का सैकड़ों बीघा बोई हुई फसल डूब गयी है जिसकी व्यवस्था करने से अधिशासी अभियन्ता डाल सिंचाई बांदा द्वारा इन्कार किए जाने पर वहां के किसानों न प्रश्नकर्ता के पत्र सहित शिकायती-पत्र शासन को भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलबीर सिंह—

दिसम्बर, १९७७ में बांदा जनपद में कनवारा पम्प नहर की पट्टी टूट जाने के कारण १·३६ एकड़ बोई हुई फसल के क्षेत्र में पानी भर गया था ।

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ उक्त क्षेत्र के किसानों का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । इस मामले की जांच करा ली गयी है और क्षतिग्रस्त फसल के मुआवजा देने को तथा सिंचाई कर की छूट देने की नियमानुसार कार्यवाही जा रही है । जांच आख्या शासन के विचाराधीन है ।

*२८—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[५वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२९—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

[४थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत उत्तरित ।]

*३०-३१—श्री पूरन चन्द्र—

[५वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या २५-२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर जिले के निचलौल–बहुआर सड़क का निर्माण

*३२—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीसवा विधान सभा क्षेत्र जनपद, गोरखपुर के अन्तर्गत निचलौल से बहुआर जाने वाली सड़क पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा था वह बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, परीक्षितगढ़, मेरठ की अध्यापिकाओं का वेतन–मान

*३३—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (परीक्षितगढ़), मेरठ की अध्यापिकाओं का वेतन आयोग द्वारा नवीनतम वेतन–मान १९७२ के एरियर का अभी तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां तो क्यों ? इनका भुगतान शीघ्र कराने में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री कालो चरण—

प्रसंगगत सभी अध्यापिकाओं के अवशेष धन का भुगतान किया जा चुका है ।

ढकवा पम्प नहर, अलीनगर पम्प नहर व बहरामघाट पम्प नहर बाराबंकी, पर व्यय की गयी धनराशि

*३४—श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बराबंकी जनपद में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत पम्प कैनाल ढेखवा, अलीनगर तथा बहराम घाट पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ ? क्या उक्त सभी नहरें बन्द कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

जनपद बाराबंकी में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत पम्प कैनाल ढकवा, अलीनगर तथा बहराम घाट पर सरकार का निम्न धन व्यय हुआ है :

	रु०
१—ढकवा पम्प नहर	१,०८,४००·००
२—अलीनगर पम्प नहर	३,७०,४१६·८२
३—बहराम घाट पम्प नहर	५,७८,५१०·३८

उक्त तीनों पम्प कैनाल घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित है । घाघरा नदी की धारा में एकाएक परिवर्तन आ जाने से पानी की धारा कैनाल के हेड लगभग दो किलोमीटर दूर हो गयी है ।

अतः हेड पर जलधारा की अनुपलब्धता के कारण तीनों पम्प कैनालें बन्द कर दी गयी हैं ।

इस्माइलागर्ना नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, मेरठ में प्रारम्भ की गयी इन्टर की परीक्षा

*३५—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें इस्माइलागर्ना नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, मेरठ के प्रबन्ध समिति के सदस्यों का एक प्रतिवेदन दिनांक 11 सितम्बर, १९७७ का लिखित मिला जिसमें उन्होंने यह अभियोग लगाया है कि स्कूल की प्रधानाचार्या मिस शमीम जफर ने प्रबन्ध समिति और शिक्षा विभाग की आज्ञा के बिना इन्टर की कक्षायें प्रारम्भ कर दी हैं ? यदि हां, तो विभाग ने प्रधानाचार्या के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री काली चरण—

जी हां, मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका, मेरठ को इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

*३६—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री रामनरायन वर्मा तथा श्री सन्त बक्श रावत—

[१२-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५९ द्वारा उत्तरित]

बस्ती के लेवड़ताल ड्रेन की मरम्मत

*३७—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत लेवड़ताल से पानी निकालने हेतु कोई नहर (ड्रेन) निकाली जा रही है ? यदि हां, तो निकला हुआ पानी कहां जायेगा ? इस ड्रेन की खुदाई में १५ फरवरी, १९७८ तक कितना धन व्यय हो चुका है ? इस ड्रेन की योजना टी० ए० सी० से स्वीकृत है या नहीं ?

श्री बलबीर सिंह—

बस्ती जिले के डुमरियागंज तहसील में स्थित लेवड़ताल ड्रेन बहुत पुरानी है। यह विभागीय ड्रेन है तथा इस ड्रेन से पानी परासी नाले में जाता है एवं फजिहतवा नाले से होता हुआ राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी में मिल जाता है । ड्रेन की मरम्मत पर १५ फरवरी, १९७८ तक १२,४११ रुपया मात्र व्यय हुआ है । चूंकि यह विभागीय ड्रेन है और उपरोक्त धनराशि उसके रख-रखाव पर व्यय की गई है । अतः उस पर टी० ए० सी० के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

बस्ती, चवरताल के फजिहतवानाला के सफाई की मांग

*३८—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के तहसील बांसी के अन्तर्गत चवरताल में पानी भरे हरने के कारण हजारों बीघा खेती योग्य काश्तकारों की भूमि बिना बोवाई के पड़ी है और चवरताल से पानी निकालने की ड्रेन (फजिहतवानाले) की सफाई के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया जा रहा है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां, हजारों बीघा भूमि पानी में डूबे रहने के कारण बोवाई से वंचित रहती है । फजिहतवा नाला ड्रेन के निर्माण का विस्तृत अनुसंधान एवं सर्वेक्षण करने एवं परियोजना प्राक्कलन स्वीकृत होने के बाद कार्य प्रारम्भ होगा ।

एटा, कासगंज राजकीय बालिका इन्टर कालेज में कतिपय विषय खोले जाने की मांग

*३९--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) तथा श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले की कासगंज राजकीय बालिका इन्टर कालेज में अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, संगीत (वादन) एवं (गायन) इन्टर स्तर के नवीन विषयों को खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया कोई आवेदन-पत्र माह सितम्बर, १९७७ शिक्षा मंत्री को मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और उक्त विषय कब तक खोल दिए जायेंगे ?

श्री काली चरण--

जी हां, माननीय सदस्य (श्री नेतराम सिंह) का एक पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था, परन्तु उसमें संगीत (वादन) एवं (गायन) विषय का उल्लेख नहीं है। अन्य उल्लिखित विषयों को आगामी शिक्षा सत्र से प्रारम्भ किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में डा० सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण एवं बाबू जगजीवन राम का अनादर

*४०--श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर) श्री मन्नू राम (जिला बलिया) श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी) तथा श्री बेचूराम (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि २४ जनवरी, १९७८ को वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने बाबू जगजीवन राम जी का निरादर किया ? क्या सरकार उसे देखते हुए उक्त विश्वविद्यालय को समाप्त कर उसे शोध संस्थान में परिवर्तित करने का कष्ट करेगी और उपकुलपति की सेवा अविलम्ब समाप्त करेंगे ?

श्री कालीचरण--

छात्रों ने बाबू जगजीवन राम जी के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए हरिजन विरोधी नारे लगाये तथा उनके द्वारा स्वर्गीय सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण किये जाने के पश्चात् उनके चले जाने के बाद मूर्ति को गंगाजल से धोया। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को शीघ्र संस्थान में परिवर्तित करने का कोई विचार नहीं है। तत्कालीन कुलपति की सेवा अवधि २५ मार्च, १९७८ को समाप्त हो गई।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक एवं कर्मचारियों की संख्या तथा व्यय की अनुमानित धनराशि

*४१--श्री बाबू लाल विद्यार्थी, श्री मन्नू राम, श्री श्याम देव तथा श्री बेचू राम--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (डा० सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) में ३१ जनवरी, १९७८ को कुल कितने अध्ययनरत विद्यार्थी थे तथा उन्हें पढ़ाने के लिए कुल कितने अध्यापक थे ? कितने अन्य लोग शिक्षणेतर कार्य में विश्वविद्यालय की सेवा में थे तथा इस विश्वविद्यालय में वर्ष १९७७-७८ में कितना व्यय अनुमानित था ?

श्री कालीचरण—

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार १३४३ विद्यार्थी तथा उन्हें पढ़ाने के लिये ७५ अध्यापक थे। शिक्षणेतर कार्य में विश्वविद्यालय की सेवा में ३१३ अधिकारी/कर्मचारी थे तथा वर्ष १९७७-७८ का अनुमानित व्यय रुपये ५६,३२,४११ ६८ पैसे था।

*४२—श्री राम दत्त जोशी—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

बस्ती जिले के ग्राम उमरिया में घाघरा नदी से कटाव रोकने सम्बन्धी योजना तथा हरैया तहसील में लगाये गये ट्यूबवेल

*४३—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बस्ती जिले की हरैया तहसील के कप्तानगंज क्षेत्र में घाघरा नदी की कटान को रोकने के लिए उमरिया गांव में कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक प्रारम्भ होने की उम्मीद है? तथा क्या सिंचाई मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद की हरैया तहसील में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में केशवदेव मालवीय के नाम एक मालवीय सिंचाई योजना कार्यान्वित कराने के कारण अन्य कोई सिंचाई योजना वहां नहीं चलाई गई और न कोई राजकीय नलकूप आदि लगाए गए? क्या यह सही है कि वह मालवीय योजना एकदम असफल रही? क्या मंत्री जी विशेष परिस्थितियों के कारण उस सिंचाई से वंचित क्षेत्र में अलग से कुछ राजकीय नलकूप देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां, प्रस्तावित योजना में छोटे-छोटे मन्दकों का निर्माण किया जायेगा। यह योजना १५ अप्रैल, १९७८ को स्वीकृत हुई है और इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

बस्ती जनपद के हरैया तहसील में केशवदेव मालवीय सिंचाई योजना के बारे में सिंचाई विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

हरैया तहसील में वर्ष १९७७-७८ तक १०७ राजकीय नलकूप छिद्रित किये जा चुके हैं।

बस्ती, गोंडा एवं बहराईच जनपदों में राजकीय सिंचाई साधनों की अत्यन्त कमी को देखते हुये बाम तटीय घाघरा (सरजू नहर परियोजना) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया जा चुका है। इसके फलस्वरूप प्रश्नगत क्षेत्र में समुचित सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

रिग्स डिवीजन, गाजीपुर में घोटाला सम्बन्धी थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

*४४—श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७४ में रिग्स डिवीजन, गाजीपुर में १२ लाख रुपए के घोटाले तथा सन् १९७५ म एक लाख साठ हजार पांच सौ रुपया के गबन के मामलों की रिपोर्ट थाना कोतवाली गाजीपुर में दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां ।

रिग्स डिवीजन, गाजीपुर में सन् १९७४ में १२,१७,६८२.०० रुपया के दुर्विनियोग की रिपोर्ट थाना कोतवाली गाजीपुर में दिनांक १३ दिसम्बर, १९७४ व १ नवम्बर, १९७५ को क्रमशः दर्ज कराई गयी थी ।

इस मामले में अभी तक ६,४७,८३४.७२ रुपये का सामान बरामद किया जा चुका है और विस्तृत जांच भी जारी है ।

गोरखपुर, राजकीय बालिका इन्टर कालेज की अध्यापिकाओं का यात्रा भत्ता बिल का भुगतान

*४५—श्री नेतराम सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि गोरखपुर मन्डल के गोरखपुर जिले में राजकीय बालिका इन्टर कालेज में कौन-कौन ऐसी अध्यापिकायें हैं, जिनके कि वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६ के स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल का भुगतान अब तक नहीं हुआ है ? भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण—

ऐसी कुल आठ अध्यापिकाएं हैं जिनकी सूची संलग्न है । प्रसंगत यात्रा बिल विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने एवं नियमानुसार न होने के कारण ही अभी तक भुगतान किया जाना संभव नहीं हो सका है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४३७ पर ।)

हाई स्कूल एवं इन्टर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की कथित बिक्री

*४६—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फरवरी मास १९७८ के अन्तिम सप्ताह में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ आदि नगरों में बेची गई, जिसकी सूचना शासन को भी दी गई ? यदि हां, तो इसके कारणों की जांच कराई ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

मार्च के प्रथम सप्ताह में कतिपय समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें प्रकाशित की गई थी कि इलाहाबाद गोरखपुर लखनऊ आदि नगरों में उत्तरपुस्तकें बेची जा रहीं है । सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा इन खबरों की सत्यता के सम्बन्ध में जांच करायी गयी थी परन्तु उत्तर पुस्तकों के बाजार में बिकने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ ।

*४७--मोहम्मद शमीम अन्सारी--

[७वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*४८--श्री राम आसरे अग्निहोत्री--

[७वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

राजकीय, बालिका इंटर कालेज, कासगंज का भवन

*४९--श्री जसवीर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि एटा जिले के कासगंज क्षेत्र की जनता द्वारा राजकीय बालिका इंटर कालेज कासगंज (एटा) के भवन निर्माण के सम्बन्ध कोई आवेदन-पत्र १९७७-७८ में दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त कालेज का भवन कब तक बन जाएगा ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग से भवन निर्माण हेतु आगणन तैयार कराया जा रहा है, जिसके उपरान्त आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में ही यथा समय प्रसंगत भवन का निर्माण सम्भव हो सकेगा ।

*५०--श्री जसवीर सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*५१--श्री कन्हैया लाल गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

बहराइच जिले के शंकरपुर--लालपुर मार्ग का निर्माण

*५२--श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच मे शंकरपुर-लालपुर मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष १९७७-७८ में कोई धनराशि निर्धारित कर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है और कितने किलोमीटर मार्ग बनान हेतु प्रदान की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

७५,००० रु० प्रति कि० मी० की दर से लिंक मार्गों के निर्माण की योजना में इस सड़क के ५.०० कि० मी० का निर्माण भी स्वीकृत किया गया ।

*५३--श्री अवधेश नरायन--

[७वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*५४--श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

[दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या १३ द्वारा उत्तरित ।]

जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर में लिपिकों की परीक्षा एवं ज्येष्ठता सूची

*५५—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर में अतिरिक्त स्टाफ योजना के अन्तर्गत युक्त परीक्षा के आधार पर अगस्त सन् १९७३ में कितने प्रधान लिपिकों एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की भर्ती की गई तथा भर्ती किए प्रधान लिपिकों एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की ज्येष्ठता निर्धारण का क्या आधार रखा गया ?

श्री हरिशचन्द्र—

जिलापूर्ति कार्यालय, गोरखपुर में अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा के आधार पर अगस्त सन् १९७३ में ३ प्रधान लिपिक एवं ३ ज्येष्ठ लेखा-लिपिकों की अस्थाई नियुक्ति की गई थी। प्रधानलिपिकों एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की ज्येष्ठता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की गयी थी तथा समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निश्चित की गयी थी।

श्री जय नारायण इंटर कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध जाली मार्कशीट बेचने का आरोप

*५६—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७७ में श्री जय नारायण इंटर कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध हाई स्कूल परीक्षा, १९७५ की जाली मार्कशीट बेचने (अवैध व्यापार) का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक (मार्च, १९७८) क्या कार्यवाही की ? क्या प्रधानाचार्य को निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी हां।

मामले में रिपोर्ट अपराध संख्या ६५/७८ अन्तर्गत धारा ४२०/४६८/४७१ भा० द० वि० पुलिस में दर्ज कर दी गई है। इसकी विवेचना जिला पुलिस के विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही। पुलिस की जांच अभी चल रही है अतः प्रधानाचार्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।

*५७—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[७वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*५८—श्री दशरथ सिंह—

[दिनांक २९ मार्च, १९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४७ द्वारा उत्तरित]

इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रान्तीयकरण की मांग

*५९—श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद) तथा डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रबन्ध को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए जाने के सम्बन्ध में किसी मन्त्री का सुझाव कुछ माह पूर्व प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो वे सुझाव क्या थे तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण—

जी हां। कालेज में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष में यह सुझाव आया था कि शिक्षा मन्त्री द्वारा गंभीरता से इस बात पर विचार हो कि क्यों न इस विद्यालय को सरकार अधिग्रहित कर स्वयं संभाले। इस सुझाव पर गहराई व गंभीरता से विचार कर यह पाया कि विद्यालय का अधिग्रहण करना इस समस्या का उपयुक्त समाधान नहीं है। शासन द्वारा वातावरण को सुधारने के लिए कुछ अन्य कदम ले लिए गये है। उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतों की जांच सतर्कता विभाग को सौंपी जा चुकी है।

कालेज की प्रशासकीय परिषद् का पुनर्गठन कर दिया गया है।

इस परिषद् ने शिक्षणोत्तर एवं शिक्षक वर्ग की शिकायतों को सुनने के लिए एक बैठक का विशेष रूप से आयोजन किया और उसमें जो तथ्य सामने आए वह विशेष रूप से तथा गहराई में जांचे जा रहे हैं।

*६०—श्री गुरु प्रसाद तथा डाक्टर जवाहर लाल—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित।]

हीरालाल राम निवास डिग्री कालेज, खलीलाबाद, बस्ती में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की मांग

*६१—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २५ सितम्बर, १९७५ तत्कालीन शिक्षा मन्त्री (डा० रामजी लाल सहायक) ने हीरालाल राम निवास डिग्री कालेज, खलीलाबाद, बस्ती के वाणिज्य संकाय एवं कबीर शोध संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा की थी कि इस महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा के पठन-पाठन की व्यवस्था की जाएगी ? यदि हां, तो उसे सरकार कब तक कार्यान्वित करने जा रही है ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६२—श्री लक्खी सिंह—

[६ अप्रैल, १९७८ को वक्तव्य होने के फलस्वरुप निरस्त।]

*६३—श्री सत्य पाल सिंह यादव—

[७वें बुधवार के लिए स्थगित।]

सेवाश्रम महाविद्यालय, ढिढ़ई, प्रतापगढ़ में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

*६४—श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में महाविद्यालय ढिढ़ई में साधिकार नियंत्रक अगस्त मास १९७७ में किन परिस्थितियों में नियुक्त किया गया ? क्या सरकार साधिकार नियन्त्रक समाप्त कर विद्यालय की प्रबन्ध समिति को पुनः वापस करने की सोच रही है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा रहा है ?

श्री काली चरण--

सेवाश्रम महाविद्यालय ढिढुई, प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ५७ की स्थिति विद्यमान होने के कारण अक्तूबर, १९७७ में प्रबन्ध तंत्र को नोटिस जारी की गयी और धारा ५८(२) के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र को निलम्बित करके जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ को अन्तरिम प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया। कालेज के प्रबन्धक से नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर विचारोपरान्त कालेज से अन्तरिम प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को समाप्त करके कालेज का प्रबन्ध निलम्बित प्रबन्ध समिति को वापस किया जा चुका है।

माध्यामिक शिक्षक संघ की हड़ताल के दौरान नियुक्त किये गये अध्यापकों को खपाने की मांग

*६५--श्री विद्या शंकर--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा सन् १९७७ में की गई हड़ताल के समय सरकार ने जिन व्यक्तियों की नियुक्ति वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किया था उन्हें सरकार नौकरियों में खपाने की सोच रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई नियम बनाने जा रही है ?

श्री काली चरण--

जी हां, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अजीत सोमबंशी संस्कृत पाठशाला, प्रतापगढ़ का अनुदान एवं अध्यापकों का वेतन

*६६--श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अजीत सोमबंशी संस्कृत पाठशाला, सुखपाल नगर, प्रतापगढ़ के अनुदान एवं अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में १ माच, सन् १९७८ को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां।

उक्त विद्यालय का मार्च, १९७७ से जुलाई, १९७७ तक के अनुदान का भुगतान हो चुका है। अगस्त, १९७७ से फरवरी, १९७८ तक के अनुदान का भुगतान करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ को निदेशालय द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं।

राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम

*६७--श्री राजपति मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नियम उपनियम बनाए जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं।

सामान्य राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित नियम राजकीय अध्यापकों पर भी लागू होते हैं।

गंडक परियोजना में नये खण्ड का सृजन

*६८—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७७-७८ में गन्डक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कितने नए डिवीजन स्थापित किए गए ? क्या यह सही है कि उन डिवीजनों के द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

गण्डक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष १९७७-७८ में ५ नये खंड सृजित किये गये । सृजित खण्डों द्वारा सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । कार्य न करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*६९—श्रीमती रामरति देवी—

[दिनांक १२-१०-१९७७ को अतारांकित प्रश्न ४ द्वारा उत्तरित ।]

*७०—डाक्टर राम नरायन वर्मा—

[७वें बुधवार के लिए स्थगित]

उर्दू के उत्थान के लिए बनाई गयी योजना

*७१—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने उर्दू के उत्थान हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार दर्जा ८ तक प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू विषय की बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने पर विचार करेगी ?

श्री काली चरण—

जी हां ।

उर्दू के उत्थान के लिए निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :—

१—प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था ।

२—जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं में त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत उर्दू पढ़ाई की व्यवस्था ।

३—प्रदेश में नगरपालिकाओं/नगर महापालिकाओं के प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में एक-एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति ।

४—प्रदेश के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी एक-एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति ।

५—उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में उर्दू की वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई की व्यवस्था ।

६—उर्दू अध्यापकों की उपलब्धि के लिए प्रदेश में चार बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन ।

७--प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली द्वारा बी० टी० सी० प्रशिक्षण।

८--कक्षा १ से ८ तक राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के उर्दू संस्करणों की उपलब्धि।

९--मकतबों के अनुदान को दूना किया जाना।

१०--महाविद्यालयों में जहां उर्दू की व्यवस्था है प्रथम वर्ष में ही संकाय को अनुदान सूची पर लाना।

११--राज्य स्तर पर उर्दू अकादमी की स्थापना।

१२--अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द, लखनऊ को उर्दू माडल स्कूल तथा प्रौढ़ कक्षायें खोलने हेतु अनुदान।

१३--राजकीय कर्मचारियों को उर्दू सीखने के लिए उर्दू प्रवीणता परीक्षा का अयोजन।

१४--उर्दू शिक्षा के निर्देशन के लिए निदेशालय में एक उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) तथा मंडल स्तर पर उप विद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम) की नियुक्ति।

जी नहीं।

*७२--श्री श्रीनारायण--

[दिनांक २९-३-१९७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ८३ द्वारा उत्तरित।]

शिवपति इन्टर कालेज, सोहरतगढ़, बस्ती, में संगीत विषय की मान्यता एवं संगीत अध्यापक का वेतन

*७३--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिवपति इन्टर कालेज, शोहरतगढ़ जिला बस्ती हाई स्कूल कक्षा में संगीत विषय की मान्यता है? यदि नहीं है, तो एक संगीत अध्यापक की नियुक्ति एल० टी० वेतन क्रम में जो की गई वह क्यों की गई इस अवैधानिक कार्य करने के लिए जिम्मेदार कौन है और उसके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी?

श्री काली चरण--

जी नहीं।

एल० टी० वेतन में नियुक्ति नहीं की गई बल्कि सी० टी० वेतनक्रम में नियुक्त अध्यापक को प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर एल० टी० वेतन क्रम अनुमन्य किया गया। प्रबन्धाधिकरण द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण उक्त वेतनमान अनुमन्य किया गया। अतः प्रबन्धाधिकरण इसके लिए जिम्मेदार है। प्रबन्धाधिकरण को निर्देश दे दिये गये हैं कि अधिक भुगतान की गई धनराशि को संबंधित खाते में जमा करें तथा भविष्य में ऐसे मामलों में सजग रहें।

*७४--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[७वें बुधवार के लिए स्थगित]

शिक्षा विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में अनुसूचित जाति का कोटा

*७५—श्री हरीराम शाक्य (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

पात्रता क्षेत्र में अनुसूचित जाति के उपयुक्त/अर्ह अभ्यर्थियों के अभाव के कारण ।

माध्यमिक शिक्षक संघ की हड़ताल एवं मांग

*७६—श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया), श्री बसन्त (जिला देवरिया) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक अध्यापकों की गत हड़ताल की अवधि का वेतन देन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक भुगतान कर दिया जाएगा । क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि अध्यापकों की कौन-कौन मांगें मान ली गई हैं ? यदि हां, तो कब तक वह उन्हें मिल जायगी ?

श्री काली चरण—

हड़ताल की अवधि का वेतन देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है । अतः उसके भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

संलग्नक में अंकित मांगें मान ली गई है ।

यथाशीघ्र ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४३८ पर।)

*७७—श्री राम देव दुबे—

[७वें बुधवार के लिए स्थगित]

राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर के अध्यापकों को यू० जी० सी० के अनुसार वेतनमान देने की मांग

*७८—श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी०० सी०) द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम दिए जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त वेतन-क्रम देने की घोषणा कब तक करेगी ?

श्री काली चरण--

शासन द्वारा इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर उस स्तर की संस्था है या नहीं जिसमें यू० जी० सी०/ए० आई० सी० टी० ई० वेतनक्रम अनुमन्य है तथा यदि है तो किस श्रेणी के अध्यापकों को अनुमन्य होगा।

सरकार की घोषणा वेतनक्रम की अनुमन्यता पर निर्भर है।

सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की छटनी

*७९--श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (३९) उन्तालिस सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं (ए० आई० जी० एस०) की छटनी अभी हाल में ही कर दी गई है जिनकी नियुक्ति जनवरी, १९७८ में रोजगार देने के तहत की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अविलम्ब उक्त प्रकार की निरीक्षिकाओं को सेवाकार्य में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं। प्रसंगत सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति जनवरी, १९७८ में नहीं की गई थी। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्री पी० एल० विजय की कथित प्रोन्नति एवं उनके विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*८०--श्री देवराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग (श्री पी० एल० विजय) की प्रोन्नति अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर इनके विरुद्ध वाराणसी एवं मुरादाबाद सिंचाई मण्डलों में गम्भीर अनियमितताओं के आरोपों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा विचाराधीन होते हुए भी एवं कतिपय वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टियों के बावजूद हाल ही में की गई है ? यदि हां, तो क्या सम्प्रति शासनादेशों को ध्यान में रखा गया है ?

श्री बलवीर सिंह--

श्री हंस कुमार, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को भारत सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए कार्यमुक्त किए जाने पर उनका अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (बाढ़) का कार्य काम चलाऊ व्यवस्था में श्री पी० एल० विजय, वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता को सौंपा गया है। यह प्रोन्नति नहीं है केवल काम चलाऊ व्यवस्था है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ में कतिपय शारदा सहायक खण्डों में पुलिया निर्माण एवं फर्जी परताल के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

१--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ स्थित शारदा सहायक ४३ ढांडा--फैजाबाद शारदा सहायक खण्ड २३ व ३२ में साइफन पुलिया निर्माण (कदमजी) कुल बे लगवाने, फर्जी परताल को दुरुस्त कराने आदि के बारे में प्रश्नकर्ता व जनता द्वारा माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, १९७७ में कुल कितने आवेदन-पत्र दिए गए हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना संलग्नक में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १४३९ पर ।)

आजमगढ़ जिले में कतिपय शारदा सहायक खण्डों के निर्माण के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

२--श्री बयाराम भास्कर--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत शारदा सहायक खंड ३२ व २३ की कुछ शाखाओं को रोकने के लिए प्रश्नकर्ता व जनता द्वारा माह जून, जुलाई व अगस्त, १९७७ में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह--

माह जून, जुलाई एवं अगस्त, १९७७ में क्रमशः शारदा सहायक खंड २३ आजमगढ़ में एक आवेदन-पत्र श्री ईश दत्त, विधायक के माध्यम से प्राप्त हुआ था, तथा शारदा सहायक खंड ३२ आजमगढ़ में एक आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता व जनता से प्राप्त हुआ था ।

शारदा सहायक खंड २३ आजमगढ़ के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही न होने के कारण माइनर की खुदाई बन्द कर दी गई है ।

शारदा सहायक खंड ३२ आजमगढ़ के अन्तर्गत नहर शाखा मोरपुर तकिया का समरेखन मार्च, १९७६ में स्वीकृत हो चुका था एवं मौके पर दागवेलिंग भी करा दी गई थी । उस समय कृषकगण नहर के प्रस्ताव से सहमत थे । स्वीकृत समरेखन पर नहर की पूरी लम्बाई १७-६१ किलोमीटर है जिसकी खुदाई अधिकतर हो गई है। बीच-बीच में फसल खड़ी होने के कारण एवं कुछ कृषकों के अवरोध से केवल ३ किलोमीटर नहर की खुदाई शेष है जो फसल कटने के बाद की जायगी ।

बांदा जिले में ओहन डाईवर्जन वियर सिंचाई योजना का निर्माण एवं मुआवजा का भुगतान

३--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में ओहन डाईवर्सन वियर सिंचाई योजना का निर्माण लगभग दो वर्ष पूर्व हो गया है ? यदि हां, तो इस योजना में किसानों की जो जमीनें अधिग्रहीत की गई है उनमें से कितनी जमीनों का मुआवजा दे दिया गया है और कितना मुआवजा देना शेष है ? शेष मुआवजा न दिए जाने के क्या कारण है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां, इस योजना का निर्माण वर्ष १९७५ में हुआ था । अधिग्रहण भूमि १०.३५ एकड़ के मुआवजे की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा ४५.४१ एकड़ भूमि का प्रतिकर दिया जाना शेष है । अधिकार-पत्र प्राप्ति पश्चात् तथा प्रस्तावित भूमि की राशि के विवरण प्राप्त होने पर मुआवजा की कार्यवाही संभव होगी ।

४—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[६ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया, राजकीय इण्टर कालेज के छात्रावास से छात्रों का निष्कासन

५—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि देवरिया राजकीय इन्टर कालेज के छात्रावास में गत वर्षों से रहने वाले छात्रों को जुलाई, १९७७ में किन कारणों से निकाल दिया गया और अब उनके आवास की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री कालीचरण—

जी हां । राजकीय इन्टर कालेज, देवरिया में जुलाई, १९७७ से आवासीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित छात्रों के लिए छात्रावास में आवास की व्यवस्था किए जाने के फलस्वरूप गत वर्षों से रहने वाले छात्रों को प्रवेश देना सम्भव न हो सका । छात्रावास में स्थानाभाव के कारण इन छात्रों के आवास की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

देवरिया जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति

६—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि देवरिया जिले के किन-किन हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कब-कब साधिकार नियंत्रक नियुक्त किए गए हैं और उन विद्यालयों को पुनः प्रबन्ध समितियों के हाथों में वापस देने के विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुभाष राष्ट्रीय इन्टर कालेज, जिला फैजाबाद के अध्यापक, श्री हरिहर प्रसाद सिंह का निलम्बन एवं वेतन

७—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सुभाष राष्ट्रीय इन्टर कालेज, सैदही, भसौड़ा जनपद, फैजाबाद के प्रबन्धाधिकरण में एक सहायक अध्यापक (श्री हरिहर प्रसाद सिंह) को २४ अप्रैल, १९७५ से निलम्बित कर रखा है और क्या यह भी सत्य है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद तथा उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल द्वारा उक्त अध्यापक के पक्ष में फैसला देने के बावजूद भी विद्यालय का प्रबन्धाधिकरण न तो उक्त अध्यापक को कार्यभार ग्रहण करने दे रहा है और न निलम्बन अवधि का अवशेष वेतन ही अभी तक दिया गया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री कालीचरण—

जी हां । प्रश्नगत विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने श्री हरिहर प्रसाद सिंह को २४ अप्रैल, १९७५ को निलम्बित कर दिया था । तदोपरान्त प्रबन्धक ने अपने पत्र दिनांक २-८-७५ द्वारा श्री सिंह के सेवा विमुक्ति के प्रकरण पर विद्यालय

निरीक्षक से अनुमोदन मांगा। विद्यालय निरीक्षक ने प्रस्ताव अनानुमोदित कर दिया। विद्यालय निरीक्षक के निर्णय से असंतुष्ट प्रबन्धाधिकरण ने मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को अपील प्रस्तुत की। मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ने प्रबन्धाधिकरण की अपील अस्वीकार कर दी एवं विद्यालय निरीक्षक के निर्णय को स्थिर रखा। उक्त निर्णय के अनुसार श्री सिंह के अवशेष वेतन का बिल शीघ्र प्रस्तुत करने एवं उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने हेतु विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धाधिकरण को लिखा गया एवं स्थिरण कराया गया।

नवीनतम सूचना के अनुसार श्री सिंह ने दिनांक १६-३-७८ को कार्यभार ग्रहण कर लिया है एवं उनके निलम्बन अवधि के अवशेष भुगतान सम्बन्धी बिल प्रबन्धक से विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हो गये हैं। उसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मथुरा जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लागू की गयी एकाकी संचालन व्यवस्था

८--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा द्वारा वर्ष १९७६-७७ में कितने विद्यालयों में एकाकी संचालन की व्यवस्था की है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरदार पटेल इन्टर कालेज, शेरगढ़, अकूर इन्टर कालेज छाता, स्वामी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तरौली की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री कालीचरण--

वर्ष १९७६-७७ में मथुरा जिला के नौ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एकाकी संचालन की व्यवस्था लागू की गई।

सरदार पटेल इन्टर कालेज, शेरगढ़ और स्वामी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तरौली में प्रबन्धकीय विवाद है जिनमें एकाकी संचालन की व्यवस्था लागू है। अकूर इन्टर कालेज, छाता, मथुरा में प्रधानाचार्य के निलम्बन का प्रकरण न्यायालय में विवादग्रस्त है।

९--श्री शिव लाल मित्तल--

[११वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती जिले में लिंक मार्ग योजना के अन्तर्गत लिया गया शोहरतगढ़--चेतिया मार्ग

१०--श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताएगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में राजकीय मार्ग बाजार मन्डी रेलवे स्टेशन पक्की सड़कों से लिंक रोड के अन्तर्गत किस-किस मार्ग को लिया गया है? क्या इन मार्गों का निर्माण विचाराधीन है?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में लिंक मार्ग योजना के अन्तर्गत शोहरतगढ़-चेतिया मार्ग का २.०० किलोमीटर भाग स्वीकृत किया गया है जो निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा ९ अन्य कच्चे मार्गों पर मिट्टी का कार्य कराया जा रहा है।

बरेली जिले के सेंथल जादौपुर मार्ग पर देवरनियां और नकटिया नदी पर पुल निर्माण योजना।

११—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बरेली में सेंथल–जादौपुर मार्ग पर नदी देवरनियां और नकटिया पर दो पुल नौ–नौ लाख रुपया की लागत के वर्ष १९७६ में स्वीकृत हुए थे और अब उनका बनाया जाना निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां।

ये दोनों पुल ११·०० लाख रु० की कुल लागत पर वर्ष १९७६ में स्वीकृत हुए थे। उनका बनाया जाना धनाभाव के कारण स्थगित कर दिया गया है।

बरेली की तहसील नवाबगंज के अन्तर्गत लिंक रोड के निर्माण की मांग

१२—श्री चेतराम गंगवार—

क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १५०० तक की आबादी के ग्रामों को मुख्य मार्ग से लिंक रोड द्वारा जोड़े जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में कौन–कौन ग्राम को सड़क बनना इस योजना द्वारा प्रस्तावित है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में १५०० से अधिक आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य तो है पर अभी धनाभाव के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं हो रहा है। यह कार्यवाही (बम्बई योजना) जिले को इकाई मानकर की जा रही है। तहसीलवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या और कर्मचारियों की पदोन्नत तथा सेवा नियमावली

१३—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक इस समय कुल कितने कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं प्रत्येक श्रेणी की संख्या क्या है और प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने अनुसूचित जाति के अधिकारी/कर्मचारी किन–किन पदों पर कार्यरत हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जनपद आजमगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस समय प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक कुल १२० कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है। इनमें से प्रत्येक

श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अनुसूचित जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

श्रेणी	अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
१	२	३
प्रथम श्रेणी	२	..
द्वितीय श्रेणी	९	..
तृतीय श्रेणी	९०	८
चतुर्थ श्रेणी	१९	५
योग ..	१२०	१३

अनुसूचित जाति के कर्मचारी निम्नलिखित पदों पर कार्यरत हैं —

१—अवर अभियन्ता	१
२—मानचित्रकार	१
३—प्रवर लिपिक	४
४—अवर लिपिक	१
५—स्टोर कीपर	१
६—चतुर्थ श्रेणी	५
योग ..	१३

१४—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बतायेंगे कि वर्ष १९७६-७७ व १९७७-७८ म इनमें से कुल कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई और पदोन्नति के लिए सरकार ने क्या नियम बनाया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

वर्ष १९७६-७७ में प्रथम श्रेणी में एक अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्ग) में ५ कर्मचारियों की पदोन्नति हुई । सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए सेवा नियमावली बनाई जा रही है । इस समय द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है । द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति के लिए ७ वर्ष की स्थायी सेवा आवश्यक है ।

द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति सार्वजनिक निर्माण विभाग लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली, १९६५ के नियम १७ व १८ के अनुसार की जाती है। इन नियमों की प्रतियां संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १४४० पर)

लखनऊ जिले के जूनियर हाई स्कूलों के क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान

१५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७० तथा इसके बाद से लखनऊ जिले में मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में ऐसे विद्यालय कितने हैं जिनको अभी तक क्षतिपूर्ति अनुदान का पूरा भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री कालीचरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहराइच के गणित के अध्यापक

१६—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहराइच में हाई स्कूल छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए मात्र दो ही अध्यापक हैं जिनमें से एक की प्रोन्नति करके स्थानान्तरित करने का आदेश हो जाने से गणित अध्यापकों की कमी हो गई है ? यदि हां, तो वित्तीय व्यय भार एवं गणित अध्यापक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रोन्नति वाले गणित अध्यापक को इसी विद्यालय में प्रोन्नति दे देने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं ।

तीन अप्रध्यापकों द्वारा गणित विषय पढ़ाया जा रहा है । प्रोन्नत अध्यापक द्वारा पदोन्नति अस्वीकार कर दिये जाने के फलस्वरूप गणित अध्यापकों की कमी का प्रश्न नहीं उठता । प्रसंगत अध्यापक की प्रोन्नति प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) के पद पर की गई थी । राजकीय इन्टर कालेज बहराइच में प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) का पद स्वीकृत नहीं है । अतः इसी विद्यालय में पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के ब्लाक भीटी के चीनी के कोटेदारों के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी की रिपोर्ट

१७—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक के चीनी के दो कोटेदारों के स्टाक का सत्यापन करने में जुलाई, १९७७ में ब्लाक के अधिकारियों को पुलिस सहायता लेनी पड़ी और क्या यह भी सत्य है कि खंड विकास अधिकारी भीटी ने दिनांक ८ नवम्बर, १९७७ को इस बारे में जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक लिखित रिपोर्ट भी की है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जी हां । खंड विकास अधिकारी ने अपनी ८ नवम्बर, १९७७ की रिपोर्ट में कहा था कि चीनी कोटेदार सर्वश्री दल बहादुर सिंह और हंकार सिंह लेवी चीनी का स्टाक फैजाबाद से भीटी नहीं लाते हैं और स्टाक चोरबाजारी में बेच देते हैं । ये दोनों सरकश और शातिर कोटेदार हैं । सामान्य ग्रामीण इनसे चीनी पाने में समर्थ नहीं हैं । जांचोपरान्त पाया गया कि चीनी वितरण के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पायी गई ।

रायबरेली की इन्होना-बाजार शुकुल सड़क को पक्का किये जाने की मांग

१८--श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इन्होना, तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली से जो सड़क बाजार शुकुल को जाती है उसको इस वर्ष १९७७-७८ में पक्की बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

अधिग्रहीत जिला परिषद्, बस्ती के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का प्राविडेन्ट फन्ड

१९--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व जिला परिषद्, बस्ती पर अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का प्राविडेन्ट फन्ड का हिसाब ठीक-ठीक तैयार नहीं था ? यदि हां, तो क्यों और अध्यापक एवं अध्यापिकाओं तथा अन्य कर्मचारियों का बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व किस-किस प्रकार का कितना धन बकाया था, उसे कितना अदा किया गया है और कितन अदा करना शेष है ?

श्री कालीचरण--

जी हां । बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व जिला परिषद्, बस्ती में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के प्राविडेन्ट फन्ड का लेखा-जोखा अपूर्ण था, इसका कारण जिला परिषद् के कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या में कमी बतायी गयी है । बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व ही जिला परिषद्, बस्ती का रिकार्ड सील्ड कर दिया गया था, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि किस-किस प्रकार का कितना धन बकाया है । फिर भी हिसाब-किताब पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है और यथासम्भव प्रमाण प्राप्त करके भुगतान किया जा रहा है । ३२०२९·७४ रु० का भुगतान कराया जा चुका है ।

वाराणसी जिले के जूनियर हाई स्कूलों के मृत अध्यापकों का प्राविडेन्ट फण्ड व वेतन का भुगतान

२०--श्री बलदेव (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वाराणसी जिले के सभी जूनियर हाई स्कूलों के किन-किन अध्यापकों को, जिनकी मृत्यु हो गई (१९६८ से आज तक) का बकाया वेतन तथा प्राविडेन्ट फण्ड का धन उनके आश्रितों को अभी तक नहीं मिला है तथा क्यों ? क्या सरकार ऐसे धन को अविलम्ब दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण—

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद वाराणसी के जूनियर हाई स्कूलों के कुल ४६ अध्यापकों की मृत्यु १९६८ से अब तक हुई है जिनमें से १० अध्यापकों के आश्रितों को अध्यापकों के बकाया वेतन तथा प्राविडेंट फण्ड की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि आश्रितों ने इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि मृतक अध्यापकों के आवासीय पते पर उनके आश्रितों से सम्पर्क स्थापित करें और नियमानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त करके बकाया धनराशि का भुगतान यथाशीघ्र करायें।

२१—श्री देव बहादुर सिंह—

[पुनरावृत्ति आधार पर निरस्त]

बिजनौर की तहसील नगीना के कतिपय ग्रामों के राजकीय नलकूपों की नालियां

२२—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बिजनौर के अन्तर्गत तहसील नगीना में परगना वणपुर में ग्राम मिहोपुर इस्माइलपुरदर्मा बांसों वाला, तैयोपुर आदि ग्रामों में जो राजकीय नलकूपों से सिंचाई के लिए पक्की नालियां बनाई गई हैं वे एक वर्ष में ही टूट गई हैं जिससे सिंचाई के कार्यों में काश्तकारों को असुविधा होती है? यदि हां, तो उनकी मरम्मत कब तक करा दी जाएगी?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं।

उक्त क्षेत्र में नलकूपों से सिंचाई के लिए बनाई गई पक्की नालियां ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं। प्रश्न में दिये गये ग्राम मिहोपुर न होकर मिट्ठोपुर है जहां अभी तक पक्की गूल का निर्माण नहीं हुआ है। अतः गुलों की मरम्मत का प्रश्न नहीं उठता।

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्रवक्ता, श्री चन्द्र प्रकाश हिंगोरानी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

२३—श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९७५ में मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्रवक्ता चन्द्र प्रकाश हिंगोरानी के विरुद्ध एक माह में जांच करने हेतु सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग को एक सदस्यीय जांच समिति के रूप में नियुक्त किया था? क्या उक्त जांच की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त इसकी रिपोर्ट शिक्षा मन्त्री जी को प्रस्तुत की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरण--

सचिव, प्राविधिक शिक्षा की एक सदस्यीय जांच समिति श्री चन्द्र प्रकाश हिंगोरानी, प्रवक्ता, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कलेज, गोरखपुर के विरुद्ध जांच करने के लिए अक्तूबर, १९७५ में नहीं वरन अगस्त, १९७४ में बनाई गई थी। इस समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अवधि की कोई शर्त नहीं लगाई थी।

२--ज्ञातव्य है कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर एक स्वशासी संस्था है जिसकी एक प्रशासकीय परिषद् है। उपर्युक्त जांच समिति ने अपनी जांच पूरी कर इस मामले की रिपोर्ट जून, १९७५ को परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी थी।

गैर सरकारी सहायता एवं मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-मान में असमानता

२४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी सहायत एवं मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन संदाय, गैर सरकारी मान्यत प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समान न किए जाने का क्या कारण है तथा यह विधि कब से लागू कर दी जाएगी ?

श्री कालीचरण--

मामला शासन के विचाराधीन है।

२५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[१२-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत उत्तरित]

ललितपुर में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल तथा राजकीय हाई स्कूल की स्थापना की मांग

२६--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष १९७७-७८ में ललितपुर जिले में कितने नए बेसिक प्राथमिक प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल खोलने का विचार है और उक्त स्कूल कब तक खोले जायेंगे ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष ललितपुर जिले में कितने नये बी० टी० सी० अध्यापक और अध्यापिकाओं की भर्ती की जा रही है ?

श्री काली चरण--

जनपद ललितपुर में वर्ष १९७७-७८ में २० मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल तथा ९ सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नये राजकीय हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। विगत वित्तीय वर्ष में ३३४ बी० टी० सी० अध्यापक/अध्यापिकाओं की नवीन नियुक्तियां करने की कार्यवाही की गई।

२७-२८--श्री देवराम--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिये]

प्रधानाचार्या, लक्ष्मण प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालेज, मथुरा का त्याग पत्र एवं वेतन

२९--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस प्रकार की जानकारी है कि लक्ष्मण प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालेज, मथुरा की प्रधानाचार्या को बालिका विद्यालय निरीक्षिका, आगरा के बगैर अनुमोदन के दिनांक २० सितम्बर, १९७० से सेवामुक्त कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उन्हें आज तक उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त बकाया का भुगतान कर दिया जावेगा ?

श्री काली चरण--

जी नहीं, कथित प्रधानाचार्या ने त्याग पत्र दिया था अतः सेवामुक्ति के अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता। इनका त्याग-पत्र प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक १७ सितम्बर, १९७० के प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया। उन्हें २० दिन का अवशेष वेतन आज तक इस कारण नहीं दिया गया कि उनके ऊपर २०३.७७ रु० चार्ज देते समय बकाया था। आवश्यक समायोजन के उपरान्त उनके अवशेष भुगतान कराने हेतु आदेश दिये जा रहे हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में आप ने व्यवस्था दी है कि इधर का प्रश्न होगा तो इतने प्रश्न अनुपूरक पूछे जायेंगे और उधर का होगा तो इतने होंगे। मान्यवर, अगर यही व्यवस्था रही तो प्रश्नोत्तरकाल का जो उद्देश्य है वह खत्म हो जायगा। मेरा निवेदन है कि ऐसी अगर व्यवस्था रही तो बहुमत शासक दल का है ज्यादा प्रश्न भी शासक दल की तरफ से आयेंगे, ज्यादा अनुपूरक प्रश्न आयेंगे। मैं समझता हूं मान्यवर, कि प्रश्नोत्तर काल में दल का सवाल नहीं होना चाहिए चूंकि जो प्रश्न हैं वे पूरे प्रदेश की समस्याओं के बारे में हैं जिनके बारे में पूरे सदन के सदस्य चाहे इस तरफ के माननीय सदस्य हों चाहे उस तरफ के सदस्य हों की दिलचस्पी होती है। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था न रखें बल्कि आप को अपने विवेक पर कोई ऐसी बन्दिश नहीं लगानी चाहिए। आप स्वयं समझते हैं कि कुछ क्षेत्रीय प्रश्न हैं क्षेत्रीय विधायकों को प्रश्न करने का अवसर देते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूरे प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं और उस ढंग से अनुपूरक प्रश्नों की इजाजत देते हैं। मैं समझता हूं यह पुरानी परम्परा है जो लोक सभा में भी है, राज्य सभा में भी है और इस सदन में भी रही है। इसको आप कायम रखें।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नियम बना दिया है। जैसा उस रोज तय किया गया था कि प्रायः पांच मिनट का समय एक प्रश्न का हो। विशेष परिस्थिति में उसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसकी कोशिश की जाय कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो सकें। इसी पर अमल किया जायगा। आवश्यक हुआ तो आप से भी परामर्श इस बारे में कर लिया जायगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, प्रश्न काल में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो राजनीतिक तथा स्थानीय राजनीतिक होते हैं। एक दो दफा इंदिरा गांधी का प्रश्न राजनीतिक था लेकिन मेरठ का स्थानीय प्रश्न भी था। मेरा आप से यह आग्रह है कि ऐसे प्रश्न पर क्या यह उचित नहीं होगा कि उस में प्रश्न करने के लिए आप क्षेत्रीय विधायक को आज्ञा न दें।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसमें अभी तो गोविन्द सिंह नेगी जी ने कहा था। आप उसके विरुद्ध कह रहे हैं। प्रश्न मेरठ का हो उससे ज्यादा जानकारी बुलन्दशहर के आदमी को हो सकती है। इसलिये कोई नियम नहीं बनाया जा सकता।

बहराइच जिले के विकास खंड सिरसिया व हरिहरपुर रानी के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड से क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मैं आपके माध्यम से बहराइच जिले के विकास खंड सिरसिया व हरिहरपुर रानी में हुए भयंकर अग्निकांड एवं उससे हुई जन धन हानि की ओर इस सम्मानित सदन के संज्ञान में लाने की सूचना देता हूं।

इसी अप्रैल १९७८ के प्रारम्भ से ले कर अब तक ग्राम नीकगारी में ८५ घरफूस व खपरैल के जले, ७ बकरियां आग में जल कर मर गईं तथा दो व्यक्ति व दो महिलायें आग की लपटों में झुलस कर घायल हुए। सवा लाख रुपये की क्षति हुई। इसी प्रकार ग्राम पिपरी में ६३ घर जले, कई जानवर जल कर मरे और एक लाख रुपये की जन धन की हानि हुई। ग्राम धर्मनगर (अलीनगर) में बीसों घर जल कर राख हो गये। करीब ५० हजार रुपये का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार ग्राम गोपालपुरवा में ५ घर तथा ग्राम कोहल में एक मजरे के तीन घर जल कर राख हो गये और हजारों की सम्पत्ति अग्नि की भेंट हो गई।

मान्यवर, कुछ अग्नि पीड़ित गांवों को मौके पर जा कर मैंने भी देखा है। इस चिलचिलाती धूप में औरतें व बच्चे मैदान में पड़े बिलख रहे हैं। अग्नि पीड़ितों की हालत दयनीय है। अनाज व कपड़े जल कर नष्ट हो गये हैं। शासन की ओर से अपेक्षित सहायता अब तक नहीं हो पाई है। लोक प्रिय जनता सरकार से मैं मांग करता हूं कि इन अग्निपीड़ितों को तुरन्त जंगल से लकड़ी व फूस की सहायता दिलाई जाय। अहेतुक सहायता के साथ ही साथ पर्याप्त तकावी दी जाय तथा तुरन्त उनके कपड़े व अनाज की व्यवस्था भी की जाय एवं अग्नि पीड़ितों की सम्पूर्ण बकाया लगान आदि की वसूली तत्काल रोक दी जाय।

अतएव मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना इस सदन को राहत पहुंचाने हेतु देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जौनपुर में आरक्षण के मामले को लेकर निकाले गए छात्रों के जुलूस पर कथित लाठी चार्ज के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री कमला प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर)--

निवेदन है कि जौनपुर जनपद में कुछ छात्रों ने दिनांक १२ अप्रैल, ७८ को आरक्षण के विरोध में रोडवेज बस स्टेशन पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने हेतु एक मांग-पत्र देकर १ बजे दिन में छात्र अपने-अपने घर चले गए। उसके बाद दिनांक १४ अप्रैल, ७८ को सिटी रेलवे स्टेशन पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किये। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण था परन्तु छात्रों की उप-पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने बर्बरतापूर्ण पिटाई की तथा मां-बहन की गाली दी। उसके बाद उन छात्रों पर गलत मुकदमा दर्ज करके जिला जेल, फर्रुखाबाद भेज दिया। जौनपुर जेल में छात्रों को नहीं रखा गया।

मान्यवर, इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों को परेशान करने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। छात्रों को खाने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। छात्र परेशान हैं और करीब-करीब अधिकांश छात्र ग्रेजुएट हैं। उन्हें बी क्लास भी नहीं दिया गया है। कैदियों के साथ रखा गया है। हमें सूचना मिली है कि छात्र अनशन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

मान्यवर, प्रशासन के इस प्रकार के आतंक से जनता में बड़ा रोष है। अतः गिरफ्तार छात्रों को अविलम्ब रिहा किया जाय अन्यथा छात्रों में इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हो सकती है।

बाराबंकी जनपद के किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य न मिलने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बाराबंकी जनपद के किसानों को गन्ने का मूल्य न मिलने के कारण उनकी दयनीय एवं चिन्तनीय स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वर्ष १९७७-७८ में कृषकों ने जो गन्ना बाराबंकी तथा बुढ़वाल शक्कर मिलों को सप्लाई किया है उसका मूल्य नियमित रूप से नहीं मिल पाया। बुढ़वाल शकर मिल में अब तक ११ मार्च तथा बाराबंकी शकर मिल में २० मार्च तक की गन्ना सप्लाई का ही मूल्य मिल पा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि पिछले वर्षों की भांति इस सीजन का भी गन्ने का मूल्य अन्ततोगत्वा बकाया रह जायगा।

श्रीमन्, गत वर्ष का लाखों रुपया किसानों का इन मिलों पर बकाया है। जिसकी अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आती है और फिर इस वर्ष भी बकाया रह जाय, यह किसानों के साथ बड़ा अन्याय होगा।

मान्यवर, बाराबंकी जनपद में गन्ना व पोस्ता किसानों की मुख्य नकदी फसलें हैं जिनकी आमदनी पर किसान की गृहस्थी निर्भर करती है। पोस्ता तो ओला पड़ जाने से चौपट हो गया है। गन्ने का मूल्य भी यदि न मिल पाया तो किसानों के सामने एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायगी। अधिकांश किसानों पर कोई न कोई सरकारी देय बकाया है जिसकी वसूली भी सख्ती से हो रही है। ऐसी स्थिति में वे किंकर्त्तव्यविमूढ़ हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अशर्फी लाल यादव---]

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि सरकार बाराबंकी जनपद के किसानों के चालू सीजन के गन्ने के कुल भुगतान की अविलम्ब व्यवस्था करें । तथा पिछले वर्षों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान का कोई हल निकाले ।

मान्यवर, इसी के साथ मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी बाराबंकी जनपद मे एक बड़ी तादाद में गन्ना खेतों में खड़ा है। फिर भी मिलों के बन्द कर देने की नोटिसें जारी कर दी गई हैं। यदि मिलें बन्द हो जाती हैं तो किसान का हजारों क्विन्टल गन्ना बरबाद हो जाएगा ।

अतः सरकार इन मिलों को अभी कुछ समय और चालू रखने की व्यवस्था करें ताकि गन्ना किसान नुकसान से बच सकें ।

बहेड़ी स्थित गन्ना उत्पादक डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य पर प्राणघातक हमला एव कालेज खुलवाये जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बरेली जिले में बहेड़ी स्थित गन्ना उत्पादक डिग्री कालेज गत ३ मार्च, १९७८ से अभी तक बन्द है । पढ़ाई के कार्य की भीषण क्षति हो रही है । उसी दिन कालेज के प्रधानाचार्य पर दिन दहाड़े उनके घर में घुस कर प्राणघातक हमला किया गया । वह घायल हो गए । घटना पुलिस चौकी के बिलकुल समीप हुई । पूरे नगर में कुछ असामाजिक तत्वों ने उत्पात तथा आतंक मचा कर ऐसी दशा उत्पन्न कर दी है कि कालेज बन्द हो गए हैं ।

मान्यवर, अभी तक प्रशासन, शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति को सामान्य नहीं बना पाया है कि जिससे कालेज खुले तथा अध्यापक शान्तिप्रिय छात्र सुरक्षा का अनुभव कर कालेज जा सकें । तनाव निरन्तर बढ़ रहा है । कालेज भवन को भी क्षति पहुंचाई गई है । परीक्षा के दिन समीप आ रहे हैं, परन्तु अभी तक कालेज खुलने की कोई संभवाना नहीं है ।

मान्यवर, प्रधानाचार्य पर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई गई है । परन्तु अभी तक हमलावरों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । लोग खुलकर नगर में घूमकर प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं । प्रधानाचार्य को मार डालने की योजना बनाई जा रही है । यदि प्रधानाचार्य को घायल करने वालों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही न की गई और कालेज खुलवाने का अविलम्ब प्रबन्ध न किया गया तो स्थिति असामान्य बन सकती है ।

अतएव माननीय गृह मन्त्री एवं शिक्षा मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वह मामले में हस्तक्षेप कर शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, कछला, बदायूं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, कछला, बदायूं में वर्षों से व्याप्त घोर भ्रष्टाचार व उत्पीड़न और अत्याचार की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, उपर्युक्त संस्था के प्रबन्धक विगत १७ वर्ष से इसे अपनी इच्छा पूर्ति का केन्द्र बनाए हुये हैं। इसका सैकड़ों एकड़ का कृषि फार्म स्वामी जी व उनके स्वार्थ मंडली की आय का स्रोत है। अत्याचार से पीड़ित हो अब तक कालेजों को ११ प्रधानाचार्य छोड़ चुके हैं अथवा भगा दिए जाते हैं।

विगत वर्षों में यह कालेज कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं की छत्रछाया में व्यक्तिगत स्वार्थों का अड्डा रहा है।

रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली ने दिनांक २८-१-७८ को शासन को एक प्रस्ताव भेजकर इस कालेज का प्रबन्ध सरकार द्वारा शीघ्र अधिग्रहण करने के लिए संस्तुति की है।

१३ अक्तूबर को बदायूं जिले के समस्त विधायकों ने अपने हस्ताक्षरों से आपन माननीय मुख्य मंत्री व शिक्षा मंत्री को दिया।

श्री ओकार सिंह, एम० पी० ने कई बार शासन को लिखा है लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। क्षेत्रीय जन सम्मेलन द्वारा कई बार प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

मेरी मांग है कि इस संस्था को बचाने के लिए कालेज को सरकार अपने हाथों में ले ले।

छानवे ब्लाक, मिर्जापुर के अन्तर्गत रबी की खेती में कीड़ा लग जाने से नुकसान के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मिर्जापुर जिले के छानवे ब्लाक में एक छानवे हजार बीघे का इलाका है। यह इलाका गंगा नदी के दक्षिण तरफ स्थित है। इस छानवे हजार बीघे की खेती में इस वर्ष लगभग ७५ हजार बीघे खेती, रबी की जो कीड़ा लग जाने से पूर्णतः नष्ट हो गई, अधिकतर यहां रबी में चना होता है। इस इलाके में इस कारण भुखमरी की हालत पैदा हो गई है। अभी तक सरकार ने न कोई प्रयोग कार्य खोला न कोई राहत कार्य किए। वहां हाहाकार मचा हुआ है। इस सूचना द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें सरकार क्या कर रही है और आगे करने का क्या विचार कर रही है और पूरी स्थिति सही क्या है?

बड़ी कृपा होगी यदि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय कृषि मंत्री से इस पर वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।

अकबरपुर, फैजाबाद में स्थापित होने वाली किसान सहकारी चीनी मिल को आजमगढ़ में स्थानान्तरित किए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं जिला फैजाबाद में बनने वाली किसान सहकारी चीनी मिल, अकबरपुर को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस क्षेत्र से हटाकर आजमगढ़ के सम्बन्धित क्षेत्र में ले जाने और नटवर लाल क्षेत्र, अकबरपुर के द्वारा नियमों के विपरीत कर्मचारियों को निकालने और भर्ती किए जाने की अनियमितता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी राम वर्मा—]

मान्यवर, किसानों का गन्ना खेतों में सूख रहा है किसान जल रहा है इसी बीच यह जानकारी मिली कि मुख्य मंत्री जी उक्त चीनी मिल को यहां से हटाकर आजमगढ़ की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस खबर से गन्ना किसानों, श्रमिकों, बेरोजगार नवयुवकों में बेचैनी तथा सनसनी और असंतोष व्याप्त हो गया है। जन सभाओं द्वारा जनता सरकार को किसान विरोधी प्रचार करके बदनाम किया जा रहा है।

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जिला जौनपुर के० एम० शुगर मिल, मसौधा के क्रय क्षेत्र में गन्ना उत्पादन क्षेत्रफल उत्पादन की मात्रा और खरीद की मात्रा मिल के गन्ना पेरने की क्षमता के विपरीत कितना क्रय किया है। यदि तीन वर्ष के आंकड़े देखे जायं तो स्पष्ट हो जायगा कि अकबरपुर में किसान सहकारी चीनी मिल का शीघ्र लगना किसानों के हित में है। इन चीनी मिलों ने उक्त किसान सहकारी चीनी मिल, अकबरपुर, फैजाबाद की क्रय सीमा में इस कारण गन्ना की खरीद कम की है ताकि इस क्षेत्र में चीनी मिल न लग पायें।

मान्यवर, किसान सहकारी चीनी मिल अकबरपुर, फैजाबाद के क्रय क्षेत्र के प्रत्येक क्रय केन्द्र के ग्रामों की संख्या क्षेत्रफल गन्ना उत्पादन की मात्रा आफर एवं इण्डेन्ट से स्पष्ट हो जायेगा। उक्त दोनों मिल किसानों का गन्ना नहीं ले रहे हैं।

किसान सहकारी चीनी मिल की प्राविजनल समिति का गठन पंजीकृत उप विधि के विपरीत निर्बल वर्ग के स्थान पर शराब के ठेकेदार को और ऐसे लोगों को रखा गया है जो गन्ना किसान नहीं हैं। यदि यह कहा जाय कि उपरोक्त मिल के संचालक मन्डल के सदस्यगण किसान नहीं हैं इसी कारण किसान सहकारी चीनी मिल, अकबरपुर, फैजाबाद का हिस्सा नहीं जमा हो पा रहा है। अभी हाल में अकबरपुर क्षेत्र के नटवर लाल ने मिल पर जबरदस्ती प्रबन्धक पद पर कब्जा कर दिया और जीप के ड्राइवर को निकाल दिया और उद्योग अनुभाग–६ के शासनादेश सं० ४७०४ एस० सी०/१८/६/१२३/७७, दिनांक ३ अक्तूबर, १९७७ के विपरीत कर्मचारियों की नियुक्ति की है। इस घटना से गन्ना किसानों में बड़ा असंतोष व्याप्त है क्योंकि तथाकथित प्रबन्धक किसान सहकारी चीनी मिल, फैजाबाद अपने चहेतों को नियुक्त करके राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आशा है कि अध्यक्ष महोदय इस विषय पर अनुज्ञा प्रदान करेंगे।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (१९७६–७७)*

(मुख्य मंत्री) श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्य कलापों के सम्बन्ध में तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (१९७६–७७) का शासनादेश संख्या ए–३००१/२५–सी० एक्स०(ए)–६४, दिनांक ८ जुलाई, १९६४ के पैरा ४ (च) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

*छापा नहीं गया।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना की ४ सूचनाएं आज मुझे प्राप्त हुई हैं। एक श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी ने माननीय गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध, दूसरी श्री आरिफ मोहम्मद खां ने मुख्य मंत्री के विरुद्ध और तीसरी श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने इलाहाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक 'अमृत प्रभात' के सम्पादक तथा पी० टी० आई० के संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचनाएं दी हैं और एक चौथी सूचना श्री जयशंकर पान्डेय ने श्री श्रीराम द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में दी है। अभी मैंने इनको देखा नहीं है। आज देखने के बाद कल इस पर विचार करूंगा।

विविध विषय

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मैंने नियम ३०१ में सूचना दी थी। उस पर आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री अध्यक्ष--

निर्णय ऐसा है, जिनको बुलाते हैं उनकी सूचनाएं स्वीकार होती हैं। जिनको नहीं बुलाते हैं अस्वीकृत होती हैं। उनको सदन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

बड़े तात्कालिक महत्व की सूचना मैंने दी थी। आपने किस कारण ग्राह्य नहीं किया ?

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरी सूचना को नहीं लिया। नैनी में मजदूरों पर बार-बार लाठी चार्ज हुआ।

श्री अध्यक्ष--

जब नियम ५१ का प्रश्न आयेगा तो उस वक्त सूचना मिलेगी। मेरे सामने है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मैंने नियम ३०१ की जो सूचना दी है, जितनी सूचनाएं स्वीकार की हैं सबसे महत्व की है। एक जाटव स्त्री के साथ बलात्कार होता है उसकी दरोगा जांच करने जाता है वह उस स्त्री के साथ बलात्कार करता है।

श्री अध्यक्ष--

आप उसे पुनः उठा रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह आपको अस्वीकार है। यह आपके विवेक की परीक्षा है।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए कोई लाटरी की व्यवस्था कीजिए। यह आपका अनुचित आक्षेप है।

दिनांक १८ अप्रैल, १९७८ को दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि जब हम एक न्यायालय के रूप में इस सदन के अवमान के प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं। इस अवसर पर

[श्री अध्यक्ष—]

माननीय सदस्यों से गम्भीरता और शालीनता की अपेक्षा की जाती है। सदन में कल दीर्घा से दो व्यक्तियों ने पर्चे फेंके तथा दीर्घा में नारे लगाये जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ। मार्शल ने उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले लिया और सदन के १८ अप्रैल, १९७८ के निश्चयानुसार उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में विचाराधीन बन्दी के रूप में रखा गया और आज ११ बजे उन्हें मार्शल उक्त कारागार से अपनी अभिरक्षा में यहां ले आये हैं। चूंकि यह घटना सदन के सामने हुई थी, अतः सदन इस पर स्वयं निर्णय ले सकता है।

मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि वे उक्त दोनों व्यक्तियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(दोनों अभियुक्त सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर।)

(एक से)—

आप का नाम दिनेश सिंह गहमरी है और (दूसरे से) आपका नाम माता बन्दन सिंह है ?

अभियुक्तगण—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

कल १८ अप्रैल को अपराह्न ४ बजकर ४० मिनट पर आपने परचे फेंके और नारे लगाए थे ?

अभियुक्तगण—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं कि आपकी इस कार्यवाही से सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी ?

अभियुक्तगण—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप मानते हैं कि आपने भूल की है, सदन का अपमान किया है ?

(अभियुक्तगण मौन रहे।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए।

(अभियुक्तगण से)—

आप इसके लिए अपनी भूल स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं ?

(अभियुक्तगण मौन रहे।)

श्री अध्यक्ष--

जुर्म मानने को तैयार हैं या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

श्री अध्यक्ष--

आप मानते हैं कि अपराध किया है या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, अपनी अभिरक्षा में जब तक सदन का फैसला न हो ले जायें ।

श्री दिनेश सिंह गहमरी (अभियुक्त)--

अपनी मांगों को आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है उसका उत्तर दीजिए । आपको पास किसने दिया था ?

श्री दिनेश सिंह गहमरी--

लड़के जा रहे थे, उन्हीं से मांगे थे ।

श्री माता बन्दन सिंह (अभियुक्त)--

मैंने तो पाया था । एक आदमी जीने पर जा रहा था उसके हाथ में चार पांच पास थे । एक पास उसमें से गिर पड़ा उसको मैंने उठा लिया । मैंने देखा कि उस पर १८ तारीख पड़ी है ।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, आप अपनी अभिरक्षा में ले जायं ।

(श्री दिनेश सिंह गहमरी और श्री माता बन्दन सिंह को मार्शल सदन से बाहर ले गए ।)

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, आप मेरी एक बात सुन लें ?

श्री अध्यक्ष--

आप क्या इसी सम्बन्ध में कह रहे हैं ?

श्री मधुकर दिघे (संसदीय कार्य मंत्री)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १८ अप्रैल, १९७८ को दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में पर्चे फेंक कर तथा दीर्घा में नारे लगाकर दो व्यक्तियों ने जो अपना नाम क्रमशः श्री दिनेश सिंह गहमरी, निवासी गाजीपुर तथा श्री माता बन्दन सिंह, निवासी देवरिया बताते हैं सदन का अपमान किया है । अतः सदन यह आदेश देता है कि माननीय अध्यक्ष उक्त दोनों व्यक्तियों को आज सदन में शास्ति करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि १८ अप्रैल, १९७८ को दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में पर्चे फेंक कर तथा दीर्घा में नारे लगाकर दो व्यक्तियों ने, जो अपना नाम क्रमशः श्री दिनेश सिंह गहमरी, निवासी गाजीपुर तथा श्री माता बन्दन सिंह, निवासी देवरिया बताते हैं, सदन का अवमान किया है। अतः सदन यह आदेश देता है कि माननीय अध्यक्ष उक्त दोनों व्यक्तियों की आज सदन में शास्ति करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, दोनों व्यक्तियों को यहां पर ले आवे।

(मार्शल दोनों व्यक्तियों को सदन में लाये और कटघरे में खड़ा किया।)

श्री अध्यक्ष—

श्री दिनेश सिंह गहमरी और श्री माता बन्दन सिंह, आपने १८ अप्रैल, १९७८ को ४ बज कर ४० मिनट अपराह्न के समय दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंक कर और दर्शक दीर्घा में नारे लगा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया है। इसके अतिरिक्त आपने गलत नाम से प्रवेश-पत्र जारी करा कर तथा मांगने पर उसे न दिखा कर यह बताया कि उसे खा लिया है। सदन ने इसके लिए आप को सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान का दोषी पाया है तथा मुझ यह आदेश दिया है कि आपके उपर्युक्त अपराधों के लिए आपकी शास्ति की जाये। स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते आपसे तथा सभी से यह आशा की जाती है कि इस आदरणीय सदन की मर्यादा और गौरव को अक्षुण्ण रखें। आपका व्यवहार इस सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत रहा, अतः मैं सदन के नाम पर तथा उसके आदेशानुसार आप दोनों को इस सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के अपराध के लिए शास्ति करता हूं।

अब आप सदन छोड़ कर जा सकते हैं। मार्शल, आपको बाहर ले जाया जाय।

दिनांक १८ अप्रैल, १९७८ को सदन से निकाले जाने के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद सिंह का स्पष्टीकरण

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, कल १८ अप्रैल को जब मैं सदन में आपकी आज्ञा से बोल रहा था तो उस समय में पंत नगर की घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा करने की मेरी बिलकुल इच्छा नहीं थी लेकिन चूंकि गृह मंत्री, भारत सरकार और हमारे मुख्य मंत्री (उत्तर प्रदेश) ने हमारी पार्टी पर यह चार्ज लगाया था कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दल की वजह से वहां पर यह घटना घटी। जब मैं कहने जा रहा था तो सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करने लगे। मैं केवल स्पष्टीकरण की बात कह रहा था। मैं इंगित भी कर रहा था। आप उनको शांत न कर पाये लेकिन मुझे घसीट कर निकाला गया। मान्यवर, अपनी बात कह कर मैं बैठना चाहता था। हिन्दुस्तान में पंत नगर की जहां पर बीसियों लोग मर गये, अदभुत घटना थी। मेरी पार्टी पर जो चार्ज लगा था उस पर मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए था। आप अपने विवेक से सोचें कि यह बात कहां तक उचित थी?

दिनांक १८ अप्रैल, १९७८ को सदन से निकाले जाने के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद सिंह का स्पष्टीकरण १३६७

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न किया उसका कोई औचित्य नहीं है। आपके अनुरोध पर मैंने आपको अवसर दिया। जब आपको बोलते हुए २ मिनट का समय हो गया तो मैंने आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि आप बैठ जायं परन्तु बार-बार मेरे आग्रह करने पर आप नहीं बैठे। अब आप बहस में न पड़िए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, ट्रेजरी बैन्चेज की ओर से जब हंगामें की सूरत पैदा होती है तो आप चूंकि वहां पर बैठे हैं आपको इन्हें शान्त करना चाहिए न कि मुझे घसीट कर निकालें।

श्री अध्यक्ष--

मैं सभी लोगों को रोकता हूं। आपने स्वयं कहा था कि मुझे एक मिनट का समय दे दिया जाय। आपने अपनी बात २ मिनट से ज्यादा कही मैंने तो उस समय अपने आदेश को निरस्त करके आपको बोलने का आदेश दिया था। अब आप बैठिए।

लोक लेखा समिति (१९७७-७८) के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा दिनांक १७ अप्रैल, १९७८ को लोक लेखा समिति (१९७७-७८) के लिए निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित किए गये हैं :--

(१) श्री अब्दुल हलीम खां (मेरठ)।

(२) श्री ऊदल (वाराणसी)।

(३) श्री ओंकार सिंह (मथुरा)।

(४) श्री काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन (सहारनपुर)।

(५) डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (आगरा)।

(६) श्री कृष्णाराय (देवरिया)।

(७) श्री गुरु दत्त सोलंकी (आगरा)।

(८) श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (बस्ती)।

(९) श्री जगन्नाथ प्रसाद (खीरी)।

(१०) श्री दीना नाथ सेवक (रायबरेली)।

(११) श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (देहरादून)।

(१२) श्री धर्म वीर सिंह (बिजनौर)।

(१३) श्री बाबू बदरे (कानपुर)।

[श्री अध्यक्ष—]

(१४) श्री बेनी प्रसाद माधव (बुलन्दशहर) ।

(१५) श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाराबंकी) ।

(१६) श्री मुकीमुर्रहमान (मुरादाबाद) ।

(१७) श्री मुजफ्फर हसन (इलाहाबाद) ।

(१८) श्री मोहन सिंह (देवरिया) ।

(१९) श्री रमा शंकर कौशिक (मुरादाबाद) ।

(२०) श्री श्यामधर मिश्र (वाराणसी) ।

(२१) श्री हिम्मत सिंह (बुलन्दशहर) ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ की बैठक में सदन के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं :—

बुधवार, दिनांक ३ मई, १९७८, गुरुवार दिनांक ४ मई, १९७८ तथा शुक्रवार दिनांक ५ मई, १९७८ को सदन का उपवेशन न हो और शनिवार दिनांक २९ अप्रैल, १९७८ को एक बजे अपराह्न से ६ बजे अपराह्न तक सदन का उपवेशन हो तथा गुरुवार दिनांक १८ मई, १९७८ को सदैव की भांति ११ बजे पूर्वाह्न से सदन का उपवेशन हो ।

शनिवार, दिनांक १३ मई, १९७८ को असरकारी कार्य न लिया जाय और उसके स्थान पर दिनांक १८ मई, १९७८ को असरकारी कार्य लिया जाय ।

दिनांक २८ अप्रैल, १९७८ तथा २९ अप्रैल, १९७८ को आधे दिन सिंचाई मंत्री से सम्बन्धित अनुदान लिये जायं तथा २९ अप्रैल, १९७८ को शेष आधे दिन न्याय एवं कारागार मंत्री से सम्बन्धित अनुदान लिये जायं ।

सोमवार, दिनांक १ मई, १९७८ को सहकारिता मंत्री से सम्बन्धित अनुदान लिये जायं ।

बुधवार, दिनांक १० मई, १९७८ को ग्राम्य विकास मंत्री से सम्बन्धित अनुदान लिये जायं ।

शनिवार, दिनांक १३ मई, १९७८ को कृषि मंत्री से सम्बन्धित अनुदान लिये जायं ।

सोमवार, दिनांक १५ मई, १९७८ को संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७८ के अनुसमर्थन सम्बन्धी संकल्प पर विचार न होकर परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री से सम्बन्धित अनुदान लिये जायं तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७८ का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन,

उस पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव दिनांक १२ मई, १९७८ के स्थान पर सोमवार, दिनांक १५ मई, १९७८ को ४ बजे अपराह्न के लिये जायं ।

गुरुवार, दिनांक २० अप्रैल, १९७८ को ५ बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव लिये जायं ।

बढ़े हुए लगान तथा भूमि विकास कर के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा दी गयी नियम ५२ की सूचना पर २ घंटे की चर्चा दिनांक १ मई, १९७८ को सामान्य कार्य के उपरान्त रखी जाय ।

ताड़ी पर रोक के सम्बन्ध में श्री बाबू राम वर्मा द्वारा दी गयी सूचना पर नियम ५२ के अन्तर्गत २ घंटे की चर्चा सामान्य कार्य के उपरान्त सोमवार, दिनांक २ मई, १९७८ को रखी जाय ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, जिला फैजाबाद में नियुक्तियों आदि के सम्बन्ध में चर्चा ९ मई, १९७८ को सामान्य कार्य के उपरान्त रखी जाय ।

श्री मधुकर दिघे (संसदीय कार्य मन्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत करता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के शीत गृह मालिकों द्वारा की गयी अनियमितताओं से आलू उत्पादकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में वक्तव्य

*श्री राजेन्द्र सिंह (कृषि मंत्री)—

मान्यवर, दिनांक ३० मार्च, १९७८ को हुई विधान सभा की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने यह अपेक्षा की थी कि आलू के भन्डारण के सम्बन्ध में शीतगृह मालिकों द्वारा अधिक मूल्य लिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए ।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि शीत गृहों द्वारा किसानों से ज्यादा पैसा वसूल करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उद्यान निदेशालय के अधिकारियों ने फर्रुखाबाद, इटावा, जौनपुर, कानपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बाराबंकी जनपदों का दौरा यह चेक करने के लिए किया कि क्या शीतगृह मालिकों द्वारा ज्यादा पैसा तो नहीं वसूल किया जा रहा है तथा भंडारण की क्या स्थिति है । इन सभी जनपदों में किसी भी कृषक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

ने अधिक भन्डारण शुल्क लिये जाने के विषय में इन अधिकारियों से भी कोई शिकायत नहीं की। अतः किसी शीतगृह के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुयी।

उद्यान निदेशालय के अधिकारियों की जांच के फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित जनपदों में भंडारण क्षमता अब भी उपलब्ध है :--

(१) कानपुर।
(२) फर्रुखाबाद।
(३) एटा (कासगंज)।
(४) जौनपुर।
(५) वाराणसी।
(६) इलाहाबाद।
(७) इटावा।
(८) बाराबंकी।

कृषकों के हितों की रक्षा के लिए शीतगृहों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है तथा कृषकों के आलू को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित शुल्क १३ रुपये प्रति कुन्तल पर ही भंडारित कराया जा रहा है।

नैफेड, प्रान्तीय सहकारी संघ के माध्यम से मिलटरी एवं कुफरी चन्द्रमुखी आलू मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, गुलावटी, मुजफ्फनगर, बदायूं, उझानी, चन्दौसी, सम्भल, जौनपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ में ५५ रुपये प्रति कुन्तल की दर से खरीद रहा है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य जनपदों में भी क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जिससे कि बाजार भाव न गिरने पाये।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैं प्रश्न करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने इसे नियम ३०१ के अन्तर्गत स्वीकार किया था। उस पर कोई स्पष्टीकरण मांगने की व्यवस्था नहीं है।

एक सदस्य--

जो वक्तव्य दिया है उस पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण मांगने का कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं फिर ऐसे प्रश्नों पर वक्तव्य के लिये निर्देश नहीं दूंगा। मैंने तो केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, आप बिलकुल सही कह रहे हैं ।

एक सदस्य--

कोई खरीदारी नहीं हो रही है, इसमें गलत कहा है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि शून्य प्रहर के लिये केवल यही तय हुआ था कि उन पर प्रश्न नहीं होंगे । लेकिन एक निवेदन यह है कि अगर कोई स्पष्टीकरण चाहता है तो उसके लिये कोई विधि होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य अगर कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे पहले मुझे लिख कर दें । मैं माननीय कृषि मंत्री के पास भेज दूंगा । जो प्रश्न वे करेंगे उसका उत्तर उनको भेज दिया जायेगा ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था चाहता हूं । माननीय सदस्य ने जिस दिन यह प्रश्न वक्तव्य के लिये दिया था नियम ३०१ के अन्तर्गत, तो वह सारे प्रदेश के सम्बन्ध में था । पूरे प्रदेश में जो इसका संकट है वह सबके लिये था । आज स्थिति यह है कि सब जगह आलू सड़ने की स्थिति आ गयी है । जो बयान दिया है वह एक जगह के लिये है । इसलिये यह अधूरा है । इस पर आप कृपया अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं । ३०१ में जितनी सूचनाएं आती हैं उनमें सदन में वक्तव्य की आवश्यकता नहीं होती है । उसमें माननीय सदस्य को माननीय सम्बन्धित मंत्री सूचित कर दें । लेकिन मैंने इसे विशेष महत्व का समझा, इसलिए सदन में वक्तव्य का निर्देश दिया । अगर इस वक्तव्य के सम्बन्ध में भ्रांतियां हैं और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो मैंने इस पर व्यवस्था दे दिया कि मुझे लिख कर दे दें और मैं पुनः माननीय कृषि मन्त्री के पास स्पष्टीकरण के लिए भेज दूंगा । लेकिन नियम ३०१ और ५१ में अन्तर है । नियम ५१ में तो स्पष्टीकरण किया जाता है । स्पष्टीकरण मांगा जाता है । ३०१ में आज जैसे मैंने ७ सूचनाएं स्वीकार की । अगर मैं इस पर, प्रत्येक पर प्रश्न पूछने की अनुमति दूं तो डेढ़ घंटे का समय लगेगा और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं इस पर अनुमति नहीं दे रहा हूं । (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खड़े होने पर) ब्रह्मदत्त जी इसमें जो स्पष्टीकरण मांगना चाहें वह मुझे दे दें, मैं अपने माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को आपका पूरा विवरण दिला दूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, इसमें स्पष्टीकरण की व्यवस्था का सवाल नहीं है । जो सदन के संज्ञान में सूचनाएं लाई जायं, उन्हें पूरी तरह मंत्रीगण दें । इसमें सूचना पूरे

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--]

सूबे के बारे में मांगी गयी जवाब में केवल ८ जिलों के बारे में सूचना दी गयी है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कम से कम उत्तर तो पूरा आना चाहिए, स्पष्टीकरण की बात तो बाद में हुई। सदन के संज्ञान में पूरे सूबे के बारे में लाया गया था, उत्तर जो आया है मन्त्री जी का, वह केवल ८ जिलों के बारे में आया है। बाकी जिले की क्या स्थिति है, इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि समस्त प्रदेश के जितने भी शीतगृह हैं, उनके बारे में पुनः पूर्ण सूचना माननीय प्रश्नकर्त्ता को आप दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, पूरे प्रदेश के बारे में उत्तर आना चाहिए। ३०१ में स्पष्ट दिया गया है। यह उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने दिया सदन के अन्दर दिया, यह सदन की सम्पत्ति हो गयी। जो उत्तर प्रदेश भर का माननीय मंत्री जी द्वारा आना चाहिए, वह सदन के अन्दर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अगर सदन में जानकारी दी जाय, तो माननीय कृषि मंत्री एक संशोधित वक्तव्य सदन के अन्दर दे दें, जिसमें पूरे प्रदेश की जानकारी आ जाय।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५६ के अन्तर्गत माननीय श्याम धर मिश्र ने एक सूचना दी है। इसी विषय पर नियम ५१ के अन्तर्गत कई सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं जिनको मैंने स्वीकार किया है और मैं नहीं समझता हूं कि इस कार्य के लिए कार्य-स्थगन की आवश्यकता है। इसको मैं अस्वीकृत करता हूं।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान

संख्या ३७--सूचना तथा प्रचार तथा अनुदान संख्या ३९--

हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण

*हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, आज बजट के सम्बन्धित दो विभागों के ऊपर चर्चा होनी है और उन्हीं के ऊपर मतदान होगा, एक तो सूचना विभाग और दूसरा हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, पहले प्रस्तुत तो कर लें।

श्री अध्यक्ष--

अनुदान प्रस्तुत कीजिए, माननीय हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि...

श्री अध्यक्ष--

आप यह कहिये कि मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७--सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२२,३३,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,१३,७४,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रजातांत्रिक पद्धति में जो हमारे सूचना के माध्यम हैं और प्रचार के साधन हैं उनके लिये बहुत आवश्यक है कि जनता को उनकी निष्पक्षता के ऊपर विश्वास हो और दूसरे उन माध्यमों के द्वारा जनता तक हम सारी सूचनायें जो जनहित में प्रजातांत्रिक पद्धति में सरकार द्वारा सम्पन्न की जाती है उनकी सूचना, उनकी जानकारी जनता को दे सके । इसी को पूरा करने के लिये जब से जनता सरकार अस्तित्व में आयी है, आपातकालीन स्थिति के दौरान इससे पूर्व की सरकार ने इन चीजों को नियंत्रित कर दिया था और इस बात के लिये बाध्य कर दिया था कि जो कुछ सरकार चाहेगी, समाचार पत्रों में, रेडियों में और टेलीविजन के द्वारा और सूचना विभाग द्वारा उन्हीं कार्यक्रमों का प्रचार होगा जिनको सरकार चाहेगी । इन सब बातों पर विचार करके प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया है, रेडियो और टेलीविजन पर जो प्रतिबन्ध था उसको समाप्त किया है । जो शासकीय स्तर पर सूचना विभाग द्वारा सूचनायें दी जाती हैं उनको भी निष्पक्ष और नीति के अनुरूप किया गया है ताकि जनता को सही बात का पता चले और किसी दल विशेष को प्राथमिकता देकर न तो उसकी प्रशंसा की जाय और न प्रचार किया जाय ।

इसी तरह से मैं दो-तीन बातें इस सम्बन्ध में और कहना चाहूंगा । एक तो यह कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में मान्यत समिति थी और न जाने किन कारणों से १९६७ के पश्चात् यह वजूद में नहीं आ पायी तो मौजूदा सरकार ने उसको बहाल किया है ।

हमने प्रेस को और संवाददाताओं की जो उनकी तीन एजेन्सियां हैं और जो भी उनके ग्रुप हैं उनकी सहमति से, सर्व सम्मति से उस समिति को बहाल किया है । उसमें कोई विभेद या मतभेद का प्रश्न नहीं है जिससे इस बात का अहसास

[श्री रामसिंह]

होगा कि जो मान्यता प्राप्त होती है समाचार पत्रों को, उस मान्यता को केवल नियमों के आधार पर किया गया है। इसमें किसी सरकारी हस्तक्षेप की बात नहीं रहेगी। दूसरा विषय हमारे सामने विचारणीय है और सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है कि जो प्रेस कंसलटेटिव कमेटी शुरू में बनी थी वह सन् १९६० से पहले ही भंग हो चुकी थी तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वह समिति बन जाय और हमारा प्रयास है कि हम इस वर्ष बना लेंगे। ताकि समाचार पत्रों से सम्बन्धित जितने प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हों उन सबके लिए हम समाचार-पत्रों के संवाददाताओं से या जो उनके संगठन हैं उनके जरिए या जो और संवाद समितियां हैं उनके द्वारा राय ले सकें और सही दिशा में कार्य कर सके, वह भी सरकार के विचाराधीन है। इसके साथ ही समाचार का गठन जो इमरजेन्सी में किया गया था और समाचार-पत्रों को और समाचार एजेन्सियों को प्रतिबन्धित किया गया था और एक तरह से उनका सरकारीकरण कर दिया गया था उसको हमने समाप्त कर दिया और चारों संवाद समितियों को भिन्न-भिन्न रूप से कार्य करने का अधिकार दे दिया गया है। इसी प्रकार सूचना विभाग के अन्तर्गत जो प्रचार विभाग है जिसका सम्बन्ध आम जनता से है कि सही बात जनता तक पहुंच सके और निष्पक्षता के आधार पर अपने प्रचार माध्यमों का प्रयोग कर सके, यह सब बात सरकार के विचाराधीन है। सूचना विभाग के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं चूंकि एक दिन का समय है और बहुत से माननीय सदस्य इस पर कहना चाहेंगे।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त हरिजन एवं समाज कल्याण से सम्बन्धित कुछ मुख्य योजनायें जो इस वर्ष शुरू की हैं और एक वर्ष की जो उपलब्धियां हैं उनको संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहूंगा ताकि माननीय सदस्यों को उनके ऊपर अपनी राय और सुझाव देने का मौका मिल सके। मान्यवर, पहला काम तो इस सरकार के आने के बाद यह किया गया कि इस विभाग का दो तरह से संचालन होता था। यद्यपि अधिकारीगण एक ही थे, एक ही निदेशालय था और जिला स्तर पर हरिजन कल्याण अधिकारी थे। हमने महसूस किया कि इसके प्रशासनिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया गया तो इस विभाग की योजनाओं के संचालन करने में कठिनाई होगी। इसलिए विभाग को सुदृढ़ करने के लिए मंडलीय स्तर पर कार्यालय स्थापित किए। चूंकि पहले जो जिलों से शिकायतें आती थीं वह प्रायः निदेशालय में निदेशक के पास आती थीं लेकिन अब मंडलीय स्तर पर जो उप निदेशक होंगे वह उन शिकायतों की सुनवाई करेंगे। इसलिए प्रशासनिक ढांचे में जो कमियां थीं उनको दूर किया गया है।

मान्यवर, इसी तरह से ब्लाक स्तर पर हमारे विभाग का कोई कर्मचारी प्रत्येक ब्लाक पर नहीं है। हमारे प्रशासन में ब्लाक को एक प्राथमिक इकाई माना गया है, और जैसे कि हर विभाग के अधिकारी ब्लाक स्तर पर हैं, हमारे पास सुपरवाइजरों की कमी थी इसलिए उनको ब्लाक स्तर पर नहीं ले जा पाये किन्तु हमने पहले निर्णय किया है कि तहसील स्तर पर एक कर्मचारी कार्यक्रम को देखने के लिए नियुक्त करें। इसलिए तहसील स्तर पर एक सुपरवाइजर हमारे पास हैं। यह बात भी विचारणीय है कि ब्लाक स्तर पर भी एक कर्मचारी रहे जो ग्रामीण स्तर तक योजनाओं को पहुंचाए और उनके कार्यान्वयन में जो कठिनाई हो उसको वह सुलझाए।

मान्यवर, दूसरी बजट से सम्बन्धित बात है। पूर्ववर्ती सरकार के ३-४ साल के आंकड़े हैं जिनसे इस बात को साबित करने में आसानी होगी कि कहने

और करने में कितना अन्तर है । मान्यवर, आयोजनागत और आयोजनेत्तर दोनों को मिलाकर १९७३–७४ से जो बजट मे प्राविधान था उसके आंकड़े में दे रहा हूं । १९७३–७४ में ८७१·३३६ करोड़ रुपया, १९७४–७५ में १३३७·६६५, वर्ष १९७५–७६ में १३३७·२५०, १९७६–७७ में १४३७·२९४ और १९७७–७८ जिसमें ४ महीने का वोट आन एकाउन्ट उस सरकार ने लिया था और ८ महीने का बजट हमने पारित किया था जो कुल १४५०·७५१ करोड़ रुपए का प्राविधान था । इस वर्ष १९७८–७९ में जो प्राविधान है वह २२५२·१२३ करोड़ रु० है । वोट आन एकाउन्ट २ महीने का लिया जिसमें २,९३,६१,००० रु० का प्राविधान है । इस प्रकार इस बजट के अन्तर्गत इस वर्ष जो खर्च करेंगे वह २५,०७,३५,३०० रु० है । इस प्रकार पूरा बजट पिछले साल के मुकाबले कम्पेरीजन करें तो देखें कि ५५·२३ प्रतिशत बजट में बढ़ोत्तरी इस वर्ष की गयी ।

यह इस बात का प्रमाण है कि इन वर्गों के लिए जो उपेक्षा हुई थी उसके लिए मौजूदा सरकार कितनी गंभीरता से विचार कर रही है और ५५ फीसदी को बढ़ा करके इस बात को साबित किया है कि हम वास्तव में केवल कहने मात्र की बात नहीं करते बल्कि उनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं ।

इसी के साथ–साथ हमारी जो योजनायें मुख्य हैं उन योजनाओं के बारे में आप देखें । छात्रवृत्तियों के सिलसिले में दशमोत्तर कक्षाओं के लिए उसे पिछले बजट में ७७८·६६८ लाख रुपए प्राविधान था लेकिन इस वर्ष हमने जो प्राविधान बजट में किया है वह १४४०.९६० लाख रुपए है । पूर्व दशमोत्तर कक्षाओं के लिए पिछले साल बजट में ४६२·९४६ लाख रुपए का प्राविधान था जो इस साल हमने बढ़ाकर ४६८·५१० लाख कर दिया है ।

इसी प्रकार आवास और छात्रावासों का सवाल है । छात्रावासों की योजना पहले से चल रही थी लेकिन आपको आश्चर्य होगा ऐसा प्राविधान तो किया गया लेकिन पिछली सरकार उनको नहीं बना सकी । इसका मुख्य कारण यह था कि बजट में तो प्राविधान था कि इनका निर्माण हो, बिल्डिंग बने लेकिन उसमें कभी इस बात को नहीं सोचा गया कि जिस जमीन में भवन बनेंगे वह जमीन कहां से आयेगी । हमने इस बात का प्राविधान किया कि जमीन मिले और जमीन पर भवन निर्माण हो । इस योजना के अन्तर्गत ६ जिलों में छात्रावासों की योजना करीब–करीब अन्तिम चरण में है । ये जिले हैं इलाहाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर खीरी, सीतापुर और फैजाबाद । इस वर्ष इन छात्रावासों का निर्माण हो जायगा । इनके लिए हमने पैसा भी एलाट कर दिया है और जमीन भी उपलब्ध है ।

इसके साथ साथ वर्तमान सरकार ने इस बात का निश्चय किया है कि प्रत्येक जिले के हेड क्वार्टर पर कम से कम एक हरिजन छात्रावास ७५ छात्रों के रहने के लिए हो जिसके लिए सरकार जमीन भी ले और छात्रावास का निर्माण शीघ्र हो ताकि छात्रावास में छात्र रह सकें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें । इस प्रकार जो छात्रावास पहले निर्माण किए जाने थे उनको वास्तव में निर्मित करने के लिए विशेष प्रयत्न किया गया है । इन छात्रावासों में जो विशेष व्यवस्था की गई है वह यह है कि इनमें ८० प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के और २० प्रतिशत छात्र दूसरी जाति के रह सकेंगे इसमें ऐसा नहीं है कि केवल अनुसूचित जाति के ही छात्र रहेंगे । इस प्रकार उनको एक दूसरे से मिलने का और एक साथ रहने का मौका मिलेगा ।

[श्री राम सिंह]

एक प्रश्न और हमारे सामने विचाराधीन है। जो छात्रावास यूनिवर्सिटी, कालेजों में हैं उनमें इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रबन्ध कर रहे हैं, कि यूनिवर्सिटी या कालेज में जो अनुसूचित जाति के छात्र आते हैं और छात्रावास में रहना चाहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वहां का खर्च बर्दाश्त कर सके तो उन छात्रावासों में कम से कम १५–२० हरिजन छात्र रह सकें ताकि एकता की भावना उनमें पैदा हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी आर्थिक सहायता हम देते हैं, इसके बारे में कई बार प्रश्न उभर कर सामने आया है कि उसमें एक तरह का प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उसके बारे में मैंने सदन में भी निवेदन किया था। दशमोत्तर कक्षा की अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए ७५० रुपए के बाद पाबन्दी है। जिस किसी व्यक्ति की आमदनी ७५० रुपए से अधिक हो उस व्यक्ति के छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दी जाय और न ही उसको शिक्षा शुल्क में छूट देते हैं। इसी प्रकार दसवीं कक्षा के नीचे जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए भी पाबन्दी है। ५०० रुपए से अधिक की आय जिस व्यक्ति की होगी उसके बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। इसी प्रकार पिछड़ी जातियों के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी छात्र के अभिभावक की आमदनी चार हजार प्रति वर्ष से अधिक होगी उस छात्र को हम छात्रवृत्ति नहीं देंगे। तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध हमने लगाए हैं ताकि जो सहायता हम देते हैं उसका अच्छी प्रकार से उपयोग हो सके।

इसके अतिरिक्त आर्थिक उत्थान के सम्बन्ध में और आवासीय समस्याओं को हल करने के लिए कुछ योजनायें चला दी गयी हैं। आर्थिक उत्थान से सम्बन्धित जो योजनायें हैं उनमें वित्त विकास निगम द्वारा जो व्यक्ति अपना उद्योग चलाना चाहते हैं या रोजगार चलाना चाहते हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछले वर्ष विशेष रूप से दो योजनायें चलीं। डाक्टर या इंजीनियर अपना कार्य प्रारम्भ करें और उनके पास साधन नहीं है तो दो हजार रुपए की सहायता उनको दी गयी। पिछले वर्ष करीब १२२ व्यक्तियों को यह अनुदान दिया गया। इसके अलावा कपड़े की दुकानें खुलवाने के लिए ४ हजार रुपए का ऋण ब्याज मुक्त दिया गया और किस्तों में वह पैसा उनसे वसूल किया जायगा।

आवास की समस्या का जहां तक सम्बन्ध है पिछले साल तक कम प्रगति दिखाई दी। इस वर्ष कुछ छूट देने की कोशिश की है। जब तक २० व्यक्तियों को एक जगह जमीन उपलब्ध न हो तब तक कोई आवास का निर्माण नहीं हो सकता था। हमने उसमें छूट देकर यह कर दिया है कि ५ व्यक्ति भी एक स्थान पर चाहें तो मकान अपने बनवा सकते हैं चाहे उनके पास जमीन हो अथवा ग्राम सभा से उनको मिली हो। उस पर ऋण दिलवाकर मकान बनवा सकते हैं। पहले इसमें १ हजार रुपया अनुदान दिया जाता था लेकिन उस समय चीजों के दाम कम थे। अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि इस अनुदान को बढ़ाकर १,५०० या २,००० तक कर दें ताकि मकान ज्यादा बन सकें। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि जो हमारे स्कूल चलते हैं उनमें प्रशिक्षित अध्यापकों को वेतन शिक्षा परिषद के अध्यापकों के मुकाबले बहुत कम मिलता है लेकिन अब यह तय किया गया है कि उनको प्राइमरी अथवा जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के समकक्ष वेतन दिया जाय ताकि एक काम के लिए समान वेतन मिले। ये चीजें हैं जिनको मैंने शासन के सामने इतने कम समय में रख दिया है। माननीय सदस्य अब

१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान १३७ संख्या ३७ –सूचना तथा प्रचार तथा अनुदान संख्या ३९––हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण

अपने विचार व्यक्त कर लें और जो अन्य चीजें आयेंगी अन्त में मैं उनका उत्तर दूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७––सूचना तथा प्रचार के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९––हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

सबसे पहले मैं सूचना विभाग की मांगों पर विचार करूंगा । विशेष रूप से यह ट्रेन्ड बन गया है जब शासक दल का कोई मंत्री प्रगति की बात करता है तो आपत्तिकाल का जिक्र वह जरूर करेगा, वसे ही समाज कल्याण मंत्री जी ने किया । मैं स्पष्ट रूप से बतलाना चाहता हूं कि सूचना और प्रचार विभाग क्या कर रहा है । मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टेटमेन्ट और उनके फोटो निकाल कर प्रचार करना। पिछले दिनों कारागार मंत्री ने तमाम पेमफ्लेट छपवाए और माननीय सदस्यों से अपील की कि पैरोल के इतने केसेज आये हैं, कृपया आप पहले अपनी संस्तुति भेज दें । ट्रान्सफर्स के बारे में विधायकों के पास इस तरह के पेमफ्लेट आये । इसी तरह प्रगति की लगातार किताबें रोज एक अथवा डेढ़ महीने बाद छापी जाती हैं। 'उत्तर प्रदेश विकास का नया दौर' इसमें भी बिल्कुल वही बात है और जो दूसरी पुस्तक 'प्रगति का नया कीर्तिमान हैं, इसमें भी वही बात है । इस तरह से प्रगति का प्रचार करते करते व्यक्तिगत प्रचार पर आ गये ।

श्रीमन्, सूचना प्रचार विभाग द्वारा होली का बधाई पत्र मिला । ऐसे बधाई पत्र कांग्रेस शासन में भी नहीं मिले । होली खेलते हुए मंत्री जी का फोटो है ।

श्री अध्यक्ष––

सेहरा जी आपको बधाई–पत्र भेजने में क्या आपत्ति है मंत्री जी के होली खेलने में क्या आपत्ति हैं ?

श्री गुलाब सेहरा––

होली खेलते हुए रंग में डूबे हुए मंत्री जी का व्यक्तिगत फोटो है और जो सबसे बड़ी एतराज की बात है वह यह है कि बधाई पत्र जो भेजा गया है मेरे पास भी आया है उसमें सरकारी डाक टिकट लगे हुए हैं । जबकि आप जानते हैं कि जब व्यक्तिगत पत्र भेजा जाय तो उसमें सरकारी टिकटों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो व्यक्तिगत प्रचार में सूचना और प्रसारण विभाग काम कर रहा है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है । व्यक्तिगत प्रगति की बात जनता में प्रसिद्धि पाने के लिए की जा रही है ।

अब रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं कि हमने समाचार–पत्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी है ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य अधिकृत सूचना दे सकते हैं कि सूचना विभाग ने इसे बांटा है या छापा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सरकार की ओर से इस पर मुहर लगी है। यह सरकार की ओर से निगम ने भेजा है। सरकार का खर्चा हुआ है और सरकारी डिजायनर ने डिजाइन बनाया है। मैं अब दूसरा उदाहरण देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

थोड़ा सेहरा जी अब हरिजनों की बात भी करें।

श्री गुलाब सेहरा--

उस पर भी आ रहा हूं।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

नई कांग्रेस का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जब सत्य बात कही जाती है तो वह कटु होती है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा जो गलतियां हमने कीं उनको आप न दोहरायें तो अच्छा है। अगर आप दोहरायेंगे तो इधर आ जायेंगे। जो गलतियां हमने की उनको दोहराने से काम नहीं चलेगा।

समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता की बात बड़ी तेजी से सत्ता पक्ष की ओर से की गई। पिछले दिनों हमारे मंत्री जी ने सूचना विभाग में एक कक्ष खाली करवा लिया और वहां सूचना विभाग के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल के इन्फारमेशन आफिसर्स को बुलाया गया और उनमें ताड़ना दी गई कि हरिजनों के उत्पीड़न और 'ला एण्ड आर्डर' के बारे में इतने स्वतंत्र रूप से समाचार-पत्र क्यों छाप रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि पूरे के पूरे इन्स्ट्रक्शन जिलों में गए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग फोटो खींचता है और उसकी पब्लिसिटी के लिए समाचार पत्रों को देता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शासन पक्ष द्वारा किस तरह से फोटोग्राफी का इस्तेमाल अपनी पार्टी के प्रचार के लिए किया जाता है। श्रीमन्, १६ तारीख के 'आज' अखबार में एक फोटो छपा है उसमें लिखा है कि 'जनता पार्टी के महामंत्री श्री नानाजी देशमुख विभागीय अध्यक्षों और सचिवों को सम्बोधित करते हुए।' मैं पूछना चाहता हूं श्रीमन्, विभागीय सचिवों और अध्यक्षों को उनको सम्बोधित करने का अधिकार है तो वह मंत्री या मुख्य मंत्री जी को है। लेकिन पार्टी के महामंत्री उनको सम्बोधित करें यह उचित नहीं है और उसका फोटो सूचना और प्रचार विभाग द्वारा पब्लिश किया जाय और समाचार-पत्रों को दिया जाय यह कहां तक उचित है और उसमें नीचे यह लिखा जाए कि सम्बन्धित कर रहे हैं श्री नानाजी देशमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को, तो मैं कह रहा था कि कथनी और करनी में कितना फर्क है इस विभाग के अन्दर।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जहां पर जिस क्षेत्र का संसद सदस्य या विधायक होता है, शासन में यह पद्धति आ गई है कि विकास कार्यक्रमों में उनका सहयोग लेने के लिए उनको समय-समय पर आमन्त्रित किया जाए, तो हमारे खाद्य मंत्री ने उस क्षेत्र के संसद सदस्य को आमन्त्रित कर लिया, तो क्या सेहरा जी यहां पर सदन में सूचना विभाग के अपने भाषण में उसे व्यक्त कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह अपना भाषण दे रहे हैं। जब आपको समय मिले तो आप उसका उत्तर दे दीजिएगा।

श्री गुलाब सेहरा--

मेरा केवल इतना कहना है कि सचिवों या विभागाध्यक्षों को कोई सम्बोधित कर सकता है तो वह माननीय मुख्य मंत्री या मंत्री ही करते हैं, संगठन का व्यक्ति उन्हें सम्बोधित नहीं कर सकता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग में टेलीविजन के विस्तार की जो बात है, पुस्तक में कहा गया है। मेरा कहना है कि प्रदेश का एक बटा चार भाग केवल टेलीविजन के क्षेत्र में आया है, बाकी का नहीं आया है। आप इस पर ध्यान दें और आगरा, एटा, मैनपुरी, झांसी और बुन्देलखंड के क्षेत्र में टेलीविजन जो दिल्ली से आता है वह भोपाल व जयपुर से आता है, उसमें उसको कैच नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं उनको सूचना दे रहा हूं कि आगरा में माइक्रोवेव सेन्टर जो तोरा ग्राम में संचार व्यवस्था के लिए लगाया गया है, यदि उसमें दो लाख रुपये का रिलेईंग सेन्टर खोल दिया जाए, तो उसमें आगरा डिवीजन और बुन्देलखण्ड का क्षेत्र तथा राजस्थान का भरतपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के क्षेत्रवासी भी उससे लाभान्वित होंगे। तो इस तरह से केवल दो लाख रुपये के व्यय से इसका विस्तार किया जा सकता है, अतः सरकार इसे अवश्य कराने की कृपा करें।

इस विभाग में फिल्म विभाग की जहां तक बात है, जो प्रोग्रेस लिखी गई है, फिल्म की उतनी है नहीं। मैं चाहता हूं कि उद्योग धंधों और पर्यटन केन्द्रों के विस्तार पर जरा ध्यान दिया जाय। कम से कम अन्य प्रदेश के लोगों को आकर्षण देने के लिए यह किया जाए। यह बहुत आवश्यक है। इन चीजों को फिल्मों में अच्छा से अच्छा और सुरुचिपूर्ण बनाना चाहिये। मैं आगे बात यह कहूंगा कि प्रदर्शनियों की भी यही बात है, प्रदर्शनियां जो आयोजित की जाती हैं, वे एकांगी होती हैं। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जब वह प्रदर्शनियां आयोजित किया करें, तो उत्तर प्रदेश के नक्शे को अपने सामने रख लिया करें, जिससे प्रदेश का कोई भी मंडल यह महसूस न करे कि उसकी उपेक्षा की जा रही है। विज्ञापन की बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि विज्ञापन किस तरह से दिया जा रहा है, वह तो एक ऐसी बात है कि जो जनता पार्टी के समाचारों को प्रमुख हेड लाइन लगा कर निकालते हैं, उनको विज्ञापन अधिक मिलते हैं और जनता पार्टी की कमजोर बातों को जो निकालते हैं, उन्हें विज्ञापन नहीं मिलते हैं। मंत्री जी चाहेंगे, तो उन्हें मैं बता दूंगा।

श्री राम सिंह--

अभी बता दीजिए, कम से कम आप दो-एक उदाहरण बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैं बता दूंगा फिर .. ।

श्री अध्यक्ष—

आपके विभाग से वह पूर्णतया सन्तुष्ट हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

यह जो हरिजन कल्याण का बजट है, इस पर मैं अब कुछ कहना चाहता हूं, अभी जो सबसे ज्यादा मुझे अखरा, या तो मंत्री जी अपने हरिजन कल्याण विभाग की प्रगति को हमसे दूर रखना चाहते थे इसलिए उसका लिटरेचर कल शाम को साढ़े सात बजे पीजन हाल में नहीं पहुंचाया, आज साढ़े दस बजे हमको किताब दी गई । इसमें उत्तर प्रदेश हरिजन कल्याण विभाग की प्रगति है । मंत्री जी शायद एक निगाह से पढ़ लेते होंगे उसी तरह से हमसे आशा करते होंगे । मैं चाहूंगा कि कम से कम इसको दो दिन पहले दे देते यदि आप सजेशन लेना चाहते हैं ।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए ।)

अभी मंत्री जी ने बहुत जोरदार बात कही, एक नयी बात, १९७४ से लेकर अब तक जो आंकड़े हैं, उसमें आपने करोड़ रुपया बढ़ा दिया । उस असलियत को अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं । १९७५–७६ में हरिजन कल्याण का बजट था २० करोड़ रुपये के करीब । १९७६–७७ का २२ करोड़ के करीब था । १९७७–७८ में आपका ही बजट था १६ करोड़ ६२ लाख के करीब । माननीय मंत्री जी ने अभी बड़े जोरदार स्वर के साथ कहा कि हमने २५ करोड़ इसको कर दिया है । २२ करोड़ का अनुदान इसमें मांग रहे हैं और २ करोड़ ८० लाख अनुपूरक बजट में पहले प्रस्तुत कर चुके हैं । बात ठीक है । लेकिन इसके पीछे बात क्या है । वह आपके सामने रखना चाहता हूं । इस वर्ष हरिजन समाज कल्याण का बजट जो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए बनता था, उसमें बैकवर्ड क्लास को भी शामिल कर दिया है, हरिजनों को दिखलाने के लिए कि हमने पिछली सरकारों से ९ करोड़ का बजट ज्यादा प्रस्तु किया है । यह आपकी किताब बजट की है । उत्तर प्रदेश शासन १९७८–७९ के राजस्व व्यय के ब्योरेवार अनुमान । पृष्ठ ४०७ पर लिखा है—उस धनराशि का अनुमान, जिसकी वित्तीय वर्ष १९७८–७९ में व्यय के लिए आवश्यकता है : मतदेय २५,०७,३५,३०० रु० भारित २,५०० रु० योग २५,०७,३७,८०० रु० । आय–व्ययक अनुमानों पर स्मृतिपत्र के पृ० १२३ पर लिखा है । गत वर्ष की १६,६२,८६ की मांग की तुलना में आय–व्ययक वर्ष का अनुमान २५,०७,३८ रखा गया है । इस प्रकार ८,४४,५२ की वृद्धि दिखायी गयी है । यह वृद्धि कहां चली गयी ? अनुसूचित जन जातियों को चली गयी ? अनुसूचित जन जातियों को चली गयी ? इसमें राजस्व लेखे के ब्योरेवार अनुमान के पृष्ठ ४०८ पर तालिका दी है, तालिका में देखिये, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लिखा है १९७६–७७ तक दिया हुआ है, ५ करोड़ ८४ लाख ३५ हजार ९५ का प्राविधान १९७६–७७ में लिखा है । अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए ४५ लाख २६ हजार २५४ और आगे देखिये । १९७७–७८ में अनुसूचित जातियों के कल्याण का लिखा है ५ करोड़ ३८ लाख २९ हजार ६ सौ और पिछड़े हुए वर्गों का अनुमान ४३ लाख ५४ हजार ४ सौ रुपये जरा इसमें आप देखें । ७८–७९ में

लिखा है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए ६ करोड़ १९ लाख ३० हजार और पछड़े वर्ग का ७ करोड़ ३२ लाख और २० हजार । यानी पूरा ४३ लाख से लेकर सारे ६ करोड़ रुपये बैकवर्ड क्लास को दिया गया । पिछड़े वर्ग की लिस्ट चाहे ३२ की हो या ३६ की, लेकिन उसके नाम से २-१ वर्ग विशेष को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इस आरक्षण से ३ वर्ग विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं कहता हूं की यह बजट भ्रम पैदा करता है। ८ करोड़ रुपया बढ़ा दिया है यह कहते हैं । जो कांग्रेस सरकार जन जातियों और अनुसूचित जातियों पर खर्च करती थी उस रुपये को घटा दिया गया है । यह मैंने बताया ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि "प्रगति के नये कीर्तिमान" एक पुस्तिका निकली है । पेज ७ पर आप देखें क्या लिखा है । भाषा तो इतनी सलिल और सुन्दर तथा आकर्षक लगती है लेकिन कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है । कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं । शासन ने इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए बड़े कदम उठाये हैं । शासन के निर्णय के अनुसार इन वर्गों को अत्याचार के फलस्वरूप हुई घटनाओं के कारण कुछ अनुदान की बात कही गई है । अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसको ५,००० रु० का अनुदान दिया जाएगा और चोट आ जाये तो २,००० रु० दिया जायेगा और अगर कम चोट आवे तो २०० रुपया दिया जायेगा । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को यह रुपया लेप्स होने जा रहा था, लेकिन कहा गया कि तुरन्त बांट दिया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि "उत्तर प्रदेश विकास का नया दौर" एक पुस्तक छपी है । इसमें लिखा है कि मेडिकल स्टोर के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को धन दिया जायेगा । यह अनुदान २,००० रु० का होगा । मैं कहता हूं कि इतने रुपये में तो उसे दुकान भी नहीं मिलेगी और वह मेडिकल स्टोर क्या खोलेगा । किसी गली में भी इतनी सस्ती दुकान उसे नहीं मिल पायेगी जहां बैठकर वह अपना व्यवसाय कर सके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यथार्थ से दूर होकर आप कल्पना की ओर जा रहे हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या २ हजार में एक मेडिकल की दुकान चलेगी । एक 'उत्तर प्रदेश में हरिजन एवं समाज कल्याण' नाम की पुस्तक बांटी गयी है । उसकी भाषा कितनी सुन्दर है । लेकिन इन्हें करना कुछ नहीं है, यह कहते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात संक्षेप में कहें । आपको बोलते हुए २२ मिनट का समय हो गया है ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखने वाले को आप ३० मिनट का समय देते हैं ।

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि विमुक्त जाति के लोगों का आर्थिक विकास। लेकिन औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए और दुकानों को चलाने के लिए आप देते हैं कितना-कितना रुपया, केवल २ हजार । ऐसे ही मकान बनाने के लिए १ हजार रुपया, ३,००० रु०, ४,५०० रुपया । एक हजार रुपये में तो आपकी झोपड़ी के लिए जमीन किराए पर भी नहीं मिल पायेगी । अब मंत्री जी को प्रचार करने के लिए सूचना विभाग भी दे दिया गया है ताकि जितनी लफ्फाजी की

[श्री गुलाब सेहरा—]

जा सकती हो, उतनी की जाय। एक किताब "हरिजन प्रगति के रास्ते पर" को आप देखें। इसमें शिकायतें भी लिखी हैं और दंड भी। इसके पेज २ पर लिखा है "हरिजनों की आवंटित भूमि पर अनधिकार कब्जा अब दंडनीय अपराध"। इसमें यह कहा गया है कि जो लोग हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे, उन पर क्रिमिनल केसेज चलायेंगे या कौगनिजिबिल औफेन्स माना जाएगा। श्रीमन्, मेरा यह दावा है कि अभी तक जिन्होंने हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जे कर लिए थे उनमें से एक पर भी कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया गया। मैंने यहां पर एक सवाल किया था कि हरिजनों की भूमि पर कब्जा करने वाले कितने लोगों के विरुद्ध हस्तक्षेपीय अपराध के अन्तर्गत कार्यवाही हुई? लेकिन यह प्रश्न यह कह कर कि "अनिश्चित है, अस्पष्ट है," मुझे लौटा दिया गया। मेरा दावा है कि इसमें केवल लिख दिया गया है लेकिन किसी के भी विरुद्ध क्रिमिनल केस नहीं दायर किया गया है। शायद १९५९ और १९७२ म भी एक जी० ओ० था।

श्री अधिष्ठाता—

कुछ बातें आपको बाद के लिए भी रखनी चाहिये। अभी आपको बाद में भी बोलना है।

श्री गुलाब सेहरा—

प्रगति वाली पुस्तक में यह भी लिखा है कि जहां पर हरिजनों का उत्पीड़न होगा वहां पर सामूहिक जुर्माने भी होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी बस्ती में, किसी मुहल्ले में, किसी शहर में, जहां पर हरिजनों का उत्पीड़न हुआ जुर्माना करने की बात की गयी है? इसमें यह भी लिखा गया है कि हरिजनों पर अत्याचार के कारण मरने वालों को ५ हजार रुपए दिए जायेंगे। दूसरी बात जो बात है यहां पर कहना चाहता हूं वह यह है कि इसी किताब में पेज नम्बर ४ पर लिखा गया है कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं में कमी हुई है। इसमें लिखा है कि उत्पीड़न बन्द हो गया है। इसके बारे में मान्यवर, मुझे केवल एक चीज कहनी है। यह समाचार-पत्र जो अंग्रेजी में है इसका कहना है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसको हिन्दी में ही बता दें। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो गयी है।

श्री गुलाब सेहरा—

"यू० पी० में सबसे ज्यादा हरिजनों पर अत्याचार की घटना होना इसमें माननीय धनिक लाल मंडल, जो कि स्टेट होम मिनिस्टर हैं, ने जो लोक सभा में बयान दिया है उसमें इसके आंकड़े बताए हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात में १५७, राजस्थान में ८७, पंजाब में ७, हिमांचल प्रदेश में २७, दिल्ली में २, बिहार में ४३ और उत्तर प्रदेश में मान्यवर, १३८२ उत्पीड़न के मामले हुए हैं।" पता नहीं कि वह किताब जो इनके द्वारा छापी गयी है वह सही है या माननीय धनिक लाल मंडल द्वारा जो स्थिति लोक सभा में दी गयी, वह सही है? दोनों में से कोई न कोई बात तो होगी, कहीं न कहीं तो गलती होगी। तो श्रीमन्, लफ्फाजी करने से काम नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि 'आपने ऐसा किया।' तो हमने किया तो आ गये इधर। आप क्यों करते हैं?

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान १३८३ संख्या ३७--सूचना तथा प्रचार तथा अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, यह मंत्री जी का प्वाइंट है "पिछड़े वर्ग का आरक्षण देने से हरिजनों के कोटे में कटौती।" श्रीमन्, हमारे १८ परसेंट को कवर-अप करने के लिए, शीघ्राति शीघ्र पूरा करने के लिए कांग्रेस शासन में एक आर्डर किया गया कि ४५ परसेन्ट रिजर्वेशन तब तक के लिए कर दिया जायगा जब तक १८ परसेन्ट आरक्षण पूरा न हो जाय लेकिन उसमें अचानक... ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको २७ मिनट का समय हो गया।

श्री गुलाब सेहरा--

मुझे ३२-३३ मिनट चाहिए। उससे ऊपर नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

दो ही मिनट में समाप्त करें।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं एक बात कह रहा था कि जनता पार्टी की बात जब मैं पूछता हूं किसी से तो मेरे एक मित्र हैं वह कभी-कभी कहते हैं--

"बड़े दिलचस्प वादे थे बड़े रंगीन धोखे थे,
गुलों की आरजू में जिन्दगी शोले उठा लाई।"

हमने तो क्या आरजू की भी लेकिन सिर मुंड़ाते ही ओले पड़े। जनता पार्टी जैसे ही आयी पिछड़े वर्ग को संग लेके आई। वह पिछड़े वर्ग को जो दे रहे हैं वह हरिजनों के कोटे में कटौती करके आरक्षण दे रहे हैं। "गरीब की जोरू सब की भाभी" होती है। हमारे अनुसूचित जाति के कोटे में से ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। हमारे कोटे से काट कर १५ परसेन्ट और आरक्षण इनको दिया गया। प्रोमोशन में भी १५ परसेन्ट और फिर मैं वही बात कहता हूं कि पिछड़े वर्ग के नाम पर केवल एक ही वर्ग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इतना बड़ा षड़यन्त्र है कि इस शासनतंत्र में वह वर्ग कुछ दिन के बाद बाहुल्य में हो जाय। तो शासन तंत्र उनका है, उनके परिवार का।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट भाषण में पेज १९ पर मधुकर दिघे जी ने एक बात कही है, "शासन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति एवं पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए सतत् प्रयास कर रहा है।" इसमें यह कहा गया है कि "अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण को पूरा करने हेतु विशेष भर्ती द्वारा चयन करके उक्त जातियों का आरक्षण २ वर्ष की अवधि में पूरा करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।"

एक पत्रिका निकली। यह बताया जा रहा है कि दो वर्ष के बाद का टाइम दिया है। तो मुझे यह कहना है कि २ वर्ष के बाद जनता पार्टी का पोस्टल ऐड्रेस हमें मिल जायगा? मुझे लगता है कि साल भर भी नहीं रहना है, ऐसे वादे कर रहे हैं जिसमें रहेंगे ही नहीं।

[श्री गुलाब सेहरा—]

एक किताब निकाली है "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व" यह वह दिग्दर्शन है जिसमें असलियत पता लगती है कि आरक्षण के नाम पर केवल लफ्फाजी की जाती है, आरक्षण पूरा नहीं होता है। यह सरकारी डाकूमेंट है। लिखा है कि क्लास वन आफिसर्स का टोटल, जो कार्य-रत हैं। २,७३४ और शेड्यूल्ड कास्ट के उसमें ८५ हैं। यानी १८ परसेन्ट को तो क्या बात की जाय, केवल ३.१ परसेन्ट हैं। यह है उनका प्रतिनिधित्व। अब क्लास टू में टोटल हैं ११,७५५ कर्मचारी और १८ परसेन्ट के हिसाब से वहां भी मामला गोल है। केवल अनुसूचित जाति के ४२५ हैं और प्रतिनिधित्व कितना है ३.६ प्रतिशत। श्रीमन्, क्लास थ्री में २,५१,०७६ हैं जिनमें शैडूल कास्ट के ६,४१५ हैं। इनका प्रतिशत केवल ८.०० है। क्लास फोर में भी श्रीमन्, देखा जाये तो इनका प्रतिशत करीब १२.७ आता है। इससे पता चलेगा कि क्लास १, २, ३ और ४ किसी में भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। लेकिन यह सरकार हरिजनों की बड़ी हिमायती बनती है। माननीय मंत्री जी से मेरा बहुत परिचय है, मुझे तो दुख इस बात का है कि वे सही बात को यहां कह नहीं पाते हैं। कांग्रेस के शासन काल में हमारे यहां अनुसूचित जाति के १५ डी० एम०, १२ एस० पी०, ४ ए० डी० एम० थे, अब आपके शासन काल में ७ डी० एम०, ६ एस० पी०, २ ए० डी० एम० हैं। आपने देखा कि ५४ जिलों के लिए डी० जी० सी० के लिए जो लोग नामिनेट किये गये उसमें एक भी हरिजन जाति का व्यक्ति नहीं लिया गया। क्या कोई हरिजन जाति का एडवोकेट इस योग्य नहीं था। केन्द्र में भी अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को धोखा दिया जा रहा है, और यहां भी आपको धोखा दिया जा रहा है। जो सत्य है उसे स्वीकार करो।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। आप खत्म कीजिए।

श्री गुलाब सेहरा—

बस अभी समाप्त करता हूं। एक सुझाव यह देना है कि सन् १९५९ में एक कमेटी राधाकृष्णन कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि छुआछूत तब दूर होगी जब हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके लिए यह सुझाव उस कमेटी ने दिया था कि कोटा परमिट लाइसेन्स में आरक्षण होना चाहिए। गवर्नमेन्ट अन्डरटेकिंग्स में, कारपोरेशन्स में उनको लेना चाहिए। पिछले साल जून में जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि कारपोरेशन्स को उपहार की योजना नहीं बनाना चाहिए। किसी व्यक्ति को खुश करने के लिये उसको उसमें नहीं रखा जायेगा। मगर हमने देखा कि उनमें एक साहब का लड़का, एक साहब का दामाद, रिश्तेदार वगैरह उसमें रख दिये गये। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक साहब को एक कारपोरेशन का चेयरमैन बनाया....(व्यवधान)।

श्री राम सिंह—

किस विभाग में? सूचना एवं हरिजन समाज कल्याण विभाग के किस कारपोरेशन में यह रखे गये या चेमरमैन बनाया?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस पूरी कैबिनेट में...(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें, आपको फिर अवसर मिलेगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं अभी एक मिनट में समाप्त करता हूं । मैं यह कह रहा था कि इन कारपोरेशन्स में भी यदि किसी हरिजन को उसका चेयरमैन बनाते तो मुझे खुशी होती । वह होता उधर का ही, इधर का तो सवाल ही नहीं उठता ।

दूसरी बात यह कि आप जन संख्या के आधार पर आरक्षण की संस्तुति केन्द्रीय सरकार से करें । हरिजनों का आरक्षण जन संख्या के आधार पर होना चाहिये । तो जो ५१ में सेंसस थी, जो जन संख्या थी, उसके आधार पर १८ प्रतिशत नियुक्ति हुई थी । २२ परसेंट समथिंग इस वक्त जन संख्या हो गयी, उसके आरक्षण की संस्तुति केन्द्रीय सरकार को दे रहे हैं जो उद्योग, कृषि और व्यवस्था के अनुदान में, आवास के अनुदान में आपने रुपया लिखा है । वह यथार्थ में जाय, जमीन मे उतरे जमीन में उतरने पर लाभ होगा । मैं आप से कहता हूं कि पहले ही जमीन पर आ जायं तो अच्छा होगा । कोई इतने में मकान बनवा पायेगा कि नहीं ?

मेरे यहां एक लाइब्रेरी है हरिजन की और उसके लाइब्रेरियन का वेतन २२ रुपये है और आप ताज्जुब करेंगे २२ वर्ष से २२ रुपये वेतन उसका है । १० रुपये मंहगाई भत्ता, १२ रुपये वेतन । उसमें व्यवस्था क्या ? दो घंटे सुबह, दो घंटे शाम को लाइब्रेरी खोलना है । ४ घंटे के लिये २२ रुपये में आपको आदमी मिलेगा ? उसका अनुदान बढ़ायें ।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)--

मान्यवर, आपने हरिजन एवं समाज कल्याण के विषय पर मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आलोचना के बजाय माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं एक ऐसे क्षेत्र से चुन कर आया हूं जहां दो विकास खण्डों में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं और गांवों में, छोटे-छोटे गांवों में हरिजन वर्ग के लोग रहते हैं । हमारे यहां पर उत्तरा खन्ड के उस पर्वतीय अंचल में हरिजनों के और सवर्णों के संघर्ष की कोई ऐसी समस्या नहीं है । लेकिन अपनी राजनीति में मार खाये हुए कुछ अब उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अपने यहां के हरिजन बन्धु अभी तक उनके बहकाने में नहीं आते हैं । अपन यहां पर हरिजनों के जीवन में यदि हमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, तो शासन के द्वारा सुदूर लखनऊ में बैठी हुई सरकार उसके लिए जो कार्य करती है, उनमें बिल्कुल परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

एक उदाहरण के तौर पर मैं जमीन का मसला लेना चाहता हूं । हमारे यहां हरिजनों को मकान बनाने के लिए ४ मुठ्ठी जमीन दे दी जाती है । यह चार मुठ्ठी जमीन क्या होती है ? २० नाली का एक एकड़ होता है, १६ मुठ्ठी की एक नाली होती है । तो एक एकड़ का कितना छोटा हिस्सा वह होगा जिस पर मकान बनाने की जमीन दे दी जाती है ? शासन से जिलाधिकारी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान---]

माध्यम से बार-बार हम लोगों ने निवेदन किया है कि इसमें संशोधन करके उनको जरा ज्यादा जमीन दे दी जाय। लेकिन अभी तक इस पर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। इस समय ग्रामों की ओर चलने वाली सरकार, अन्त्योदय को आधारभूत मानने वाली सरकार हमारे यहां हरिजनों के बजाए शिल्पकारों पर ज्यादा ध्यान देती है। हल बनाने, धातु की चीज बनाने, मकान बनाने, मंदिर बनाने, मंदिरों की मूर्ति बनाने का निर्माण कार्य हमारे यहां के हरिजन लोग करते हैं। इस तरह से गृहस्थ जीवन की, समाज में शिल्पकार की हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया जैसे-जैसे समाज में सभ्यता का प्रवेश हुआ उनका स्वरूप पीछे छूट गया। आज कानपुर का जूता, दिल्ली का बना हुआ फावड़ा, टाटा का बना हुआ सम्भल आ गया और शिल्पकारों की जो चीजें बनती थीं वह खत्म हो गयीं। उनके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन शिल्पों को एक बार पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, एक बार पुनरोद्धार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आलोचना की आवश्यकता नहीं है बल्कि धन की आवश्यकता है। आप पैसा एकत्र कीजिए और उनको धन दीजिए जिससे यह फिर शुरू हों। इसमें मैं तो केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रत्येक विकास खण्ड को एक सिंचाई ए० डी० ओ० दिया है, पंचायत का का ए० डी० ओ० रखा है उसी प्रकार से प्रत्येक विकास खण्ड में हरिजन कल्याण के लिए एक ए० डी० ओ० होना चाहिये। इस में राजनीतिक तर्क के बजाय मानवीय समस्या पर विचार करना पड़ेगा। जब तक बद्रीनाथ में पुजारी हरिजन और काशी में शंकराचार्य की गद्दी पर हरिजन नहीं बैठता है तब तक थोथी नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। समाज में चलने वाला भीषण संघर्ष कम होने वाला नहीं है।

मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वहां पर दो विकास खंडों में भोटिया जन जाति के लोग रहते हैं। जब तक भारत वर्ष और चीन में व्यापार चलता था और नमक का व्यापार चलता था तब ये खुशहाल थे। लेकिन चीन से हमारे संबंध खराब हुए और सारी भोटिया जन जाति तबाह हो गयी। उनको बचाने के लिए ३० सालों के शासन ने कोई काम नहीं किया। सौभाग्य से वे विषमताओं से लड़ने के आदी हैं और उन्होंने थोड़ी नौकरी या व्यपार करके अपने को कुछ हद तक संभाला। मान्यवर, उनकी महिलायें, बहनें इतने शानदार कालीन बनाती हैं गलीचे बनाती हैं, चद्दर तैयार करती हैं लेकिन उनके लिए ऊन कहां से आये, मशीनें कहां से आयें और पैसे की व्यवस्था कहां से हो? तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, कि एक बार उनके लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जैसे मिर्जापुर और बनारस, भदोही और आगरे में शानदार कालीनें बनाने के लिए मुक्त हस्त से हर सुविधा दी है तो उसी तरह से हमें एक बार मौका दें।

मान्यवर, बद्रीनाथ और केदारनाथ से आने वाले यात्री अपने साथ निशानी के लिए कुछ लाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे उद्योगों के लिए काफी प्राविधान किया जाय। जोशीमठ और दशाली विकास खण्ड के जितने गांव हैं वहां पर खड्डियां व रांच लगाकर बुनाई का काम किया जा सकता है। हमारे यहां पर कुछ आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं। एक तरफ तो इस प्रदेश के अंदर पब्लिक स्कूल्स हैं और दूसरी तरफ वह स्कूल्स हैं जहां पर नंगे भिखमंगे बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, आश्रम पद्धति के नाम पर। एक तरफ तो अंग्रेजी को अनिवार्य किया है, नौकरी उसको मिलेगी

जो अंग्रेजी पढ़ेगा । तो जो बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं, आश्रम पद्धति के विद्यालयों में पढ़ते हैं, इन विद्यालयों की गति से मैं असंतुष्ट हूं । मैं चाहता हूं कि आप उन विद्यालयों के लिए भवन आदि की व्यवस्था करें । चाहे कुछ मकानों में इसके लिए आपको बिजली के खर्च में कमी करनी पड़े या वातानुकूलित इमारतों, कोल्ड स्टोरेज का खर्च कम करना पड़े लेकिन हरिजनों के बच्चों के इन स्कूलों के लिए भवन और शिक्षा के लिए पैसे की व्यवस्था करनी चाहिये । मुझे विश्वास है कि आपने अपने घोषणा-पत्र में, राज्यपाल के अभिभाषण में जो वायदे हरिजनों के लिए किये हैं, उसके लिए शतप्रतिशत आगे आयेंगे चाहे उसके लिए हमें कितनी कुरबानी करनी पड़े ।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस हरिजन बजट पर बोलने का मौका दिया । ३० वर्ष से हरिजनों के लिए ऐसा बजट आज तक नहीं बना । इसका मतलब यह है कि जो हमारे हरिजन व समाज कल्याण मंत्री हैं वह बड़े ही कर्मठ, उत्साही, परिश्रमी और मेहनती हैं । मान्यवर, हरिजन विभाग में जो एक हरिजन निगम बना है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने जहां एक कपड़े के व्यापार के लिए ४ हजार रुपये हरिजनों को कर्ज के रूप में इससे मिलते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगा और वह यह है कि हरिजन बेरोजगार लोगों को जैसे ठेला जो किराये पर लेकर मोटा सामान ले जा सकें, जैसे बनियाइन व मोजे ले जा सकें वह बेरोजगार लड़के कमीशन पर अपना माल बेचेगें ।

मान्यवर, जो अनुसूचित निगम बना है उसको आज धन थोड़ा दिया गया है । इसमें मेरा सुझाव है कि प्रशासन इस निगम को उदारतापूर्वक धन दे । हरिजन बेरोजगार को रोजगार देना एक बड़ा कार्य है । इस अनुदान द्वारा उनका कल्याण होने वाला नहीं है । इसका कारण है कि कहीं ५०० रुपये दिये और कहीं २ हजार रुपये दिये । इससे हरिजनों का भला होने वाला नहीं है । इसके बावजूद इस निगम के द्वारा उनको कुटीर उद्योगों के लिए और कृषि काम करने के लिए ऋण के रूप में रुपया देंगे तो वह बेरोजगार अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे । मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक से करोड़ों रुपये निगमों को दिलाने का प्रयास किया है । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि चूंकि यह बैंक के जो मामले हैं इसमें हरिजनों के साथ धोखा हो रहा है । मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की बात मैं बताना चाहता हूं कि यहां से हरिजन विभाग द्वारा काफी लोग बेरोजगार जाते हैं और बैंकों में धक्के खाते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बैंकों के मैनेजर हरिजनों को कर्ज नहीं देते हैं । नतीजा यह है बिचौलिये अपना इससे लाभ उठाते हैं और पैसा कमाते हैं । इसलिए एक ऐसा बोर्ड बना दें जिसमें उस क्षेत्र का, जिसमें बैंक पड़ता हो, एक विधायक सदस्य बोर्ड में बैठे और ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को ऋण दिलाये इससे हरिजन बेरोजगार अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और अपने परिवार का पालन कर सकेंगे ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहता हूं कि गरीब हरिजन लोगों को जो सीलिंग की जमीन मिली है । उनको अनुदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नन्दराम--]

न दे कर, ऋण न दे कर के उनके लिए ट्यूब वेल का इन्तजाम किया जाय। यदि पानी और खाद का इन्तजाम आप कर दें तो मैं समझता हूं कि वे अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे और अपना जीवन बसर कर सकेंगे।

मैं आपके माध्यम से एक बात और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देहातों में आजकल जमीन के कब्जे के बारे में लोग हरिजनों को बहुत परेशान करते हैं। वहां पर जो हरिजन अफसर है उसके पास कुछ नहीं है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे हरिजन कल्याण अधिकारी के हाथ में जितनी भी हरिजन कल्याण संबंधी बात है चाहे आरक्षण की हो, भूमि की हो, छुआछूत की हो, वह होनी चाहिए। इन चीजों का पूरा फैसला उसके हाथ में हो। इसके साथ ही साथ एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि हर विभाग में चाहे प्लानिंग विभाग हो कोई विभाग हो किसी को दो जीपें, किसी को दस जीपें मिली हुई हैं, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण विभाग हरिजन विभाग है कि हरिजन कल्याण अधिकारी को साइकिल में, मोटर में और पैदल जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हरिजन कल्याण अधिकारी को हरिजनों पर अत्याचार के बारे में, छुआछूत के बारे में, जगह-जगह जाना पड़ता है लेकिन उस के पास कोई साधन जाने के लिए नहीं है। मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि कम से कम उनके पास आने-जाने के लिए एक मोटर कार का साधन जरूर होना चाहिए।

मान्यवर, फीस और वजीफे की बात ले लीजिए, हरिजनों की छुआछूत की बात ले लीजिए, जो हमारे प्राइवेट कालेज हैं उन में अक्सर परेशानी रहती है। कोई कहता है स्कालर फार्म को प्रधानाचार्य ने प्रमाणित नहीं किया या लिखा नहीं। मान्यवर, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं चाहे इन्टर हो, बी० ए० हो, हाई स्कूल हो सब को सरकार एड देती है लेकिन इन के जो बोर्ड बने हैं उन में एक भी हरिजन सदस्य को नियुक्त नहीं किया जाता है। आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से पुरजोर मांग है कि बोर्ड में जरूर हरिजन सदस्य की नियुक्ति की जाय, चाहे आरक्षण का मामला हो, वजीफे का हो ताकि वह हरिजनों और पिछड़ी जातियों की समस्याओं को समझ सकें।

एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह कि सीलिंग की जमीन बंटी है। यह योजना कांग्रेस शासन में चली लेकिन यह ज्यों की त्यों पड़ी है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जैसे चकबंदी विभाग में अलग-अलग स्टाफ होता है उसी प्रकार सीलिंग के बारे में भी अलग-अलग स्टाफ भी होना चाहिये। अतिरिक्त जिला अधिकारी हरिजनों की तरफ से नियुक्त होना चाहिए और उसके पास ५-७ पटवारी, एक कानूनगो और नायब तहसीलदार होने चाहिए उस का अलग स्टाफ होना चाहिए। तब ही सीलिंग की जमीन निकलेगी। आप ने पास किया है कि किसी हरिजन की जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए तीन साल की सजा होगी लेकिन हमारे ए० डी० एम०, जिलाधीश और दूसरे अधिकारी इतने व्यस्त रहते हैं अपने दूसरे कामों में कि उन को इन कार्यों को देखने की फुरसत ही नहीं मिल पाती। इसलिए मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि यदि हरिजनों की दशा सुधारनी है तो यह बात आपको करनी पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ में कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता

हूं । अपने देश में यह प्रचलन है कि हाथ से काम न करो वही बड़ा आदमी है जो अच्छा भोजन करे, अच्छ मकान में रहे, अच्छे वस्त्र पहने और हाथ से काम न करे लेकिन जो हाथ से काम करता है, वह उपेक्षित और नीच व कमजोर तथा सबसे दबा हुआ समझा जाता है । इस व्यवस्था को बदलना होगा । ग्राम स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए अध्ययन दल बनाना होगा जिसका काम होगा उनकी कठिनाइयों को किस तरह से दूर किया जाय इसको अध्ययन करना । जमींदारी टूटने के बाद ८, ९ किस्म से ग्राम समाज की सम्पतियां निकली हैं । यदि उनका सर्वेक्षण कराया जाय तो बहुत हद तक हरिजन समस्या का समाधान हो जायगा । एक घपला यह है कि जितनी प्राइवेट शिक्षण संस्थायें चल रही हैं उनमें ग्राम समाज की सम्पत्तियों को जोड़कर सरकार से मान्यता ले ली गयी है । इसके अलावा अनुदान तथा ऋण भी वे ले रही हैं । इसकी छानबीन की जानी चाहिए ।

मैं हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक परिवार से कोई न कोई बच्चा जब कक्षा ६ में पहुंचता है तो उसको छात्रवृति मिलनी चाहिए लेकिन उसके लिए अनुदान इतनी कम मात्रा में होता है कि प्रत्येक विद्यालय में संभवतः एक या दो ही लड़कों को वह छात्र-वृत्ति मिल पाती है, शेष बच्चे वंचित रह जाते हैं । मेरा सुझाव है कि दर्जा ५ पास होने के बाद दर्जा ६ के प्रत्येक हरिजन छात्र को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति मिलने की व्यवस्था की जाय शासन की ओर से और वह छात्रवृत्ति प्रति माह मिलनी चाहिए । पिछले ३० वर्ष में वह छात्रवृत्ति सीधे प्रधानाचार्य के हाथ में जाती थी जिसका बड़ा दुरूपयोग होता था । इसके अलावा जो हरिजन छात्रावास बनाने के लिए विद्यालयों को अनुदान दिया जाता था अगर उनका हिसाब-किताब देखा जाय तो पता लगगा कि बहुत बड़ी रकम हरिजन छात्रावास के नाम पर खाई गयी है । पहले तो हरिजन छात्रावास बने ही नहीं, अगर कहीं बने भी हैं तो उसमें क्लास लगते हैं और हरिजन छात्रों को जो बाहर से आते हैं, उनकी बस्ती में रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है इसके अलावा गावों में हरिजनों के अलग-अलग ग्राम हैं जो उनकी अलग-अलग जाति से सम्बन्धित हैं । उनके लिए शासन की ओर से मकान बनाने की जो व्यवस्था की जाय आबादी से बाहर निकाल कर उनको ऊसर, जंगलों में अथवा बंजर भूमि में बसाना न उनके हित मे होगा न समाज के हित में होगा । अतएव मेरी मांग है कि जहां पर यह रहते हैं वहीं पर इनके लिए दो मंजिले या तीन मंजिले मकान बनाकर इनके रहने की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, इनको काम देने की बात है । शासन ने जो कदम उठाये हैं उसके लिए हम शासन के आभारी हैं मगर उसमें तेजी आनी चाहिए और वह कागजों तक ही न रह जाय । व्यवहारिक रूप में उसको लाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि जिला स्तर, तहसील स्तर अथवा ब्लाक स्तर तक हरिजनों की समस्या का समाधान करने के लिए किसी न किसी सरकारी संस्था की स्थापना होनी चाहिए । उन क्षेत्रों में जो लिखे पढ़े या समझदार हरिजन लोग मिले उनको भी इन संस्थाओं में जोड़ा जाय ताकि सही-सही जानकारी उन संस्थाओं को मिल सके और जो उनकी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की बात की जा सके ।

मान्यवर, मैं केवल इतना कह कर संतोष करता हूं कि समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे उपेक्षित वर्ग यही है जो हरिजनों की बात करते हैं वही वास्तव

[श्री नाथू राम शिक्षक--]

में उनके सर के बोझ भी बने हुए हैं । यह सारे समाज की जिम्मेदारी है, केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं है यदि दबे हुए को उठाना है तो सबको कुछ न कुछ त्याग करने की बात करनी पड़ेगी तभी उनका कल्याण हो सकता है जब तक यह भावना नहीं आती है तब तक केवल हवाई लाठी चलाने से हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है । विदेशों में यह प्रथा है कि जो हाथ से काम करता है, वह सबसे कीमती आदमी माना जाता है उसको सारी सुविधायें बराबर मिलती हैं । किन्तु इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां हाथ से काम करने वाले की उपेक्षा की जाती है और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को दबाने और सताने में सबका मन लगता है । ऐसी प्रथा यहां चली आ रही है । इसे बदलने के लिए मुझे विश्वास है जनता सरकार अपनी पूरी शक्ति लगा कर जल्दी से जल्दी इनके कल्याण का रास्ता निकालेगी ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का पुनः समर्थन करता हूं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

एक और दो के बीच में कोरम की बात नहीं उठायी जाती ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

मान्यवर, आज जो बजट समाज कल्याण मंत्री ने पेश किया है उसका सम्बन्ध प्रदेश की दो करोड़ जनता से है । इस लिए आज का यह बजट हमारे लिए महत्वपूर्ण है । मुझे खुशी है कि इस बार मंत्री जी ने कुछ नई घोषणाएं की हैं और पिछले बजट से ज्यादा का बजट इस साल रखा गया है और कुछ नई घोषणायें भी की गई हैं । पहले मंडलीय स्तर पर उच्च अधिकारी नहीं रखे जाते थे ..

श्री अधिष्ठाता--

मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा कि वह समाज कल्याण मंत्री को सदन में बुलायें । एक दिन बैठना पड़ता है क्या तीन घंटे बैठ भी नहीं सकते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)--

अभी मुझे कह कर गये हैं, बाथरूम गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप नोट करें ।

श्री कल्याण सिंह--

मैं नोट कर रहा हूं ।

श्री मान सिंह आजाद--

अभी गये हैं मान्यवर ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद––

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि कुछ नई घोषणायें की हैं पहले मंडलीय स्तर पर कोई उच्च अधिकारी नहीं रहा करते थे। एक उप–निदेशक की नियुक्ति उन्होंने हर मंडल में कर दी है इस संबन्ध में मेरा सुझाव यह है कि उनके विभाग में ऐसे बहुत से वरिष्ठ और पुराने अधिकारी हैं जो पहले सहायक निदेशक थे, वे अब उप निदेशक होंगे तो उनको काफी घाटा होगा। मिसाल के तौर पर बाबू गोपी चन्द्र जी हैं यदि इनको उप निदेशक का ग्रेड मिला तो उनको घाटा होगा अतः विभाग में स्पेशल ग्रेड का भी अधिकारी रहना चाहिए, जो हरिजन उत्पीड़न या आबंटित पट्टे पर से बेदखल किए जाने के कार्य को देखें। छात्रावासों के निर्माण के लिए उन्होंने ६ जिले घोषित किए हैं, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं एक विशेष चीज यह कहना चाहता हूं कि विकलांग को आपके विभाग की ओर से जो पेंशन दी जाती है, उसका फार्म होता है डुप्लीकेट में, उसे भरना पड़ता है। किन्तु हर एक के लिए यह सम्भव नहीं होता है कि उस फार्म को भर सके और फिर भरवाने के बाद किसी एम० एल० ए०/एम० पी० या गजटेड अधिकारी के हस्ताक्षर करावे और उसके बाद फिर महीनों घूमने के बाद फार्म गवर्नमेंट के पास पहुंचे। इसलिए मैं इस सरकार को जिम्मेदार बनाना चाहता हूं, इनके कर्मचारी तहसील और जिला स्तर पर ऐसे समस्त लोगों की सूची तैयार करें और उनके फार्म भरवाने में वह मदद करें। उन विकलांगों के लिए तहसील और जिले पर जाना बड़ा मुश्किल होता है, वे वहां पर १०–१५ रुपये खर्च करके पहुंच नही सकते हैं। यह कार्य सरकार को अपनी ओर से करना चाहिए। इस पर मंत्री जी अपना ध्यान देने की कृपा करें।

अनुसूचित जाति के तमाम विद्यार्थी आज बी० ए० व एल० टी० किए बेकार बैठे हैं इनको रोजगार दिलाने की ओर मंत्री जी का पूरा ध्यान जाना चाहिए। वैसे तो जो सूची दी है वह बहुत अच्छी है, जिससे हमें पूरी इत्तिला मिल जाती है कि कौन–कौन से विभागों में उनके लिए कितना संरक्षण है। लेकिन वह बी० ए० और एल० टी० पास वालों को बड़ी आसानी से नौकरी पर रखवा सकते हैं, क्योंकि अब तक सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में कहीं भी संरक्षण पूरा नहीं है कुछ प्राइवेट संस्थाओं में तो अभी तक नहीं के बराबर संरक्षण है। इस लिए उनको देखना चाहिए कि संरक्षण पूरा हो और उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह मिल जाय।

यहां स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं, उनसे सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं उनसे जिक्र कर देना चाहता हूं। देहातों म तमाम अस्पताल हैं और तमाम एम० बी० बी० एस० और पी० एम० टी० पास हरिजन विद्यार्थी बेकार बैठे हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, उनको इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे हरिजन छात्र डाक्टरी की नौकरी में लग सकें और उनकी घोर बेकारी दूर हो सके।

हरिजनों पर ज्यादती के सम्बन्ध में जो चर्चा होती है, इस सम्बन्ध में मेरा मत है कि न कांग्रेस के जमाने में ज्यादतियां कम न थीं और न अब हैं। जिला उन्नाव में ग्राम नाथिकपुर, थाना फतेहपुर चौरासी के अन्तर्गत २८–२९ नवम्बर को नसबन्दी के सिलसिले में पूरे गांव को पी० ए० सी० वालों द्वारा जलाया गया और ८–९ घरों का सारा गहना और सामान पी० ए० सी० वालों

[श्री जगन्नाथ प्रसाद--]

ने लूट लिया । इस कांड को जांच करने सी० आई० डी० के बड़े अफसर राधेश्याम जी वहां गये । उन्होंने बिल्कुल गलत पाया और जैसी की तैसी रिपोर्ट कर दी पी० ए० सी० तैनात की गयी, कानपुर से उन्नाव में आयी । लेकिन लोकल पुलिस हटा दी गयी । इस बात की जानकारी क्षेत्रीय विधायक ने भी की कुछ दिन पहले वह केस सी० आई० डी० को दिया गया, रिपोर्ट दी कि बिल्कुल गलत है, जब कि मेरी निजी जानकारी में है । वाक्यात सब सही हैं । एक और घटना मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । २५ मार्च की घटना मेरे क्षेत्र की है, जिसमें तीन हरिजनों के घर जलाये गये । पुलिस ने एक्शन लिया । केस कायम है । लेकिन जो हरिजन सहायता मिलनी चाहिए तत्काल वह अब तक नहीं दी गयी है मंत्री जी ने जो विवरण दिया है उसमें दिखाया है कि ५०० रुपये प्रति व्यक्ति को जिसका मकान जला दिया जाय उनको दिए जायेंगे । लेकिन इस तरफ कुछ भी नहीं हुआ है । मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें ।

आज कल रबी की फसल तैयार है । प्रदेश में हजारों आबंटी हैं जिनको भूमि मिली थी । उन्होंने फसलें बोयीं । कई जगह से शिकायतें आती हैं कि आतंकवादी छोटे पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से उनको कटवा रहे हैं रामलोक और परसा गावों में ऐसा हुआ है । कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि फसलों की सुरक्षा की जाय । कुछ भी नहीं हुआ । आतंकवादी लोग काट रहे हैं । ऐसी शिकायतें जहां से भी आती हों उनकी जांच तुरन्त डी० आई० जी० स्पेशल सेल के जरिये करवानी चाहिए । इन शब्दों के साथ में विरोधी पक्ष की तरफ से रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में तथा नाटकीय ढंग से माननीय सेहरा द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं ।

स्वतन्त्रता के बाद १९४८ में हरिजन सहायक विभाग की स्थापना हुई थी । १९५५ में इस विभाग को अलग करके एक अलग मंत्रालय स्थापित किया गया । तब से १९७६ तक, जो दो संविद सरकारें ६-६ महीने रहीं उनको छोड़ कर, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह कांग्रेस के लोग, हरिजनों के लिए केवल घड़ियाली आंसू बहाते रहे हैं । उन्होंने हरिजन कल्याण विभाग को केवल एक प्रचार का साधन बनाया था । राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों ने उनका चुनावों में प्रचार किया था उनको अनुदान दे कर परिश्रम के रूप में संतुष्ट किया करते थे झोपड़ियों में रहने वाले विकलांगों और गरीबों के लिए उनके कार्यकाल में कुछ भी सहायता नहीं दी गयी ।

जब हम शासन में आये । जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में नीतियां घोषित हैं । हम हरिजनों के लिए घड़ियाली आंसू नहीं बहाना चाहते हैं । हमारा मुद्दा होगा कि हरिजनों, असहायों की धार्मिक, समाजिक और आर्थिक दृष्टि से सहायता करेंगे । हरिजन और समाज कल्याण मंत्री ने अपने दो महीने में जो कार्य किया है उसको अगर मैं वर्णन करने लगूं तो बहुत समय लग जायगा आप जहां बैठे हैं, उसके पीछे पूज्य बापू का फोटो लगा है । उन्होंने इस समाज के सबसे तिरस्कृत मेहतरों के लिए लड़ाई लड़ी थी । उनका नाम लेने वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कांग्रेस के लोग जब कुर्सी पर आये तो उन्होंने उन गरीबों, मेहतरों के लिए कुछ नहीं किया । लेकिन हमारे मंत्री जी ने मेहतर बस्तियों का जहां कि रात में बहनें और माताएं काम करने के लिए चली जाती हैं, उनके बच्चे बिलबिलाते रहते हैं, उनके रखने का कोई स्थान नहीं था । पहली बार जनता सरकार ने अपने इस बजट में प्राविधान किया कि ऐसी परिस्थितियों में सुविधायें दी जाएंगी । जब औरतें काम पर चली जायेंगी तो उनके बच्चों के शैक्षणिक सुविधायें प्रदान की जायेंगी । सी० पी० एम० टी० और पी० एम० टी० में हरिजन छात्रों को कोचिंग करने की व्यवस्था की गयी है । हमारी जनता सरकार ने जो इस बारे में किया है वह किसी से छिपा नहीं है हम चाहते हैं कि इस विभाग का विकेन्द्रीकरण करिए और वहां पर आप एक अधिकारी की नियुक्ति कीजिए जो हरिजनों की समस्याओं को देखें और जो सुविधायें उनको प्राप्त हो सकें उनको दिलाने की व्यवस्था करें ।

जहां पर सरकार ने हरिजन लोगों को सुविधायें देने का प्रयास किया है वहीं पर इस विभाग में बड़ा ही भ्रष्टाचार व्याप्त है । इसमें सुधार करने की आवश्यकता है । जो सहायता की धनराशि जिलों में हरिजन लोगों के लिए दी जाती है उसका पचास प्रतिशत से ज्यादा नौकरशाही के हाथ में चला जाता है । हरिजनों को मिलने वाली सुविधायें उन झोपड़ियों तक नहीं पहुंच पाती हैं जहां पर वह बेचारा हरिजन रहता है । इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाया है वह उसके लिए बधाई की पात्र है ।

मान्यवर, आरक्षण के मामले में बहुत हमला किया गया । २५ वर्ष के शासन में क्लास १, क्लास २ और क्लास ३ में उनकी क्या स्थिति रही है । आई० ए० एस० अधिकारी को कभी कलेक्टर नहीं बनाया गया जो आई० पी० एस० अधिकारी हैं उनको कभी एस० एस० पी० नहीं बनाया गया । क्या यह लोग नहीं जानते थे कि ये हरिजन हैं और उनको प्रमोट करना चाहिए । कभी भी हरिजनों को उन्होंने सुविधायें नहीं दीं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितने भी हरिजन आई० ए० एस० अधिकारी हैं आई० पी० एस० अधिकारी हैं और जो हरिजन कन्फर्म्ड इन्सपेक्टर हैं उनको जिलों में भेजा जाये और जरूरत पड़े तो उनको सी० ओ० भी बनाया जाए । बड़े-बड़े हरिजन अधिकारियों को मुख्यालय पर रखा जाये । और जो गड़बड़ी हो रही है उसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी जाए और जो शैक्षणिक संस्थायें हरिजनों के अनुदान को खाती हैं उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मैं सेहरा साहब से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । यह तो मंत्री जी कहेंगे लेकिन मैं भाई चारे के नाते उनसे यह कह रहा हूं ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

मेरा निवेदन है कि इस बजट पर हरिजन सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करें ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी तक पूरे के पूरे हरिजन सदस्य बोले हैं ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

बोलने का मौका नहीं दिया जाता है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्त रहिए । आप लिस्ट देख सकते हैं ।

अभी आप सूची देख लें । जिन माननीय सदस्यों को बुलवाया गया है सभी हरिजन हैं, जितने भी नाम हैं उनमें हरिजनों के अलावा नहीं है जो बोला हो । यदि आप सदन में नहीं रहते हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय, सदस्य की मांग पर आपने कहा कि केवल हरिजन सदस्य बोलेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने "केवल" नहीं कहा है । जो सूची मेरे पास होती है, उसी के अनुसार मैं बुलवाता हूं लेकिन उसके बाद भी मेरा विवेक रहता है ।

श्री नेम सिंह चौहान—

किसी बजट पर केवल हरिजन सदस्य ही बोलें यह कौन सा नियम है ?

श्री अधिष्ठाता—

नेम सिंह जी, यह तो मैं स्वयं कह रहा हूं ।

श्री मानसिंह आजाद—

[× × ×] (अत्यधिक शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप जितनी बात बोल रहे हैं वह सदन की कार्यवाही से निकाल दी जायगी और भविष्य में और कड़ी कार्यवाही की जायगी । यदि इस प्रकार फिर बोलने की चेष्टा की, मैं आपको बोलने की आज्ञा नहीं दूंगा ।

श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण तथा सूचना एवं प्रचार मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, हमारे सूचना मन्त्री जी ने गत वर्ष जो बजट पेश किया था उससे इसमें वृद्धि की है और कुछ मदों में कमी भी की है । लेकिन निदेशन, प्रशासन सूचना केन्द्रों के वेतन भत्ता, क्षेत्रीय प्रचार और मंहगाई भत्ते में एक मुश्त १ लाख २० हजार रुपये की वृद्धि का प्राविधान किया है जो एक सराहनीय कदम है । मान्यवर, सभी जानते हैं कि पिछले ३० वर्षों में कांग्रेस के राज में

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सूचना विभाग ने उनका प्रचार किया है। मान्यवर, इंदिरा जी के राज में श्री विद्या चरण शुक्ल केन्द्र में सूचना मन्त्री रहे हैं लेकिन वे अपने व्यक्तिगत प्रचार में ही लगे रहे। अब जो सही काम हुए हैं उनसे पता चलता है कि किस प्रकार से सूचना विभाग उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति बन कर रह गई थी।

मान्यवर, मैं पत्रकार हूं। पिछले २७-३० वर्षों से पत्रकारिता में कार्य कर रहा हूं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सूचना मंत्री जी पत्रकारों को सुविधायें देने की सोच रहे हैं और इसको जीवन उपयोगी बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जिसकी वर्तमान बजट में एक झलक है। मान्यवर, मैं हरिद्वार क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां पर प्रतिवर्ष १२ लाख व्यक्ति भारतवर्ष के प्रत्येक अंचल से, प्रत्येक नगर से स्नान करने के लिए आते हैं। यह शिवालिक की छाया में, नीलगीरी के सान्निध्य में, हिमालय के आंचल में बसा हुआ हरिद्वार है। यह बड़ी श्रद्धा का केन्द्र है। कुम्भ और अर्ध कुम्भ के अवसर पर यहां पर विदेशों से एक लाख यात्री १९७४ में कुम्भ में स्नान करने के लिए आये थे जो अफ्रीका और नैरोबी से आये थे। मेरी प्रार्थना है कि हरिद्वार में एक सबल सूचना केन्द्र की स्थापना की व्यवस्था की जाय जो केवल सरकारी विज्ञप्तियों को वितरण करने का ही काम न करे बल्कि वहां पर कार्य करने वालों को हरिद्वार की पूरी जानकारी हो, उत्तराखंड की उन्हें पूरी जानकारी हो। मान्यवर, वहां पर पतित पावनी कल कल निनादिनी, कलिमल हारिणी गंगा बहती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाले यात्री पहले हरिद्वार में ही डेरा डालते हैं। यह हरि का द्वार है। इसलिए पुराणों में इसका नाम 'हरिद्वार' है। गेट आफ गार्ड इसको कहा जा सकता है। तो इस स्थान पर एक सशक्त सूचना केन्द्र का होना आवश्यक है जहां पर सरकारी प्रकाशनों के अलावा यह भी बताया जाय, साहित्य के माध्यम से कि हमारा देश एक है, अखंड है, विशाल है, अक्षुण है। काश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमाचल से हिन्द महासागर तक, जूनागढ़ से डिब्रूगढ़ तक हजार मील लम्बा-चौड़ा हमारा प्यारा भारत देश है। हरिद्वार क्षेत्र को यदि लघु भारत कह दिया जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। केरल और अरुणाचल, काश्मीर तक के यात्री वहां आते हैं—रंग बिरंगे यात्री, मधुर-मधुर बोलियों द्वारा जीवन यापन करते हैं तो सारे भारत का छोटा मानचित्र वहां दिखाई देता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि विभिन्न भाषाओं में हिन्दुस्तान की एकता की, भावनात्मक एकता का, राष्ट्रीय एकता का प्रचार करने का साहित्य वहां के सूचना केन्द्र में रखा जाय।

आज से २० हजार साल पहले महर्षि अगस्त्य ने अपनी "अगस्त्य संहिता" में दो पंक्तियों के द्वारा सारे देश का जैसा भव्य वर्णन किया था वह सुनने लायक है—

"हिमालय समारम्भ यावदिन्दु सरोवरम्।
तं देव निर्मिते देशे हिन्दुस्थानं पुचक्षते॥"

हिमालय से शुरू होकर इन्दु सरोवर तक, कश्मीर से कन्या कुमारी तक। इंडस लेक जिसे कहते हैं, वह इंदु सरोवर है जहां बंगाल, सिन्धु सागर—जिसे अब अरब सागर कहते हैं और हिन्द महासागर—इन तीनों का केन्द्र है इंडस लेक। तो यह देश इतना लम्बा चौड़ा है जिसे देवताओं ने बनाया है और इसका नाम "हिन्दुस्थान" है।

[श्री राज कुमार शर्मा--]

तो माननीय मंत्री जी मेरा अनुरोध मानकर इस महत्वपूर्ण केन्द्र पर सूचना केन्द्र की स्थापना करेंगे जो सशक्त होगा, सबल होगा ।

एक निवेदन और करूंगा । १९७५ में तत्कालीन शासन ने एक उपेन्द्र बाजपेयी कमेटी की स्थापना की थी । उसने रिपोर्ट दी और वह रिपोर्ट जहां तक मुझे ज्ञात है शासन द्वारा स्वीकार हो गई थी, शायद विधान सभा में प्रस्तुत नहीं हुई । मैंने उसको देखा है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो रिपोर्ट में पत्रकारोपयोगी सिफारिशें हों उनको लागू करें ।

एक निवेदन यह है कि अब तक सूचना विभाग के डायरेक्टर अफसर होते रहे हैं, आई०ए०एस० होते रहे हैं । मैं सुझाव देता हूं कि पत्रकारों को भी सूचना विभाग का डायरेक्टर बनाया जाय । वर्तमान व्यवस्था में यह नियम है कि आई०ए०एस० आफिसर डायरेक्टर पद पर आते हैं । उनका यहां मन नहीं लगता, उखड़े-उखड़े रहते हैं, ४-५ महीने में दूसरे मुहकमे में निकलने का प्रयास करते हैं । यह पत्रकारों का विभाग है, अतः डायरेक्टर पत्रकार होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री राजकुमार शर्मा--

दो मिनट देने की कृपा करें । एक मेरा सुझाव है लघु और मध्यम पत्रों को सुविधा देने की माननीय मंत्री जी कृपा करें । हमारी सरकार के क्रियाकलापों को गांव-गांव में, डगर-डगर में, नगर-नगर में पहुंचाने वाले दिल्ली, लखनऊ के अखबार नहीं हैं । वे तो छोटे अंचलों के अखबार हैं जिनका सरकुलेशन छोटा है और वे अखबार अधिकतर देहातों में पहुंचते हैं । उनके साधन सीमित हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि उनको विज्ञापन आदि की, कागज में सुविधा प्रदान करने की कृपा करें । उनके संपादकों को पत्रकारों की मान्यता प्राप्त हों, उनको यात्रा और चिकित्सा में सुविधा देने की कृपा करें ।

एक निवेदन और है कि हमारे देश में छोटे अखबारों में "यलो जर्नलिज्म" बढ़ता जा रहा है । यह पश्चिम की देन है । एक आदमी का भाई शातिर गुंडा और बदमाश है हमारे क्षेत्र में । उसने देखा कि अखबार वालों का डी०एम०, एस०पी० सम्मान करते हैं तो उसने भी एक अखबार निकाल लिया, यद्यपि वह अन-पढ़ है । तो नये अखबारों को मान्यता देने में कड़ाई से काम लिया जाय और उनके डिक्लेरेशन आदि में संपादक की योग्यता निर्धारित की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री राज कुमार शर्मा--

हमारे जिले सहारनपुर में कोई सूचना अधिकारी पिछले ४-६ महीनों से नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि वहां सूचना अधिकारी भेजने की कृपा करें । लखीमपुर और सीतापुर दो जिलों के एक जिलाधिकारी एक नरेन्द्र कुमार वर्मा हैं जिन पर पुरानी राजनीति का भूत सवार है, जो सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने में सदैव लगे रहते हैं । उनका स्थानान्तरण किया जाय । उनकी शिकायतें माननीय, मेरे पास आई हैं । उनका ट्रान्सफर करने की कृपा करें । दोनों जिलों

के लिए अलग-अलग सूचना अधिकारी भेजे जायें। उत्तर प्रदेश के स्तर पर मान्यता-प्राप्त सम्पादकों एवं सम्वाददाताओं का एक सम्मेलन बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना जाये और उनको हल किया जाय। इन शब्दों के साथ में इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

(श्री गौरीशंकर एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर।)

श्रीमती रामरति देवी--

इनको तो ५-५ बार बोलने का अवसर मिल चुका है, हमें भी तो समय मिलना चाहिये।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

"मुझे असीर करो या मेरी जुबां काटो,
मेरे खयाल को बेड़ी पिनहा नहीं सकते।"

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया.....

श्री अधिष्ठाता--

यह आपका अधिकार है, पर यह अच्छा नहीं लगता।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

मान्यवर, इस हरिजन समस्या को देखने के लिए आचार्य नरेन्द्र देव और डा० लोहिया के दर्शन की आवश्यकता है। आज तक इस हरिजन समाज को एक शैटिलकाक और खूबसूरत फुटबाल की तरह से बनाकर रखा गया है। महज अच्छी-अच्छी बातें कह दो ताकि अखबारों में खूबसूरती के साथ, सुरखी के साथ, वे छप जायें। जिस तरह का खूबसूरत अभियान चलाया गया है, उसे समाप्त किया जाय, हरिजन उत्थान तो तब होगा जब उनकी मूल समस्याओं के निराकरण के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे। उसके ऊपर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। ३० साल तक [* * *] (व्यवधान) उन्होंने क्या किया ? उनके पास जो करोड़ों और अरबों रुपये का काला धन है, डीमनीटाइजेशन के कारण उस काले धन को हरिजन उद्धार में लगाया जाये....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया नाम न लें, जो नाम लिया है वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रारम्भिक पाठशालायें खोली जायें, हरिजन बस्तियों में प्रौढ़ पाठशालायें भी खोली जायें तथा उन्हें शिक्षित किया जाये। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाये।

नोट--[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री गौरीशंकर एडवोकेट--]

इसके अलावा जिन लोगों के पास काला धन जमा है, वह निकलवाकर, उस काले धन को हरिजनों पर खर्च किया जाये ।

माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि पिछले बजटों के मुकाबले में इस वर्ष कुछ धनराशि अधिक रखी गई है । इसके अलावा उनके मन में इन लोगों के उत्थान के प्रति लगन है । मगर कोई बहुत बड़ा तीर उन्होंने नहीं मारा है अभी तक करीब १ करोड़ रुपया ही ज्यादा रखा है । १७०० करोड़ के बजट में २५ करोड़ रुपया रखा है जो पूरे बजट के एक परसेंट से भी कम आता है । इन लोगों पर यह एक परसेंट से भी कम खर्च करने वाले हैं । आप यह कहेंगे कि दूसरे विभाग में हरिजनों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए योजनाओं में पैसा दिया जाता है । लेकिन यह कहने भर की बात है । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मात्राकरण (क्वान्टीटीफिकेशन) किया है ? शासन के विभिन्न विभागों ने अपने-अपने सामान्य बजट में हरिजनों की भलाई की योजनाओं के लिए अलग से पैसा रखा है और क्या यह सुनिश्चित किया है कि यह पैसा इसी काम पर खर्च हुआ है । मुझे भली-भांति मालूम है कि भारत सरकार के सुनिश्चित आदेशों के बावजूद हमारे शासन ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है और यदि कुछ किया भी है तो वह नगण्य है । मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी ऐसी हरिजन बस्तियां हैं जहां पर राजकीय नलकूप, पक्की सड़कें तथा नहरें कुलाबे, रजावहे निकाले गये हैं या ट्यूबवेल बने हों या अस्पतालों की सुविधा हो । ग्रामीण अंचल में जो योजनाएं आई है, मेरा निश्चित तौर से दावा है कि कभी आपने इस तरह का खर्च ग्रामीण हरिजन बस्तियों में नहीं किया है कि जिससे इन हरिजन समाज का भला हो सके । "बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब काटा तो कतरए खूं न निकला ।"

३० साल की इस आजादी में, तीस साल के आरक्षण के लिए, मैं देश के उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ये प्राविधान किया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह आरक्षण की नीति जो संविधान के अन्दर रख दी गई है, कोई इसके लिए एहसान नहीं कर दिया गया है । मैं नौकरशाही को ही इस विषम स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराता हूं । जब तक यह जहनियत नहीं बदलेगी, महोदय तब तक शासन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा । मैं कहता हूं कि इस अड़ियल घोड़े को तिकतिकाओ तो कुछ काम बने, कुछ गाड़ी खिंचे, वरना सब चौपट हो जायेगा । मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जब जनजागरण का तूफान उठेगा, इन्किलाब की बाढ़ आयेगी तो इस सड़ीगली व्यवस्था का पता भी नहीं चलेगा कि यह कहां गई, किधर गई । जिस समय पाकिस्तान के बटवारे की डिमान्ड की गई थी, तो डा० अम्बेदकर ने कहा कि हरिजनों के लिए भी इसी तरह से अलग व्यवस्था होनी चाहिए । महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा लेकिन आप ऐसा न करें । डा० अम्बेदकर ने उनकी बात मान ली और पूना पैक्ट १९३२, हुआ । इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कहां गए आपके वह आंकड़े ? १८ प्रतिशत आरक्षण के विपरीत प्रथम श्रेणी में ३-१/३ प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में ३-१/२ प्रतिशत, तृतीय श्रेणी में ६ प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी में १२ प्रतिशत तीस साल की इस लम्बी अवधि में पूरा हो पाया है । इस पर यह कहा जाता है कि हरिजनों को सभी कुछ तो दे दिया गया है बैकवर्ड क्लास के आरक्षण की जो बात आई है, मैं कहता हूं कि इस प्रशासनिक अड़ियल घोड़े को ठीक से हांको तो कुछ काम बने, कुछ गाड़ी खिंचे वरना सब चौपट हो जावेगा । वक्त माफ नहीं करेगा न हमें जो जनता के प्रतिनिधि बने हुए हैं, न उन्हें जो शासनतंत्र में अपने

को नवाबों और जमींदारों से किसी भी दशा में कम नहीं समझते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जब जनजागरण का तूफान उठेगा, इन्किलाब की बाढ़ आयेगी तो इस सड़ीगली व्यवस्था का पता भी नहीं चलेगा कि यह कहां गई। आपका सारा का सारा भाषण अधूरा का अधूरा रह जायगा। यह प्रशासन रूपी घोड़ा आपको एक इंच भी आगे नहीं चलने देगा।

अभी माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे थे। उनकी कोचिंग के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पिछले दिनों इसी हाउस में एम०बी०बी०एस० के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने के लिए वर्ष १९७७-७८ के सी०पी०एम०टी० की परीक्षा के आधार पर हरिजनों तथा जनजातियों के लिए १५६ सीटों की बात की गई थी। आपको और इस सम्मानित सदन को जानकर ताज्जुब तथा दुःख होगा कि माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी के आदेशों और नेकनीयती के बावजूद भी चिकित्सा विभाग की प्रतिक्रियावादी, हठी तथा हरिजन विरोधी नीति के पोषक नौकरशाही ने वे गुल खिलाए हैं कि १५६ रिजर्व सीटों के विपरीत इस साल इस वर्ग के केवल ५६ अभ्यर्थी ही लिए जा सके हैं, शेष १०० सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों से जानबूझ कर जबरदस्ती भर लिया गया है। माननीय चिकित्सा मन्त्री गरीबों के हिमायती हैं, उनके दुखदर्द से अभिभूत हैं, लेकिन बेचारे नौकरशाही के हाथों में खिलौना बन कर रह गए हैं। आज हरिजन वर्ग में इस अन्याय के प्रति जबरदस्त असंतोष है, भयंकर आक्रोश है और तीव्र प्रतिक्रिया है। आज हरिजन उत्पीड़न की बात समाचार-पत्रों से लेकर अपनी बात कहता हूं। ४२ हरिजनों पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी गई, उस समय कौन सरकार थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्र के पेट में चाकू मार दिया गया, उस समय कौन सरकार थी? छात्रों ने उस समय आंदोलन किया, उस समय कौन सरकार थी? पिछली तीस सालों की सरकार हरिजनों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाती आई है। हमारे कंधे इतने कमजोर नहीं हैं। यह जो आप हमारे कंधों पर बन्दूक रखकर चलाते रहे हैं यह आदत आपको छोड़नी होगी। अब हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के दिन गये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं इसकी आलोचना इसलिये कर रहा हूं कि अब हमको अपने दिलों और दिमाग को साफ करना पड़ेगा। आज जो कुछ हो रहा है, चाहे बनारस में हो रहा हो, देवरिया में हो रहा हो, या वह मेरठ की घटना हो, सारी घटनायें समाचार-पत्रों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं, लेकिन मैं इन पर वक्त नहीं लेना चाहता हूं। आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुये मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री विशेष रूप से जागरूक रहेंगे और समाज में इनको न्याय दिलाने के लिये कटिबद्ध रहेंगे। मैं अब पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब हरिजनों की बस्तियों में पीने के पानी के लिये कुयें खुदवाने की बात आती है तो बड़े-बड़े लोग, लाठी, भाले वाले लोग, तोप, तलवार वाले लोग उस कुयें को अपनी बस्ती में खुदवा लेते हैं और इस तरह से नाइन्साफी की जाती है। सरकार उनको अपने कुयें से पानी दिलाने की बात करती है तो इसको कार्यरूप में देखा जाय और

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

हरिजन बस्तियों में कुयें खुदवाये जायं । अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं कहता हूं कि वक्त आयेगा और फिर संभल नहीं पायेंगे । क्योंकि वक्त रूपी नदी के आगे बड़े-बड़े पहाड़ बह गये हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि अपने को बदलें । चाहे कोई भी सरकार हो वक्त के तकाजे पर ध्यान दिया जाय नहीं तो वक्त सब बदल देगा ।

वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है ।
चाहे जितनी हो बड़ी हो चाहे जितनी ही कठिन हो,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है ।

इन्हीं शब्दों के साथ में फिर कहता हूं कि इन सामंतों को, इन जमींदारों को जो इन रास्तों को अवरुद्ध कर रहे हैं वह होश में आ जायें और अपने मनको साफ करें, अपने मन मस्तिष्क को बदलें, अपनी विचार धारा को बदलें नहीं तो ये भी मिट जायेंगे ।

अगर ये कयामत का सामां लिये बैठे हैं,
तो हम भी मर मिटने का अरमां लिये बैठे हैं ।
दर्द दिल सोजे जिगर चाक गिरेबां की कसम,
अपनी हर आह में तूफान लिये बैठे हैं ।
गर तड़प उठें तो बदल जाय जमाने का निजाम,
गो लाख हाल हम परेशान लिये बैठे हैं ।
काफिले वालों संभल कर न भटक जाना कहीं,
कितने हर गाम पे शैतान लिये बैठे हैं ।

जयहिन्द ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, अभी हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी की घोषणायें मैंने सुनीं । मुझे उनकी घोषणाओं से ऐसा लगता है कि उनके दिल और दिमाग में कुछ करने की भावनायें हैं, वह कुछ करना चाहते हैं । मुझे खुशी है, मैं केवल आलोचना के लिये ही नहीं कह रहा हूं । मैं वास्तव में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । पिछली सरकार जो कार्य नहीं कर सकी है मैं समझता हूं कि शायद वर्तमान सरकार वह कार्य करेगी ।

पहला मेरा सुझाव यह है कि आपके समाज कल्याण कार्यालय जो हैं वह केवल जिला स्तर पर हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आपके विभाग के ब्लाक स्तर पर कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं हैं । अगर ब्लाक स्तर पर आपके कर्मचारी और अधिकारी हों तो मैं समझता हूं कि आपकी जितनी भी इस तरह की योजनायें हैं वह सरलता से पूरी हो सकती हैं । यह जो पुस्तिका हरिजन समाज कल्याण मंत्री की तरफ से प्रकाशित की गयी है उसमें सारी सुविधाओं के विषय में जानकारी

होनी चाहिये । देहात के निवासियों के लिये कुछ सुविधाओं की अत्यन्त आवश्यकता है । चूंकि ब्लाक स्तर पर कोई भी कर्मचारी नहीं है इसलिये जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिये वही नहीं मिल पाती हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि ब्लाक स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी या कर्मचारी तैनात करने की कोशिश करें ।

दूसरी चीज में कहना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियों में अभी भी पीने के पानी की कमी चल रही है । हमारे देश के वर्तमान प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम २ साल के अन्दर पानी की कमी को पूरा कर देंगे । कोई भी अंचल देहातों में ऐसा नहीं होगा जहां पानी की कमी हो । तो एक साल व्यतीत होने जा रहा है लेकिन पीने के पानी की समस्या का हल नहीं हुआ । हमारे जनपद के अन्दर सवर्ण प्रधानों ने कुओं को अपने घरों के सामने बनवा लिया और हरिजन बस्तियों में कुओं की व्यवस्था नहीं हो सकी । मैंने इसकी बी० डी० ओ० और जिलाधीश से शिकायत की । आज हरिजन बस्तियां पिछड़ती जा रही हैं, वहां कुयें बनने चाहिये । लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । मैंने पुस्तिका पढ़ी है । क्या योजनायें इस सम्बन्ध में हैं, क्या जनता के लिये किसी विशेष योजना के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर रहे हैं । लेकिन मान्यवर, मुझे इसमें कुछ मालूम नहीं हुआ है ।

मान्यवर, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस हरिजन और समाज कल्याण के बजट के द्वारा समाज के उस पिछड़े वर्ग के लिये सहूलियतें प्रदान करना चाहते हैं जो कि वास्तव में अभी तक गिरा हुआ रहा है । हरिजनों के लिये श्री गुलाब सेहरा ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये थे उससे प्रतीत होता है कि वह रिजर्वेशन जो हरिजनों को प्रदान किया था उसमें कम अनुपात में लागू हो पाया है । यद्यपि हम वर्तमान सरकार को दोषी नहीं ठहराते हैं बल्कि बहुत दोष पिछली सरकार का रहा है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब आपका दायित्व हो जाता है । मैंने इस पुस्तिका में कहीं नहीं पाया है कि इस आरक्षण की कमी को पूरा करने के लिये कोई खास कदम उठाये गये हों । एक दो बार माननीय सदस्य गुलाब सेहरा ने कहा है जिससे मुझे कुछ आभास हो रहा है कि एक दो बार उन्होंने पिछड़े वर्ग की बात कर दिया है । इस पुस्तिका से एक लाईन पढ़ी है जिसमें लिखा है कि पिछड़े वर्ग का अर्थ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, विमुक्त जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियां । आपने पिछड़ी जातियों को बजट में शामिल किया है मैं उसके लिये आपको बधाई देता हूं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के लिये कोई भी कदम पुरानी सरकार नहीं उठा पायी थी । यह सही है कि आखिरी समय में जब तिवारी जी से कहा गया था कि ५४ प्रतिशत जो पिछड़ा वर्ग है इसके लिये कुछ नहीं कर रहे हैं जबकि जनता पार्टी २५ से ३३ प्रतिशत तक की घोषणा कर चुकी थी अपने मैनिफेस्टों में । इसलिये किसी तरह बल दिया गया तो उन्होंने अध्यादेश जारी किया था लेकिन कानून का रूप वर्तमान सरकार ने दिया है । किन्तु उसके खिलाफ कुछ लोग आन्दोलन की बात करना चाहते हैं तो मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आपके समाज के अन्दर हरिजन वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है जो गिरा हुआ है उसको उठाने की बात है । यह बात नहीं है कि वह यादव है या जाट है या अन्य कोई । इसलिये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने ऐसी बात कही कि शासन तन्त्र उनका है और उनके परिवार का है । मैं समझता हूं कि उनका अंदाजा किस तरफ है, जनता पार्टी की तरफ है जिसमें कई जातियां हैं और कई दल शामिल हैं । तो किसी

[श्री सत्य पाल सिंह यादव]

जाति पर आरोप लगाना मुनासिब नहीं है । मैं भी कहने लगूं कि हरिजनों में एक फायदा उठाने की बात की जा रही है तो यह उचित नहीं होगा ।

हमारे समाज में अनेकों जातियां हैं, हरिजन वर्ग के अन्दर वह आये हैं जो ऊंचे हैं लेकिन फिर भी पिछड़े हैं वह पिछड़ी जाति के अन्दर आये हैं । हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का और समाज का दायित्व है कि देश के अन्दर इस प्रकार की ज्वाला भड़काना जिससे वर्ग संघर्ष हो, इस प्रकार की बात करना किसी प्रकार हितकर नहीं है । आज मान्यवर, २१ प्रतिशत हरिजन वर्ग है । १८ प्रतिशत आरक्षण कर दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ५४ प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है । इसके लिये १५ प्रतिशत का आरक्षण कर दिया गया है । लेकिन अनेक जिलों में इस पर आंदोलन और उपद्रव किये जा रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह पिछड़ा वर्ग भी चुप नहीं बैठेगा और अपने अधिकारों की मांग के लिये आंदोलन करने के लिये बाध्य होगा । मैं मानता हूं कि यदि पिछड़े वर्ग में कोई व्यक्ति एम० एल० ए० का बेटा है या एम० पी० का बेटा है या फर्स्ट क्लास आफिसर का बेटा है तो उसको आरक्षण न दें । लेकिन ५४ प्रतिशत पिछड़ी जाति के जो हैं उनकी हालत को देखें । यह वह दलित, अशिक्षित और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है । हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद १५ और १६ इस प्रकार के पिछड़े लोगों के उत्थान और आरक्षण की बात कहता है । तो इसलिये पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मांग सर्वथा उचित है और उच्च वर्ग का आंदोलन अशांति को फैलाने वाला ही कहा जायेगा । तो इस प्रकार की बात करना, वर्ग संघर्ष की बात करना मैं समझता हूं....।

*श्री मोतीराम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं जो हरिजन समाज कल्याण और सूचना विभाग के बजट की मांग रखी गयी है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुये । मान्यवर, इस मांग का जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है और इससे सम्बन्धित जो साहित्य है वह हम को आज दिया गया है । मान्यवर, किसी मांग पर बहस हो रही है और डिपार्टमेंट इतना सजग है इतना सतर्क है कि सदस्यों को यह भी मौका न दे कि वे अपने को इसके लिए तैयार कर सकें ।

मान्यवर, मैं आभारी हूं समाज कल्याण मंत्री जी का जिन्होंने अपनी मांग रखी है २२ करोड़ १३ लाख ७४ हजार ३ सौ की । दो करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं । हमारे समाज कल्याण मंत्री जी उत्थान कर रहे हैं हरिजनों का, समाज कल्याण का एक वर्ष में प्रति व्यक्ति दस रुपये खर्च करके । यह है इसकी एक रूप रेखा । जैसा कि जल्दी-जल्दी जो साहित्य मिला है इसको देखने के प्रतीत होता है कि काफी आंकड़ों को उलझाने की कोशिश की गयी है । तीन मदों में आपने अपना कार्यक्रम रखा है शिक्षा, आर्थिक उत्थान और स्वास्थ्य योजनायें वगैरह, वगैरह ।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में आज तक बड़ा ढिंढोरा पीटा गया है कि शिक्षा का उत्थान किया गया, लड़कों को वजीफा दिया गया । हमारे अनुदान का पचास फीसदी तो एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो जाता है । शायद ही कोई संस्था या कालेज उत्तर प्रदेश में हो जो समय से छात्रों को वजीफा देता हो । एक सफेद हाथी एपाइन्ट कर दिया गया है हरिजन कल्याण अधिकारी । वह एक ऐसा अधिकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। नाम उसका अधिकारी है लेकिन कोई अधिकार नहीं। कोई स्कूल लड़कों के फार्म भेज दे तो ठीक नहीं भेजे तो ठीक। कोई अधिकार नहीं है उसको किसी स्कूल या कालेज के प्रति कोई कार्यवाही करने का। मान्यवर, अगर इसे इफेक्टिव बनाना है अगर इसमें नेकनीयती है तो हरिजन समाज कल्याण अधिकारी को कुछ अधिकार देना होगा। मेरा सुझाव है कि जो स्कूल या कालेज स्टूडेन्ट्स के फार्म समय पर नहीं भेजता या समय से स्कालरशिप वितरित नहीं करता या उनकी अवहेलना करता है तो उसको जो ग्रान्ट दी जाय, सहायता दी जाय उस पर जिले के हरिजन कल्याण अधिकारी की टिप्पणी भी रखें और सिफारिश भी होनी चाहिए ताकि उसकी बात मानी जा सके।

मान्यवर, सरकार का कहना है कि हमने अनुसूचित जाति, जन-जाति के विकास के लिए निगम स्थापित किया है। मान्यवर, यह एक ऐसा निगम है कि नाम तो कारपोरेशन है और पास में धेला, इकन्नी नहीं है। इस अनुसूचित जाति जन-जाति निगम को कौन से अधिकार हैं मेरी समझ में नहीं आता। वह कहते हैं कि अपना लोन मंजूर कराओ बैंक में जाकर और जब बैंक लोन मंजूर कर देगा तो उसका दस प्रतिशत अनुदान दे देंगे ब्याज के तौर पर। मान्यवर, बैंक के नियमों के अनुसार वे अनुसूचित जातियों के लोग जिन के पास घर नहीं, मकान नहीं, जायदाद नहीं, वे बैंक में कहां से जमानत देंगे, कैसे लोन मंजूर करायेंगे? मंजूर करने का अधिकार बैंक को है कारपोरेशन सिर्फ कागजी घोड़े चलाता है। अगर इस कारपोरेशन को चलाना है, अगर कारपोरेशन को चलाने की नीयत है, अनुसूचित जाति को कुछ लाभ देना है तो ऋण देने का अधिकार कारपोरेशन को दिया जाय, बैंक वाले न हो पाये हैं न होने की आशा है।

निर्बल वर्ग विकास निगम बनाया गया है। ऐसा मालूम होता है कि सरकार कुछ अनुसूचित जातियों के मोहल्ले बनाना चाहती है। उनके पास अगर अपनी जमीन हो या प्लाट हो तो सरकार १०, १५ के लाट में उनके मकान तीन से साढ़े चार हजार रुपये तक में बनाने की व्यवस्था करेगी। अगर कोई अनुसूचित जाति का आदमी शहर में अलग मकान बनाना चाहता है तो वह अधिकार उसे नहीं है। तो यह केवल एक खिलवाड़ किया गया है। अब जो रिजर्वेशन के सम्बन्ध में आंकड़े दिये गये हैं उनसे इस विभाग की काम्पीटेंसी का पता चल सकेगा। इसमें लिखा है कि बार-बार रिमाइंडर देने पर भी विभाग आंकड़े नहीं भेज रहे हैं। यह टिप्पणी है। इस उत्तर प्रदेश में ४०,९६० गजटेड आफिसर हैं जिनका फीगर आपने दिया है सिर्फ १५,२३९ और इसी तरह से नान गजटेड हैं ५७,२२४; लेकिन उसमें फीगर दिया है ३० हजार यानी १५ फीसदी। आप देखेंगे कि प्रथम श्रेणी में शेड्यूल्ड कास्ट का परसेंटेज ४.१ है और शेड्यूल्ड ट्राइब का और भी कम है। इसी तरह में कार्य क्षमता की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूं। एक आइटम है जिसके अनुसार अनुसूचित जन-जाति के लोगों को साक्षात्कार करने के लिये ७७-७८ में भत्ता देने के लिये सरकार ने २० लाख रुपये का प्राविधान किया था लेकिन उसमें व्यय किया गया केवल १,९७६ रु०। यह आपके उत्थान करने का तरीका है।

एक फीगर पढ़ी है उत्पीड़न के बारे में जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की जान की कीमत मुकर्रर की गई है। हत्या होती है तो ५,००० रुपये दिये जायेंगे। गम्भीर चोट होगी तो १ हजार रु० दिये जायेंगे। मकान गिरा दिया गया तो १,५०० रु० तक दिये जायेंगे। इस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को भेड़

[श्री मोती राम]

बकरी समझ रखा है जिनकी कीमत इस सरकार ने मुकर्रर कर रखी है । ५ हजार रुपया अगर अनुसूचित जाति की कीमत है तो फिर बैकवर्ड को साढ़े ७ हजार और सवर्ण की १० हजार रु० कीमत आप रख दें । मैं तो यह आशा करता था कि सरकार यह बयान यहां देती कि ऐसा उत्पीड़न नहीं होगा और दोषी व्यक्ति को रहने नहीं दिया जायेगा । सरकार खुले दिल व दिमाग से बात करती और हमको आंकड़ों में उलझाने की कोशिश न करती, यह मेरी उससे अपेक्षा थी । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, आपने हरी सिंह जी को बुला लिया है । हम लोग केवल बोलने के लिए नहीं बैठे हैं सुनने के लिए भी आये हैं । उसके बाद आप मानसिंह जी को कहेंगे । तो मेरी दरख्वास्त है कि वह इस तरीके से बोलें कि हम उनके भाषण सुन सकें ।

*श्री हरी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अपने हरिजन कल्याण मंत्री जी को इस बजट अनुदान पेश करने के लिए बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं । साथ ही मैं अपने भाई सेहरा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर तो आप हरिजन उत्थान की बात करते हो और यहां कटौती कर एक रुपया कर देने की बात कहते हो ।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक हरिजनों की समस्या का सवाल है यह ऐसी सामाजिक समस्या है जिस पर हम सबको मिलकर धैर्य से मनन करना चाहिये । यह समस्या हरिजनों की नहीं है बल्कि इस देश के गरीबों और अमीरों की है यदि इनकी आर्थिक दशा सुधारी जाय तो जो समस्या आपके समक्ष खड़ी हुई है वह धूमिल हो जायेगी । चंद दिनों में वह दूर हो जायेगी । लेकिन पिछले ३० सालों के बाद भी इसे उलझाये रखा और उनको उबारा बिल्कुल नहीं । यह व्यवस्था नहीं की कि वह पढ़ कर आगे बढ़ें । हरिजनों को प्रलोभन देते रहें और १८ प्रतिशत रिजरवेशन कर दिया । हमारी बराबर यही १९५२ से लड़ाई होती रही है आज तक कि ये नेता वोट लेने के लिए, यह समस्या उलझाये हैं । चाहे वह उधर के बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों और ज्यादा संख्या तो उधर के बैठने वालों की ही है । आज तक उन्होंने रिजरवेशन पूरा क्यों नहीं किया । सेहरा जी ने कभी इस बात को सोचा तक नहीं कि इसके क्या कारण हैं । मेरे मित्र अब गौर से सोचें । जब हमारे पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया और वह लागू हुआ जिसके बल पर यह सरकारें चल रही हैं तभी से सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करो कि यह मरे भी नहीं और जीवित भी न रहे । यह हमारे कांग्रेस की नीति थी । इससे हम बराबर लड़ाई लड़ते रहे । इनको तो वोट चाहिए इन्होंने सोची कि वोट मिलते रहे और इनकी कुर्सी बरकरार रहे । इसलिए आज यह झगड़ा फिसाद करा रहे हैं । इनको जनहित की या देश की चिंता नहीं है यह सिर्फ कुर्सी की बात सोचते हैं । यदि यह हरिजनों की समस्या का मनन करते तो आज हमारे देश और प्रदेश की यह स्थिति नहीं होती । यह कुर्सी के जो ठेकेदार हैं इन्होंने प्रदेश और देश के लिए नहीं सोचा । इस प्रदेश का बंटवारा कर दिया होता तो हिन्दुस्तान में प्रदेश की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इतनी गिरी हुई हालत नहीं होती । लेकिन इन्होंने झूठे प्रलोभन दिये और गरीब हरिजनों की बात को नहीं माना । आज इस प्रदेश को यहां पर लाकर बैठा दिया । हमारे डाक्टर मानक चन्द्र पहले आदमी थे आगरा के, जिन्होंने सन् १९३८ में यह बात कही थी । तो क्यों सेहरा साहब उनकी बात को नहीं कहते हैं और इस प्रदेश के बटवारे की बात क्यों नहीं करते । कांग्रेस पार्टी में वह आल्हा गाते हैं और इधर हम गाते हैं प्रदेश का बंटवारा क्यों नहीं करते हैं ।

आप जनता पार्टी की बात करते हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है । वह आज जनता पार्टी में बैठे हैं कांग्रेस (आई) में तो कोई भी नजर नहीं आते ह जिन्होंने देश के लिए त्याग किया हो ।

हरिजनों का कल्याण कैसे होगा मान्यवर, यही मांग हमने सन् ५२ में की थी, आप मेरी स्पीच उठा कर देख लें । हमने कहा था ५० बीघे से कम जमीन हरिजन के पास नहीं होनी चाहिये । हर जिले में सरकारी जमीन पड़ी हुई है । यहां मिश्रा जी बैठे हैं वह छोटे किसानों को और हरिजनों को लड़ा देते थे । छोटी इंडस्ट्री के लिए पूज्य चरण सिंह ने बार–बार योजना बनाई और बार–बार उसे लागू करने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेसी आज तक उसे लागू नहीं कर सके । यह जो नई कांग्रेस है, जिसे १० वर्ष की नई कांग्रेस कहते हैं, इसने जितना अहित हरिजनों का किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है । आज हरिजन अधिकारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको हम सब महसूस करते हैं । किन्तु कहें क्या ? यह सरकार तो केवल १० महीने की हुई है । आपने बिलकुल कुछ उनके लिए नहीं सोचा ।

हरिजन मंत्री एक हरिजन बना दिया जाता है, लेकिन उसको अधिकार कुछ नहीं । उसके तो उल्टे अधिकार छीन लिए जाते हैं । इस बजट का केवल १०वां भाग मुश्किल से हरिजनों के हाथ पड़ेगा, बाकी तो अधिकारी लोग और दूसरे बाहर के लोग खा जायंगे । सरकार जमीन हरिजनों में बांटे और किसान मजदूर को न लड़ाकर, जो पट्टे कैंसिल किये जा रहे हैं, वे बहाल किए जाएं, उचित जमीन बांटी जाय, अनुचित नहीं । इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश का उत्पादन बढ़ेगा । इस पर आजतक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जनता पार्टी के जो हरिजन मंत्री, जो हरिजन हैं वह तो ध्यान दें । छोट उद्योग धन्धे फैलाए जायं और सरकारी नौकरियों में १८ फीसदी का जो आरक्षण है, वह पूरा करना अनिवार्य हो ।

वेद, उपनिषद् सारे लिख दिए हरिजनों ने और रामायण तक हरिजनों ने लिख दी, लेकिन इन लोगों ने यह काम इन लोगों को दिया । मैं सेहरा जी से कहूंगा कि हरिजन–हरिजन एक हो जाएं, हम तो आपस में न लड़ें । हरिजन तो एक रहो, पूज्य बापू के आदेश का कुछ तो पालन करो । अपने को कांग्रेसी कहते हैं और कांग्रेस की नीति यह है डिवाइड करके शासन करते रहो यादवों को जो हैं रहने दो, आप इधर सब आकर बैठ जाओ, फिर देखो यह सरकार क्या करती है हरिजन मंत्री हरिजनों पर विशेष ध्यान दें, जमीन और उद्योग धन्धे का बंटवारा करे, ताकि उनकी आर्थिक दशा सुधरे । जब तक यह नहीं होगा, तब तक हरिजन कल्याण होने वाला नहीं है, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की आ जाए । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है अधिष्ठाता जी आपसे और मंत्री जी से कि सरकारी नौकरियों में १८ प्रतिशत का आरक्षण तुरन्त पूरा हो, कम से कम मंत्री जी अपने विभाग में तो सबसे पहले उनका आरक्षण पूरा कर लें ।

[श्री हरी सिंह---]

दूसरी बात उद्योग धन्धे फैलें जीवन मृत्यु का सवाल आया है, इसमें शीघ्राति-शीघ्र सुधार होना चाहिए और धर्म का प्रचार हो ताकि वह भारतीय अपने भारतीय धर्म को अच्छी तरह से समझें । जब तक जन-जन में भारतीय सभ्यता का प्रचार और प्रसार नहीं होगा, यह हरिजन समस्या, हरिजन और सवर्ण की समस्या हल होने वाली नहीं है । इसलिए अन्त में मेरा निवेदन है कि सेहरा जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और वह तथा सारा सदन हरिजन कल्याण मंत्री के बजट को पास कर दे ।

श्री अधिष्ठाता---

आप लोग समय का ध्यान रखें, जो बातें सदस्यों द्वारा सदन में कही गई हैं, उनको बार-बार न दोहराया जाए ।

*श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)---

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक थारू जनजाति के प्रोजक्ट का कार्य लगभग ५ वर्ष से चल रहा है और वहां पर अभी हमारे मंत्री जी गये थे, उसका दौरा करके आए हैं, डायरेक्टर साहब भी गये थे । घूम कर आये हैं, वहां की स्थिति को देख कर भी आये हैं । आपकी पुस्तक है उसमें लिखा है कि पिछले वर्ष ३६ लाख रुपया खर्च किया है । यह केवल कागजों में है । खर्च नहीं किया गया । मैं उस क्षेत्र में रहता हूं, मैं पूर्णरूपेण जानकारी रखता हूं । यह रुपया इन लोगों ने दिया है सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए, जमा है लखनऊ में जो विभाग बनाने वाले हैं । मैंने माननीय मंत्री जी से बात किया था । वास्तव में कुछ काम नहीं हुआ है । केवल ३६ लाख रुपया खर्च किया गया यह दिखलाने से लाभ नहीं है । उसको खर्च करना चाहिए ।

दूसरी चीज मैंने मंत्री से कही कि जब तक थारू जनजातियों की शिक्षा का प्रसार नहीं होगा वह जातियां कुछ नहीं कर सकतीं । वहां पर २५ स्कूल हैं, २६ गांव हैं । कभी भी मास्टर निश्चित् रूप से रहता नहीं है, जिसकी शिकायत भी बेसिक शिक्षा अधिकारी और अपने कमेटी में भी की है । जब तक थारू जन जाति में शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक एक भी सुधार नहीं हो सकता । इस लिए शिक्षक जांय उनका एक स्पेशल कैडर बनाया जाय और वहीं पर पढ़ाएं । तब वहां के स्कूल चल सकेंगे वरना स्कूलों का चलना असम्भव लगता है । वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना चल रही है । एक वर्ष से डाक्टर मौजूद है । मगर एक स्थान पर झाला पड़ा हुआ है, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, चन्द्रन चौकी में हेड आफिस है । जो लोग जाते हैं कोई रहने की व्यवस्था नहीं है । उस पैसे को जल्द से जल्द खर्च किया जाय और कुछ कार्य उन लोगों के लिए हो सके । इसलिए मेरा निवेदन था कि वहां की जो कमेटी बनी है उस कमेटी को अधिकार दिया जाय, जो पैसा लखनऊ में जमा है या इस साल ४९ लाख खर्च करने जा रहे हैं वह पैसा वहां की कमेटी जो व्यवस्था उचित समझती है, डी० एम० या डायरेक्टर के माध्यम से उस पैसे का उपयोग जल्द से जल्द हो । वहां पर एक भी सड़कें नहीं हैं । सड़कों के लिए पैसा स्वीकृत किया गया है उसको खर्च करें, सड़कें निर्माण की जायं ।

थारूओं के लिए एक स्कूल आश्रम पद्धति का लखीमपुर में चल रहा है जो थारूओं का इलाका है वहां नहीं चलाया जा रहा है, कुछ स्वार्थवश आज से दस वर्ष पहले से लखीमपुर नगर में स्कूल है वहां से सौ डेढ़ सौ किलोमीटर दूर थारूओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के गांव हैं। उससे उनको लाभ क्या होगा ? मेरा सुझाव पहले भी था, मैं चाहता हूं कि वह स्कूल या तो पलिया में शिफ्ट किया जाय जहां पर नजदीक से बच्चे पढ़ने के लिए जा सकें।

एक योजना का पिछले साल भी विरोध किया था, चने और गुड़ थारूओं को दिये गये। पिछले साल भी डेढ़ लाख रुपये का दुरुपयोग हुआ। जो चना वहां पैदा होता है और गुड़ भी फसल पर ले लेते हैं वह उनको पौष्टिक आहार के रूप में दिया जाता है। मैंने डाइरेक्टर को लिखा था। आगे से उनको लड्डू बना कर सोयाबीन न दिया जाय। वे लोग इस प्रकार के पौष्टिक आहार के आदी नहीं है। पिछले साल भी वह बेकार गया। आखिर में मार्च के महीने में डेढ़ लाख रुपया खर्च किया गया। ७५, ८० रु० गुड़ का भाव है २ सौ रुपये प्रति क्विन्टल ले कर उनको पहुंचायी गयी। आपने अखबार में पढ़ा होगा, तमाम घटनायें इसी प्रकार की निकलती हैं। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनकी जो जरूरते हैं उनको पूरा किया जाये। मंत्री जी वहां पर गये हैं और अनुरोध करता हूं कि वह फिर वहां पर जायें और इन सब चीजों को देखें। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मान सिंह आजाद--

आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

३ इधर के और एक उधर का। इस हिसाब से मैं बुला रहा हूं। मैंने राम सजीवन जी को बुला लिया है।

श्री मान सिंह आजाद--

आप मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए। धैर्य रखिए। चीत्कार न करें और हल्ला न करें। आपको भी समय मिलेगा।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं हरिजन एवं कल्याण बजट पर अपना मत प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार प्रकट करे और कुछ नयी बाते कही गयीं लेकिन कुछ अच्छी और पुरानी बाते छोड़ भी दी गयी हैं। पहले, जिलों में हरिजनों को सहायता पहुंचाने के लिए एक कमेटी जिला स्तर पर बनी हुई थी। वह कमेटी इस समय नहीं है। उस कमेटी में जिले के विधायक रहते थे और जन प्रतिनिधि रहते थे जिससे हरिजनों को उचित सहायता मिल जाती थी, लेकिन अब यह कार्य अधिकारियों के सहारे चल रहा है। जिले में जो भी अधिकारी इस कार्य के लिए तैनात किए गये होंगे वह अपने विभागीय कार्य के सामने इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं जिससे हरिजनों को सुविधायें ठीक से नहीं मिल पाती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सजीवन—]

मान्यवर, एक अनुसूचित जाति वित्त निगम की स्थापना की गयी है, इससे हरिजनों को जितनी सहायता की आशा थी वह सहायता नहीं दी जा रही है। पहले काफी सहायता मिल जाती थी लेकिन इस निगम के बन जाने से सहायता नगण्य हो गयी है। जो कुटीर उद्योग धन्धे पुस्तैनी ढंग से किए जा रहे हैं उनको सहायता दे दी जाये तो वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं जैसे वे ईंट बनाने का काम करते हैं, अगर उनको इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता दे दी जाये तो वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इसी प्रकार से रिक्शा के अनुदान के लिए फार्म भराये जाते हैं लेकिन अभी तक एक भी हरिजन को रिक्शा के लिए अनुदान नहीं मिल पाया है। कुछ जिलों में जनता पार्टी के लोगों की सिफारिश से अगर पहुंच जाय तो मैं नहीं कहता हूं। बहुत से हमारे हरिजन भाई कच्चे बर्तन का भी काम करते हैं। अगर कुटीर उद्योगों के लिए उनकी सहायता कर दी जाय तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है लेकिन सरकार द्वारा इधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैंने पहले भी यहां सदन में कहा था और अब भी मेरा स्पष्ट मत है कि जनता पार्टी के शासन काल में उत्पीड़न और अत्याचार की घटनायें बढ़ी हैं। इसमें तथ्यों को छिपाने या कांग्रेस वालों से होड़ करने की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि अत्याचारों की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं जनता पार्टी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कोई हरिजन अत्याचार के कारण मरा हो तो उसको ५,००० रुपये की धनराशि दी जायगी या जो लूला और लंगड़ा हो गया हो उसको २,५०० रुपया दिया जायगा। मान्यवर, हमारे जिले में एक हरिजन मर गया लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण उसकी औरत का नवजात शिशु भी मर गया। मेरी प्रार्थना है कि उनको आर्थिक सहायता तुरन्त मिलनी चाहिए। केवल घोषणायें करने से काम नहीं चलने वाला है, हमारी सरकार को सही मायनों में हरिजनों को सहायता देनी चाहिए।

मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे जिले बांदा में इन ३–४ महीनों में सवर्णों के अत्याचारों के कारण उनके द्वारा कब्जा किए हुए पट्टों को ले लिया और उनका कत्ल भी कर दिया। मैंने उनके नाम भी दिए थे लेकिन आज तक उन मृत हरिजनों के परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है। उस सहायता को पहुंचाने की आवश्यकता है।

मेरी यह भी प्रार्थना है कि रिजर्वेशन के कोटा को पूरा करने के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पिछड़ी जातियों के आरक्षण की जो बात तय है उसको भी सख्ती से लागू किया जाय। जो आरक्षण का विरोध हो रहा है हमारे हरिजन भाइयों को भी समझना चाहिए कि जो उस आरक्षण को समाप्त कराना चाहते हैं वही हरिजनों के आरक्षण के ऊपर भी होने वाला है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों को इस अत्याचार का डट कर मुकाबला करना चाहिए और इसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को भी जो उनकी ढुलमुल नीति है, छोड़नी चाहिए।

यह भी देखने में आया है कि हमारे सूचना निदेशालय में एक भी हरिजन व्यक्ति नहीं है। वहां पर जो निदेशक महोदय हैं वे भी उनको तरक्की नहीं दे रहे हैं। जो किसी कारण से, वहां पर बने हुए हैं, उनको वहां से हटाया जाय और इस विभाग को सही किया जाय।

उत्तर प्रदेश हरिजन मिनिस्ट्रीरियल एसोशिएशन की मांग है कि उनके विभाग में जो लोग ७-८ साल से ९०-१०० के लगभग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इतने समय से कार्य कर रहे हैं, उनकी तरक्की हो। न उनकी तरक्की हो रही है और न स्थायी किया जा रहा है। अगर ऐसा कर दिया जाय तो कम से कम ५०-६० व्यक्ति जो हरिजन हैं या निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनका भला हो जायेगा। मेरी यह भी प्रार्थना है कि अधिकारियों की नियुक्ति में तृतीय वर्ग के जो कर्मचारी हैं, उनको पदोन्नत करके बना दिया जाय ताकि वे लोग भी लाभ उठा सकें और जनता की सेवा करने का वे अवसर प्राप्त कर सकें।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, हरिजन तथा समाज-कल्याण का जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। अधिष्ठाता महोदय, हरिजनों के लिए प्रत्येक जिले में जो विभाग खोल दिये गये हैं उनके द्वारा जितनी सुविधा इस गरीब वर्ग को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती हैं। कारण यह है कि जिलाधिकारियों के नीचे सुपरवाइजर रख दिये गये हैं लेकिन वह, जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है, वह सुविधाओं के अभाव में, कुछ कर नहीं पाते। यदि मंत्री जी इस गरीब वर्ग का उत्थान चाहते हैं, वास्तव में उनकी सुविधा देना चाहते हैं तो जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में अधिकारियों को एक-एक जीप की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। मंत्री जी उदारता की दृष्टि अपनावें। जब तक इनको बाहर जाकर जनता तक पहुंचने की सुविधा नहीं होगी तब तक ये पूरा-पूरा सहयोग गरीब तबके को नहीं पहुंचा पायेंगे।

दूसरे, जिले-जिले और सूबे के कौन-कौन से समाचार-पत्रों में इस वर्ग पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। हमारे अधिकारी कुछ करना चाहें भी तो अधिकार न होने से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मैजिस्ट्रेट के पूरा-पूरा अधिकार इन अधिकारी वर्ग को जिलों में मिलना चाहिए। जो भी समस्या हरिजनों की उठे उसको सही रूप में निवारण करने का उनको पूरा-पूरा अधिकार हो। हमारी सरकार उदारतापूर्वक गरीबों के लिए काफी धन खर्च करना चाहती है। गरीब बच्चों के माता पिता केवल वस्त्र ही नहीं बल्कि कापी-किताबों पर भी खर्च नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार काफी अनुदान जिलों में देती है वजीफों के रूप में, लेकिन जो सहायता उनको मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। जिन शिक्षा संस्थाओं को अनुदान दी जाती है वे उनकी तरफ से उदासीन होती हैं। छात्र वृत्ति के फार्म जिला स्तर पर नहीं पहुंचते हैं साल के अन्दर इससे उनकी छात्र-वृत्ति पूरी खर्च नहीं हो पाती है और वह धनराशि वापस कर दी जाती है। तो इस तरह का जो अनुदान दिया जाय उसमें जिला स्तर के अधिकारियों की सहमति के लिए एक कालम बनना चाहिए। जब तक उनकी पूरी-पूरी सहमति न हो तब तक ऐसे अनुदान नहीं दिये जाने चाहिए और यह ऐसी शिक्षण संस्थाओं के सामने चेतावनी के रूप में आना चाहिए।

अब मैं अपने जिले की समस्याओं की ओर मन्त्री जी का ध्यान ले आना चाहती हूं। इस सम्बन्ध में कई बार चर्चा चलायी गयी और आज भी यह विषय बड़े पैमाने पर बना हुआ है। एक गोड़िया बिरादरी है, बैकवर्ड क्लास में है। उनका रहन-सहन, सामाजिक शैक्षिक आर्थिक स्तर पिछड़ी जातियों से काफी ऊंचा है, लेकिन प्रत्येक मामले में आरक्षण के छात्रवृत्ति के सभी में वे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती रामरति देवी—]

यह करते हैं कि मझवार शब्द जो कि अनुसूचित जाति की लिस्ट में है उसको चुप-चाप भर देते हैं और मझवार के नाम पर पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्रीमती रामरति देवी—

केवल दो मिनट। पिछली सरकार की कमजोरियों से इस सरकार को लाभ उठाना चाहिये। पिछली सरकार ने हरिजनों के पीने के पानी के लिये कुछ कुएं खुदवायें, लाखों रुपया उन पर खर्च किया मगर उन कुओं में पानी ही नहीं लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी कुओं में पानी दिखाई पड़ा। सावन के महीने में वे खुदवाये गये। इसलिये इस तरह की भूलों से सरकार को लाभ उठाना चाहिये। इसके अलावा जो धन इस दिशा में खर्च किया जाने वाला है वह सही तरीके से खर्च किया जाये।

* श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन अनुदानों पर बोलने के लिये समय दिया। मान्यवर इन मांगों का समर्थन करते हुये, हमारे साथी मोतीराम जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। मैं खासकर सूचना विभाग के बारे में ही बोलना चाहूंगा। मान्यवर, सत्ता पक्ष का सदस्य होने के नाते इस बात की चिंता होना मेरे लिये स्वाभाविक ही है कि सूचना विभाग की मद में जो यह धनराशि खर्च के लिये १ करोड़ २२ लाख की रखी गयी है यह ठीक तरह से खर्च हो। इसका सही उपयोग हो। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सूचना विभाग के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। यह खुशकिस्मती है कि सूचना विभाग और हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग दोनों ही एक ही मन्त्री के पास हैं। सूचना विभाग में जो बुरायी आ गयी है वह हम सभी जानते हैं, सभी उससे परिचित हैं। बहुत सारी बातें तो मैं नहीं बतला सकता, एक दो मुख्य बातों की ओर ही ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि 'आल इंडिया रेडियो' और 'टी० वी०' स्वतंत्र कर दिये गये हैं। समाचार न्यूज एजेन्सी के लिये भी कहा गया कि स्वतंत्र कर दिया है। मैं तो समझता था कि यह केन्द्र का विषय है, मगर जब माननीय मन्त्री जी ने उसका जिक्र किया है तो मैं भी कुछ विचार रखना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरी शिकायत एक तो समाचार पत्रों को जो विज्ञापन दिये जाते हैं उनके बारे में है। समाचार-पत्रों पर सरकारी सेन्सरशिप भले ही समाप्त हो गयी हो, लेकिन राजनैतिक सेन्सरशिप अभी भी लागू है। यह मेरा कोई आक्षेप नहीं है, यह मैं कहीं किसी से बाहर से सुनकर नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसी बात आपके माध्यम से अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। जो बात कह रहा हूं उसका सीधा सम्बन्ध मुझसे है।

मान्यवर लखनऊ में शान्ति-व्यवस्था बिगड़ने के प्रश्न पर २८ अक्तूबर को मैंने मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र दिया था। मेरे त्याग-पत्र देने के बाद उसकी सूचना एक ऐसे अखबार में छपी जिसका मालिक मेरा सम्बन्धी था। उस अखबार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को, चूंकि वह मेरे सम्बन्धी है, उसके बाद से विज्ञापन देना रोक दिया गया (शेम शेम की आवाजें) केन्द्रीय सरकार ने विज्ञापन दिये हैं, पर उस अखबार को राज्य सरकार ने विज्ञापन देना बन्द कर दिया है क्योंकि सरकार की आलोचना उस अखबार में क्यों छपी थी ।

मान्यवर मैं खुद इसी सत्ता पक्ष का सदस्य हूं, मैं इसकी आलोचना करूं, इस काम की निन्दा करूं, मैं समझ भी नहीं पाता, इससे पहले मैंने कभी इस विषय को उठाया भी नहीं । इसके विपरीत ऐसे समाचार-पत्र जो इस लखनऊ से कानपुर से जिनका सर्कुलेशन ५०० से लेकर एक हजार तक है वे मन्त्रियों के गुणगान गाते हैं । जिन पत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार का विभाग कहता है कि इन्होंने अपने सर्कुलेशन को सम्बन्धित सरकार को धक्का दिया । यह केन्द्रीय विभाग ने कहा । लेकिन इस सरकार ने एक विचित्र व्यवस्था निकाली । उस अखबार को कहा गया कि आपका सर्कुलेशन तो कम है । लेकिन आप जिलाधीश से एक सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए, तब हम विज्ञापन देंगे सर्कुलेशन निकालने के लिए । अगर समाचार पत्र की आजादी का हनन नहीं है, तो फिर यह क्या है ? इसीलिए मैं इस खास नीति के प्रति मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं । मैं चाहता हूं कि यह सरकार इस सम्बन्ध में चाहे समाचार पत्र का विज्ञापन हो या दूसरा मामला हो, जो जनता पार्टी की नीतियां हैं, उसको लागू करना होगा ।

१९७१ में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय जय प्रकाश नारायण जी ने कहा था कि समाचार-पत्रों को विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ेगी । उन्होंने कहा था कि विपक्ष की भूमिका अब अखबारों को निभानी पड़ेगी, इसलिए कि संसद में और विधान सभा में विपक्ष की संख्या कम हो गयी है । तो मान्यवर, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा । मैं ऐसा समझता हूं कि यह सीधा लोकतन्त्र पर प्रहार होता है जब कभी अखबार पर इस तरह का प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है, मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह इस नीति को सुधारने की कोशिश करें । इसके अलावा इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के अफसरों के बारे में एक बात और कहूंगा । इसमें जो अधिकारी और अनुवादक हैं उनका भविष्य खतरे में है । उनमें से ३२ परमानेंट हैं, जिसमें सिर्फ १९ ऐसे अभी भी हैं जिनकी सेवायें अनिश्चित हैं । २०-२० साल तक के लोग अभी तक परमानेंट नहीं किये गये हैं । अनुवादक की भी यही हालत है, जो कोटा था वह पूरा नहीं किया गया । इसलिए उनकी सेवायें खतरे में हैं ।

यूरोप में औरतों की आजादी का नारा लगा, तो वहां पर बनियानों, मोजे, बीड़ी आदि पर नंगी औरतों का फोटो छापा जाने लगा, जिससे इस चीज का विज्ञापन हो । इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ नारा न लगायें । लोकतंत्र का नारा लगाते-लगाते ऐसा न हो जाय कि लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगें । इसलिय मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो एक ढके-छुपे तरीके से समाचारपत्रों पर हावी होने की कोशिश की जा रही है, जो साम्प्रदायिक स्वार्थ है, उस पर हावी होन की कोशिश कर रहे हैं । मैंने जिक्र किया था कि एक एडीटर को हटाने की कोशिश की जा रही है । मेरे पास मान्यवर, इसकी कटिंग है । इस प्रदेश के उद्योग मन्त्री राम प्रकाश जी बोलने के लिए गये, जो सरकारी फंकशन नहीं था, पंडित दीन दयाल जी से सम्बन्धित था । लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था उसमें विज्ञापन भेजा गया । सूचना विभाग की तरफ से भेजा गया । मान्यवर, यह

[श्री आरिफ मोहम्मद खां--]

सरासर गलत था और सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग था। मैं आपके माध्यम से दरख्वस्त करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, लोकतंत्र के प्रहरी का काम करें। अगर समाचार पत्रों की आजादी को खतरा चाहे सरकार से हो या कहीं और से तो उन खतरों का मुकाबला करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मानसिंह जी अपना विद्वतापूर्ण भाषण जरा शांति के साथ करें ताकि सदन में वह लिखा जा सके।

*श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट समाज कल्याण मन्त्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

एक सदस्य--

मान्यवर, मुझे भी मौका मिलना चाहिये।

श्री मानसिंह आजाद--

और कटौती का जो प्रस्ताव है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

एक सदस्य--

मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या बार-बार शोर मचाने से समय मिलता है। अगर बार-बार शोर मचाने से समय मिलता है तो मैं भी शोर मचाऊं।

श्री अधिष्ठाता--

आप ऐसा करेंगे तो इसके लिये कानून मौजूद है। आपको भी समय मिलेगा। इस तरह से उचित नहीं है, आप बैठिये।

श्री मानसिंह आजाद--

मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश में पिछली सरकार ने हरिजनों और मुसलमानों का नाम लेकर नोट से वोट भुनाया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब हरिजन और मुसलमान को आप नोट के रूप में भुनाने वाले नहीं हैं। मैं इस हाउस में एलान कर देना चाहता हूं अब इस देश में कोई नेता मैं नहीं मानता। अब नेता है जनता। जनता ने ही नेता बनाया था और जनता खुद ही नेता है। गांधी जी सामने बैठे हैं। सारे लोग देखते हैं। गांधी जी के नाम को लेकर और हरिजनों तथा मुसलमानों के नाम को लेकर पिछली सरकार ने देश में हुकूमत की और हरिजन और मुसलमानों को आगे करके अपने नोट बनाये। तो अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्या है वह यह है सवर्णों से मैं निवेदन करूंगा कि कब तक हरिजनों के नाम पर नोट भुनायें जायेंगे। इनको आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में नहीं रखा गया है। क्या मुसलमानों ने वफादारी नहीं की।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आजादी में अश्फाक उल्ला और रफी अहमद किदवई ने क्या लड़ाई नहीं की ?

ी अधिष्ठाता--

मैं आपको रोक दूंगा । यह सदन वैसे ही गूंजता है । आप धीमी आवाज में बोलें ।

श्री मानसिंह आजाद--

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आई० ए० एस०, क्लास वन में और पी० सी० एस०, एस० एस० पी०, डी० एम०, कलेक्टर आदि जगहों पर हरिजनों और मुसलमानों को नियुक्त किया जाय । इनको आगे बढ़ाया जाय । हिन्दुस्तान में हरिजन और मुसलमान अब जाग उठा है ।

मैं अपने ब्लाक के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । मैंने गांवों का दौरा किया है । वहां पर कुयें खुदे हैं ।

(इस समय ३ बज कर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) परन्तु उसमें ईंट तक नहीं लगी है वह चाहें मलिहाबाद का ब्लाक हो या माल का ब्लाक हो । मैं निवेदन करूंगा कि लखनऊ जिले में जिलाधीश की मीटिंग हुई उसमें मैंने कहा कि कम से कम जो लिस्ट आती है वह भेजी जाय तो जिलाधीश ने उसको भी नहीं भेजा । उन हरिजनों और बैकवर्ड के नाम पर स्वीकृति मैं कैसे दूं । इसलिये देश और प्रदेश में जो हरिजनों और मुसलमानों के नामों पर नोट भुनाये गये हैं अब वह जाग गये हैं, अब नोट नहीं भुना पायेंगे । इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

श्रीमन्, हरिजन एवं समाज कल्याण पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री जी ने आंकड़ों के हेर फेर से दिखाने की कोशिश की है कि इस बजट में धनराशि को बढ़ाया गया है लेकिन गौर से देखा जाय तो कांग्रेस शासन में जो धनराशि आंवटित की गयी थी उससे इस वर्ष कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है । श्रीमन्, १९७५-७६ में १९ करोड़ से ज्यादा बजट में प्राविधान था । १९७६-७७ में २१ करोड़ से ज्यादा प्राविधान था लेकिन जनता पार्टी की सरकार १९७७-७८ में केवल १६ करोड़ के लगभग धनराशि का प्राविधान किया गया था । इस वर्ष के बजट में मंत्री जी ने दिखाने की कोशिश की है कि २५ करोड़ रु० की व्यवस्था की है । लेकिन आप देखें तो इस २५ करोड़ में वह रुपया भी शामिल है जो पिछड़ी जातियों के लिये व्यय की जानी है । दूसरे शब्दों में हरिजन और अनुसूचित जाति के लिये जो धनराशि में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिये थी उसमें कमी कर दी गयी है । आज आवश्यकता इस बात की थी कि इसमें काफी धनराशि बढ़ाई जानी चाहिये थी ।

आप देखें, जो पुस्तिका दी गयी है उसमें हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने आरक्षण के जनवरी १९७७ तक आंकड़े दिये गये हैं । उसमें श्रेणी-१ में आरक्षण ३.१ प्रतिशत पूरा हो पाया है, श्रेणी-२ में आरक्षण ३.६ पूरा हो पाया

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--]

है, श्रेणी-३ में ८ प्रतिशत आरक्षण पूरा हो सका है और श्रेणी-४ में कुल १२.७५ प्रतिशत पूरा हो सका है। श्रीमन् यह प्रदेश के दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित जाति के लिये जो ४५ प्रतिशत विशेष आरक्षण किया गया था १८ प्रतिशत पूरा करने के लिये उसमें १५ प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है और उसके स्थान पर १५ प्रतिशत पिछड़ी जाति के लिये व्यवस्था कर दी गयी है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनता पार्टी के महान नेता श्री रामधन के बयान की ओर दिलाना चाहता हूं जो विगत दिवस कानपुर में दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था, प्रदेश के हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें पिछड़ी जाति के लोगों का पूर-पूरा हाथ है। श्रीमन्, उसके विपरीत उस वर्ग को और सशक्त और बलशाली बनाने के लिये १५ प्रतिशत का आरक्षण कर दिया गया है। जो पिछड़ी जाति की सूची दी गयी है उसमें नं० १ का स्थान है, उसी के द्वारा आज पूरे प्रदेश में दमन जारी है। आगरा के अन्दर खेरागढ़ तहसील है वहां गढ़ान एक गांव है जहां अनुसूचित जाति के १६ आदमियों को, जो भूमिहीन थे, जमीन आबंटित की गयी थी। उस पर उन्होंने मेहनत की, खून पसीना एक करके फसल तैयार की। एक दो फसलें काट ली लेकिन इस वर्ष वहां के साधन सम्पन्न लोगों ने उन गरीब हरिजनों की सारी फसल को काट लिया। अधिकारियों के दरवाजे खटखटायें कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। इस संदर्भ में फतेहपुर सीकरी थाने के अन्दर एक ग्राम है, मही बुजुर्ग। वहां पर हरिजन लोगों के मकानों में आग लगा दी गयी। बदकिस्मती यह कि जो पंत नगर में अधिकारी थे उसी जाति के वहां भी उपस्थित हैं, थानाध्यक्ष, डी० एस० पी० जिस जाति के पंत नगर में थे उसी जाति के वहां भी हैं। जब डी० वाइ० एस० पी० मुआयने के लिए गये तो जिन लोगों ने घरों में आग लगाई थी उनके यहां उन्होंने दावत ली, मुर्गा मुसल्लम और दारू का सेवन किया।

आज जो सरकार हरिजनों के कल्याण की बात करती है उसके राज्य में जो कुछ हो रहा है, हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। एक मिसाल देता हूं १४ अप्रैल को परम पूज्य डा० भीम राव अम्बेदकर का जन्म दिन था। आगरे में भी, अलीगढ़ में भी और सारे हिन्दुस्तान में धूम धाम से मनाया गया। आगरे में जुलूस निकाला गया डा० अम्बेदकर के जन्म दिन पर। शाम सात बज से सुबह सात बजे तक आगरे की मुख्य सड़कों से झांकियां निकलती हैं और जब आगरे के उस क्षेत्र से झांकी निकली जहां जनसंघ-आर० एस० एस० का गढ़ है तो जुलूस पर पत्थर और बोतले फेंकी गयी। पुलिस अधिकारी मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई जो उत्तेजना हुई डा० अम्बेदकर के अनुयायिओं में उसको बड़ी मुश्किल से काबू किया गया वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो गया होता। इसी प्रकार अलीगढ़ में जो जुलूस निकला वहां भी जनसंघ के अनुयायिओं ने उस पर पत्थर फेंके। जो सरकार हरिजनों के हित की बात करती है वे उनके जुलूस तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती उनकी भलाई क्या कर सकेगी। दूसरे दिन 'उल्टे चोर कोतवाल को डांटे' वाली बात हो गयी। बाजार बंद कर दिये गये और कहा गया कि हमारी दुकानें लूटी गयी। जुलूस के वक्त पान तक की दुकानें बन्द थीं। जनसंघ, आर० एस० एस० के अनुयाइयों ने उल्टे मांग की कि हमारे क्षेत्र से जुलूस न निकले। आप रास्ता बदलिये। श्रीमन्, यह लोग जुलूस निकलने देने के लिए भी तैयार नहीं हैं और उसका मार्ग बदलने की बात करते हैं।

इसके साथ ही साथ श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे आगरे में एक लेदर कारपोरेशन की स्थापना विगत कांग्रेस सरकार ने की और अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की स्थापना भी की गयी। अच्छा तो यह होता कि हरिजन समाज कल्याण मंत्री उसके डाइरेक्टर के पद पर किसी हरिजन कार्यकर्ता की नियुक्ति करते लेकिन एक आर० एस० एस० अनुयायी की नियुक्ति कर दी है उस पद पर। आर० एस० एस० के नेताओं के कारण ही आगरे के जो लाखों जूता कारीगर हैं, हरिजन हैं, उनका शोषण हुआ है। ये लोग जो जूता उद्योग के बिचौलये हैं, उनके सरताज हैं। आज आगरे के अन्दर जूता उद्योग दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है। उनकी भलाई के लिए, उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए अच्छा होता कि एक हरिजन की जो जूता कारीगर कर्मचारी हैं उसकी नियुक्ति डायरेक्टर के पद पर कर दी जाती तो उस ट्रेड की भलाई हो पाती इसके विपरीत ऐसे आदमी की नियुक्ति कर दी गयी जो अभी तक उनका शोषक रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री जी ने परसों स्वास्थ्य रक्षकों की भरती की बात अपना बजट पेश करते वक्त कही थी। उसमें एक हरिजन नवयुवक को ट्रेनिंग के लिए चयन कर लिया गया और गांव की पंचायत ने सर्व सम्मति से उसे चुना कि तीन महीने की वह ट्रेनिंग लेगा। लेकिन १ महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे ट्रेनिंग से हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक सवर्ण नवयुवक रख लिया गया। आगरा में एक भिक्षुक गृह है। उसका अधीक्षक जो है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा शिक्षिकाओं के प्रति दुर्व्यवहार के बहुत से आरोप थे। शासन को शिकायतें प्राप्त हुई और शासन ने उनका स्थानान्तरण कर दिया लेकिन वह अधीक्षक आज तक गायब हैं और उन्होंने कोई कार्यभार नहीं सौंपा क्योंकि आज तक उनका कोई पता, ठिकाना नहीं है। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में जांच कराई जाय और दोषी अधिकारी को दंडित किया जाय।

इसके अलावा आगरा में जो जिला समाज कल्याण विभाग है। बल्कि पूरे प्रदेश में जो यह विभाग है उसमें बड़ी धांधलेबाजी तथा अनियमिततायें हैं। वजीफे के नाम पर बच्चों से फार्म जो लिये जाते हैं तारीख निकल जाने पर फर्जी नामों से वे फार्म भरवा लिए जाते हैं, और विभाग के कर्मचारी उस रकम को वसूल करके अपनी जेब में रख लेते हैं। इसी तरह की बात सिलाई मशीनों में की जाती है। फर्जी नामों से फार्म भर कर सिलाई मशीन विभाग के कर्मचारी अपने पास रख लेते हैं। जो निराश्रित विधवायें हैं कांग्रेसी शासन में काफी तादाद में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था थी लेकिन आज वह स्कीम रुपये में चार आने चल रही है और इस तरह से उनके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि निराश्रित विधवाओं के लिए जितनी धनराशि की व्यवस्था है उसमें कुछ अधिक धन की व्यवस्था कर दें ताकि जिनको कम से कम एक दफा पेन्शन मिल चुकी है उनको मिलती रहे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, हरिजन समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में जो बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अनेक प्रकार के सुझाव हरिजनों की समस्याओं के बारे में आज सदन में रखे गये और बहुत सी बातें उनके प्रति अत्याचारों के

[श्री रेवती शरण मौर्य]

सम्बन्ध में रखी गयीं । बहुत से सुझाव भी हरिजनों के उत्थान के लिए रखे गये और कुछ बातें भेदभाव की भी रखी गयीं । मैं मंत्री महोदय से यह बात कहना चाहता हूं कि जहां तक भेदभाव की बात का सवाल है तो भेदभाव तो हमारे मुख्य मंत्री जी ही कर रहे हैं जिसको मैं इस सदन के सामने लाना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास स्थान पर जो महानुभाव जाते हैं वह जाकर देखें कि जिस कक्ष में मुख्य मंत्री जी बैठते हैं जहां पर पहले भी और मुख्य मंत्री भी बठते थे । पहले वहां पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और जो उस समय प्रधान मंत्री थे पं०जवाहर लाल नेहरू उनके चित्र लगे हुए हैं । मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर कुछ चित्रों की बढ़ोत्तरी हुई है । बढ़ने वाले चित्रों में लोक नायक जय प्रकाश जी का है यह बात समझ में आती है । यह बात भी समझ में आती है कि वहां पर डा० राम मनोहर लोहिया का चित्र है जो देश के समाजवादी नेता थे, आचार्य नरेन्द्र देव जी का चित्र भी है, गृहमंत्री भारत सरकार चौधरी चरण सिंह का भी चित्र है, गुरु नानक का भी चित्र है । लेकिन जहां मैंने भेदभाव की बात कही, यहां पर हरिजन समस्या के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री भी भेदभाव करते हैं वह इसलिए कि वहां पर कोई भी चित्र बाबू जगजीवन राम का या डा० भीम राव अम्बेदकर का नहीं है । तो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि माननीय समाज कल्याण मंत्री माननीय मुख्य मंत्री जी से कहें कि यह भेदभाव अच्छा नहीं है ।

अब जहां तक एक बात भाई गुलाब सेहरा जी ने कही कि आज प्रदेश में उच्च अधिकारियों के पदों पर हरिजनों का कोटा नहीं है जैसा कि कांग्रेस के जमाने में था । वह सन्, १९७४ में इसी ओर बैठते थे उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है कि ३० साल के शासन में १९७४ में जो उस समय मुख्य मंत्री थे श्री बहुगुणा जी, उनके जमाने में जिन उच्च पदों पर हरिजनों की नियुक्ति हुई थी उसमें कमी किसने की थी ? यह बात गुलाब सेहरा जी बतायें । उन्हें अच्छी तरह से मालूम है बहुगुणा जी जैसे ही मुख्य मंत्री पद से हटे उनके बाद जो दूसरे मुख्य मंत्री आये उन्होंने इस कोटे में कमी की या नहीं की ? आज जो फीगर उन्होंने दी है उनको जरा देखें कि मुख्य मंत्री बहुगुणा जी के हटने के बाद उस कोटे में कमी की गई या नहीं ? आज जनता पार्टी के शासन में हम आशा करते हैं कि उस कोटे में जो कमी आयी है उसे पूरा किया जायेगा ।

अब मैं उद्योगों के बारे में एक बात रखना चाहता हूं । यहां पर हरिजनों को अनेकों समस्यायें रखी गयी हैं । आज कोई भी ऐसी नगरपालिका या महापालिका नहीं है जो दुकानें नहीं बना रही है । उसकी बाद में नीलामी होती है और लेने वाला नीलाम से ले सकता है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उन दुकानों में हरिजनों का कोटा सुरक्षित रखा जाय अगर हरिजनों को उद्योग धंधों में बढ़ावा देना है । दस हजार या १५ हजार में या ८ हजार में दूकानें नीलाम होती हैं । एक हरिजन नीलामी के द्वारा लेगा तो उसके पास पूंजी की व्यवस्था नहीं होगी कि वह अपने उद्योग को शुरू कर सके। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इन दूकानों में हरिजनों का कोटा सुरक्षित रखा जाय जिससे वह अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें ।

एक बात जो यहां अत्याचारों की कही गई उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो बन्दूकों के लाइसेन्स दिये जाते हैं चाहे वह उच्च जाति के लोग ले या अकलियत

के लोग लें या हरिजन लोग लें या पिछड़ी जाति के लोग लें उससे यही मांग की जाती है कि बचत खाते में पैसा जमा किया जाय । अब बचत खाते में जो समृद्ध है, उच्च समाज का है, खाता-पीता किसान है या खाते-पीते अन्य परिवार का आदमी है, वह तो पैसा जमा कर देता है, लेकिन एक हरिजन बन्दूक लेने जाता है या मांग करता है तो उसे बचत खाते मे भी पैसा जमा करने की बात सामने आती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी गांव में कोई हरिजन बन्दूक लेना चाहे तो उसे दिया जाये । उस पर बचत खाते में रुपया जमा करने का बन्धन न लगाया जाए । यदि हर गांव में हरिजनों के पास बन्दूकें हो जाय, तो मेरा निश्चित मत है कि इससे भी उन पर होने वाले अत्याचार और अन्याय में कमी आयेगी । एक गांव में यदि ५ बन्दूकें सवर्णों के पास हैं तो हरिजनों के १०० घर पर उनके पास दो भी बन्दूकें हों तो मैं समझता हूं कि झगड़े की बात पैदा नहीं होती है । बहुत से लोग सोचेंगे कि मेरी बात गलत है, क्योंकि कुछ लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मैंने बात कही है, वह बहुत उचित है ।

एक बात मैं मंत्री जी से और कहना चाहता हूं कि अनुदान जो दिया जाता है, मैं अपने जिले की बात सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं, हरिजनों को जो पैसा वित्त निगम द्वारा दिया जाता है, उसमें १ हजार से लेकर ५ हजार तक का उनको अनुदान दिया जाता है, लेकिन यह अनुदान गरीब हरिजनों को नहीं मिलता है । मेरठ में ७ हरिजनों को पैसा मिला है, मैंने इसकी शिकायत वित्त निगम को भी की है कि जिन हरिजनों को पैसा दिया गया है अब की बार सन् १९७८ में, वह सब का सब, खाते पीते हरिजनों को दिया गया है, जब कि किसी गरीब आदमी को पैसा नहीं मिला है । मंत्री जी इन तमाम बातों को देखें कि जो भी पैसा दिया जाये, वह ऐसे गरीब हरिजनों को मिलना चाहिये जो अपने उद्योग धन्धे आगे बढ़ा सकें, न कि ऐसे हरिजनों को जिनके पास अच्छे मकान हैं और अच्छा कारोबार है । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मामले में मंत्री जी ध्यान दें और इस तरह की अनियमिताओं को वह रोकें ।

अपने साथी गुलाब सेहरा से, जिन्होंने भूमि की बात कही, एक निवेदन करना चाहता हूं, उसकी बात तो कही गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९७६ के अन्दर जब भूमि की बात रखी, उस समय अगर नसबन्दी का कोटा गोली चलवाकर पूरा किया जा सकता है तो इसमें भी वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई । क्या उस समय की सरकार उन्हीं के मामले को नहीं सुलझा सकती थी ? लेकिन नहीं सुलझाया गया और वह भी तब, जबकि हाई कोर्ट का फैसला आ गया था कि यह हरिजनों में भूमि बांट दी जाए । तो मेरे साथी इस बात पर विचार करें कि गलत तरीके की फीगर देने से कोई लाभ नहीं है । जो समस्यायें हरिजनों के उत्थान की हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाए, कैसे उनमें सुधार किया जाए, इसको देखा जाये । मुझे इस बात का खेद होता है कि आज जो अंसारी है, अविलयत में है, उनको ५ हार्सपावर की स्वीकृति है । जो अन्सारी भी चाहे, पांच हार्स पावर की बिजली ले सकता है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी हरिजन उद्योग धन्धा लगाना चाहे, जो भी हरिजन उद्योग धन्धे के लिए बिजली लेना चाहे उसको बगैर भेदभाव के पांच हार्स पावर की बिजली दी जाय । कम्पल्सरी उसको लागू कर दिया जाय जिससे हरिजनों को बिजली आसानी से मिल सके । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि जो

[श्री रेवती शरण मौर्य]

कारीगर जूता बनाने का काम करते हैं, जैसे आगरा, कानपुर, बरेली और दूसरे बहुत से शहर हैं, लखनऊ में भी काफी काम होता है, जो कारीगर जूता बना कर या चमड़े का और काम करके अपने कुनबा का पालन करते हैं, उन पर सेल्स टैक्स न लगाया जाय। इससे वह अपने उद्योग धन्धे को बढ़ा सकेंगे। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया।

*श्री बलदेव (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने समाज कल्याण बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया। यह बहुत पुरानी बात है जो हरिजन एवं समाज कल्याण के विषय में है। लेकिन आज तक यह कार्यान्वित नहीं हुई। केवल लिख देने की बात तो यह थी, और फन्ड देने की बात थी। लेकिन जहां तक कार्यान्वित करने का सवाल था, यह दिल और दिमाग दोनों में इस तरह की विकृति थी, कि कहने के लिए सारी बातें हो जायं लेकिन करने के लिए जमीन पर उसको उतारने की बात नहीं थी। इसलिये यह विषय गौण रह गया और सारी दौलत ऐसी जेबों में चली गयी जो पहले से सम्पन्न थे, जो पहले से सामाजिक मान्यता प्राप्त करने वाले थे, ऐसे ही लोगों को सुविधा मिली। मैं मंत्री महोदय से इस विषय पर चाहूंगा कि आज की स्थिति को बदलने के लिए यह समाज की कड़ी को बदलें जिस कड़ी की बदौलत समाज को सुविधाएं मिलन सम्भव है। जिलों में जहां तक देखा जाय हर समाज कल्याण में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके दिलो दिमाग में कतई समाज के विषय में सुविधा देने की बात नहीं है। जिस की वजह से आज भी समाज अछूता रह जाता है। बहुत दुहाई दी जाती है विपक्ष की तरफ से डाक्टर अम्बेदकर की। लेकिन उन के बनाये हुए संविधान को जहां तक लागू करने की बात है आप संस्कृत विद्यालय बनारस में जा कर देख लें आज भी वह स्थिति मौजूद है। जो पुरानी परम्परायें हैं, कतई नहीं गयीं। हमारे जगजीवन राम जी के मूर्ति स्थापित करने में जब मूर्ति अछूत हो जाती है, और समाज अछूत हो हो जाता है तो फिर चाहे जितना रोना रोया जाय लेकिन करने की बात नहीं है। तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जो भी धन है उसको ठीक प्रकार से उपयोग करने के लिए अपनी कड़ी को ठीक करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी समाज का उत्थान नहीं होगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष --

एक आध ब्राह्मण को भी बोल लेने दें।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपात काल में एक बीमारी चली थी, लेकिन वह बीमारी इस सरकार में भी कम नहीं हुई है। इस सरकार ने नवम्बर में एक विज्ञापन में ३ लाख ७५ हजार रुपया से अधिक खर्च किया। एक ओर तो विज्ञापन निकला और दूसरी ओर 'इन्डियन एक्सप्रेस' में एडीटोरियल में इस सरकार का मजाक उड़ाया गया कि यह तरीका क्या है। उस एडीटोरियल का प्रभाव अधिक पड़ा। मैं कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि ३ लाख ७५ हजार रुपया जो विज्ञापन में खर्च किया गया है उससे गरीबों के रहने लायक लगभग १०० मकान बन सकते थे। इससे सरकार की नीति का अधिक प्रचार हो गया होता बजाय इस तरह के।

मान्यवर, एक हरिजन एवं निर्बल आवास निगम की स्थापना की गयी है। इस निगम ने ३९० मकान बनाये और १९० मकान निर्माणाधीन हैं। आप अन्दाज लगायें कि अगर इसी तरह से काम होता रहेगा तो कब तक मकान बनाये जाते रहेंगे। निगम के पास एक करोड़ २० लाख रुपया है। इसके अतिरिक्त ३ करोड़ ६० लाख रुपया मकान बनवाने के लिए बैंकों से मिल सकता है। बैंकों की शर्तों से गरीबों को रुपया मिल नहीं पाता है। अगर आपका एक हजार रुपया मिलेगा तो ३ हजार रुपया बैंक से मिलेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो निगम की जिम्मेदारी लें कि जो बैंकों से कर्ज मिलना है वह कर्ज निगम ले और तब वह मकान बनवाने के लिए हरिजनों को और निर्बल वर्ग को कर्ज दे, तो इस प्रकार से एक साल में ९ हजार पांच सौ मकान बन जायेंगे। अभी ३९० मकान बन पाये हैं और १९० निर्माणाधीन हैं। इस निगम की जिम्मेदारी किसी सामाजिक कार्यकर्त्ता को दे दी जाये और उसको अध्यक्ष बना दिया जाये और उससे यह कहा जाये कि पूरा पैसा बैंक और निगम से लेकर ९५०० मकान बनवा दें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए एक आयोग गठित किया है। उसी तरह से यहां पर भी एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए और यह निगम हरिजनों की समस्याओं पर अपना सुझाव दे। इसी तरह से एक समिति का गठन होना चाहिए जिसमें आफीसियल्स और नान आफीसियल्स होने चाहिए और जो हरिजनों पर अत्याचार हों और उनकी शिक्षा की समस्या पर विचार करें।

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां दर्जा १० तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नहीं दी है। लेकिन १० वीं कक्षा के ऊपर विद्यार्थियों को वह मिलने लगती है। गरीब के बच्चे १० वी कक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्हीं लोगों के बच्चे १० वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं जो खाते पीते लोग हैं। वास्तविक आवश्यकता तो कक्षा १ से १० तक के बच्चों के लिए होती है। मेरा कहना यह है कि १० के बाद भले ही कुछ कम हो जाय, हालांकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन १० वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए जो कि अनुसूचित जाति के हों, वजीफा देने का प्रबन्ध इस सरकार को करना चाहिए।

मान्यवर, समाज में ये सबसे ज्यादा काम करने वाले होते हैं। यही वर्ग है जो बिना कमाये हुए नहीं खाता है। सबसे निकम्मा वर्ग तो ब्राह्मण का है जो बिल्कुल काम नहीं करता, मांग कर खाता है। यह काम करके नहीं खाता है। हरिजनों के ५-५, ६-६ साल के लड़के और लड़कियां काम करने लगते हैं जबकि ब्राह्मण कोई प्रोडकटिव लेबर तो करता ही नहीं है। बच्चे की नाल काटेगी जमादारिन और ब्राह्मण आ जायेगा दशौन पर पूजा करने के लिए। जब आदमी मर जायेगा, कफन के लिए चांडाल होगा साथ में नाई होगा १३ दिन बाद पंडित जी जायेंगे। माफ कीजिएगा कि मैं वर्ण व्यवस्था पर बोल रहा हूं। जो जाति सबसे निकम्मी है वह सबसे ऊंची बना दी गयी। उसके बाद लड़ने को ऊंचा करार दिया गया, जो व्यापार करता है, उसको उससे नीचे, लेकिन जो खेती करता है,

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

जनता को राहत देते हैं, जिन्दा रहने में और मरने में भी साथ देते हैं, उन सबको सबसे नीचे बना दिया गया है । हिन्दी लेखक बाल कृष्ण भट्ट का लेख याद आता है । किसी ने संस्कृत में कहा था कि भारत भूमि में देवता लोग ही जन्म लेना चाहते हैं । उन्होंने कहा कि यह लिखने वाला मिल जाता तो दो-तीन चपत लगाता कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों लिखी ? एक बार अम्बेदकर ने मजाक में कहा था कि जब बाल्मीकि रामायण लिखने की बात आई तो बाल्मीकि जी मिले और जब महाभारत लिखने की बात आयी तो व्यास जी मिले और जब संविधान लिखने की बात आयी तो अम्बेदकर मिले । तो मैं यह कह रहा था कि जिनको छात्रवृत्ति की आवश्यकता है उनको मिलनी चाहिए और उसका हर महीने भुगतान हो जाना चाहिए ।

मान्यवर, मुझे सूचना मिली है कि आपके सूचना विभाग में कोई शर्मा जी हैं, पर्वतीय । वे कई साल से यहां पर, लगभग २० सालों से, डिप्टी डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं । उन्होंने मकान बनवा लिए हैं । कम से कम सरकार को यह तो देखना चाहिए कि कैसे वे मकान बनवा रहे हैं । भाई-भतीजे वाद का जहां तक सम्बन्ध है यहां पर कोई घिल्डियाल हैं उन्होंने अपने भाई या भतीजे को मुरादाबाद में एपोइन्ट करा दिया है । तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ में हरिजन समाज कल्याण तथा सूचना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद समाप्त होगा । जब संशोधन कर्ता अपनी बात रख लेंगे तब मैं समाज कल्याण तथा सूचना मंत्री को समय दूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मेरे इस कटौती के प्रस्ताव पर इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के अपने-अपने जो विचार रखे उनमें एक रूपता और एक भाव थे । एक विशेष बात जो दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने यहां पर रखी वह यह थी कि हरिजनों की बड़ी गम्भीर समस्या है और उसका राजनीति से ऊपर उठकर इस सरकार को कुछ न कुछ ठोस और बुनियादी हल निकालने चाहिए ।

दूसरी बात । दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो कहा तो सूचना प्रचार मंत्रालय और हरिजन कल्याण मंत्रालय की कार्य-विधि और कार्य-प्रणाली से शायद ही कोई सदस्य संतुष्ट हो । मैं तो एक बात कहूंगा कि मंत्री जी जिन विभागों के मंत्री हैं उनके यहां "चिराग तले अन्धेरा है ।" यहां उनके लखनऊ में जितने भी अधिकारी हैं अध्यक्ष जी उनमें एक भी हरिजन नहीं । दूसरे ऐसा हांच-पांच सा है कि एक पोस्ट है सूचना और प्रचार विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर, फील्ड पब्लिसिटी । इनको एड-हाक रूप से बना दिया गया । क्लर्क से डायरेक्टर बन गये, फील्ड आफिसर बन गये । और इनके अंडर में दूसरे जो इनफार्मेशन अफसर हैं जिनका वेतनमान भी इनसे ऊपर है और जिनका एक्सपीरिएंस भी ज्यादा है लेकिन मालिक बना हुआ है वह क्लर्क "अंधेर नगरी चौपट राजा टका सेर भाजी, टका सेर खाजा ।" बड़े और नीचे के दोनों बराबर हो गये । जो क्लर्क हैं उनसे हुकूमत करायी जा रही है और जो २७-२७ वर्ष से इनफार्मेशन आफिसर हैं वह उनके नीचे कार्य कर रहे हैं जिनका कि वेतनमान भी उनसे ज्यादा है ।

एक कमेटी बनी थी उपेन्द्र बाजपेयी कमेटी सूचना और प्रचार के सम्बन्ध में और उसने कुछ सिफारिशें की थीं इस विभाग को पुनर्गठित करने के लिए लेकिन अपने भाषण में उसका कोई जिक्र नहीं किया मंत्री जी ने कि वे सिफारिशें लागू की जायंगी या नहीं ।

दूसरे ३७ जिलों में इनफार्मेशन आफिसर्स हैं, बाकी जिलों में नहीं हैं । एक-एक से दो-दो जिले दिखाये जा रहे हैं । परिणाम यह है कि न तो वह एक जिला देख पाते हैं तो दूसरे की कौन कहे ? तो मंत्री जी कम से कम अपने विभाग में जितने जिले हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन आफिसर और कर दें तो सूचना और प्रचार का कार्य अधिक सुचारु रूप से चल सकेगा ।

जनता पार्टी मितव्ययिता की बात करती है कि हम प्रचार और सूचना पर कम खर्च करते हैं । एक नयी बात बताता हूं । दिल्ली में एक प्रदर्शनी हुई एग्रीकल्चर की ३० वर्षों में कभी किसी अन्य प्रदेश में पंडाल पर इतना खर्च नहीं हुआ जितना इस प्रदर्शनी में हुआ । २६ लाख रुपया एक प्रदर्शनी पर खर्च किया गया । सब पुराने रिकार्ड्स तोड़ दिये और उधर मितव्ययिता की बात हो रही है और इतना ही रुपया, अहमदाबाद में एक और प्रदर्शनी होने जा रही है । वहां का प्रोपोजल जा चुका है पूरा इस्टीमेट बन चुका है । उत्तर प्रदेश का सूचना और प्रचार विभाग भी उस नुमाइश में भाग ले रहा है, यह सबसे बड़ी विडम्बना है । इन प्रदर्शनियों को गांव-गांव और छोटे-छोटे शहरों में भेजें जहां लोगों को कृषि के बारे में, उद्योगों के बारे में, प्रदेश की योजनाओं के बारे में पता चले । एक-एक प्रदर्शनी पर २६-२६ और ३०-३० लाख रुपया खर्च करना कहां की समझदारी है, यह समझ में नहीं आता ।

दूसरी बात । सूचना प्रचार विभाग में ऐसा एक सिफारिश का वातावरण, रिकमेंडेशन का, लगा हुआ है कि क्या कहा जाय । अभी हाल में इलाहाबाद और वाराणसी के लिए दो पोस्ट पी० आर० ओ० की एडवर्टाइज हुई थीं और १४ व्यक्ति डिपार्टमेन्ट से बुलाये गये । आप ताज्जुब करेंगे अध्यक्ष जी जिन का एक्सपीरिएंस ज्यादा था, शैक्षिक योग्यता भी ज्यादा थी, ऐसे व्यक्तियों को इस इंटरव्यू म बुलाया ही नहीं गया और मंत्री जी नौकरशाही के हाथ में खेल गये ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों ने आपके भाषण पर जो आलोचनायें की हैं, आप कृपया उन्हीं का उत्तर दें, नयी बात कृपया न कहें ।

श्री गुलाब सेहरा--

जिन लोगों ने सूचना विभाग की तारीफ की है, उन्हीं का उत्तर दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

लगता है आपको हरिजनों से दिलचस्पी नहीं है ।

श्री गुलाब सेहरा--

अब उसी पर आता हूं । मान्यवर, वित्त निगम की बड़ी तारीफ की गयी है । मगर किसी ने यह नहीं देखा कि उसकी पेड-अप कपिटल क्या है ? उसकी पेडअप कपिटल २५ लाख रुपये है । १० करोड़ की आबादी में दो पौने दो करोड़

[श्री गुलाब सेहरा]

की आबादी, २२ परसेन्ट आबादी, अनुसूचित जाति आदि की है। उसके लिये यह २५ लाख की रकम है। कहीं-कहीं तो पेडअप कैपिटल से अधिक एलाट कर दिया गया है।

अब संरक्षण का कोटा देखिये। सिंचाई विभाग में अभी १५ दिन पहले २३३ ओवरसियर्स की नियुक्ति की गयी है जिसमें हरिजन, अनुसूचित और अनुसूचित जन-जाति के केवल १४ व्यक्ति ही लिये गये हैं, यह क्यों ?

लेदर कारपोरेशन है, उसका डायरेक्टर उस व्यक्ति को बनाया गया है जो हरिजनों का सदा ही शोषण करता रहा है। जो आढ़तियों के एसोसियेशन का अध्यक्ष है, उसे डायरेक्टर बना दिया है। जो जूता, वह जूता बनाने वालों से ८ रुपये में खरीदता है, वह उसे २२ रुपये में रिटेल में बेचता है। नकद पैसा भी नहीं देता, ड्यू डेट का चेक काट देता है। तो हरिजनों का शोषण करने वाले व्यक्ति को लेदर कारपोरेशन का आपने डायरेक्टर बना दिया।

श्री अध्यक्ष--

आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गुलाब सेहरा--

एक मामला मैं सहारनपुर का बता रहा हूं जहां का हरिजन वेलफेयर आफिसर अपने दो चपरासियों से एक से माली का काम लेता है और दूसरे से रिक्शा चलवाता है। मेरे पास यह फोटो हैं, मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा एक कर्मचारी रिक्शा चला रहा है और उस रिक्शे पर उस हरिजन वेलफेयर आफिसर के बच्चे बैठे हैं। सबेरे वह उनको स्कूल पहुंचाने जाता है, शाम को उनको वापस लाता है।

दूसरा किस्सा है बरेली के जगजीवन नगर का, जिसे वहां के जिला प्रशासन ने बिलकुल उजाड़ दिया। २०० झोपड़ी वहां पर अनुसूचित जन-जाति वालों की थीं, उनको उजाड़ दिया गया। (व्यवधान) इसका भी यह फोटो है, मैं भेज दूंगा। आज यह तमाम लोग बेघरबार हो गये हैं, सर छुपाने की जगह नहीं रह गयी है। यह दोनों चीजें, जो हरिजन उत्पीड़न से सम्बन्धित हैं, उसे मैं रोज रखता हूं। बस यही बात मुझे कहनी है।

*श्री राम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आज इस अनुदान के ऊपर जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और उन विचारों के बीच में कुछ बहुत अच्छे सुझाव भी, जिससे मुझे थोड़ा निर्देश लेने में सहायता होगी, दिये हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। सूचना विभाग से सम्बन्धित आमतौर से तीन बातों की चर्चा अभी यहां माननीय सदस्यों ने की है। एक तो माननीय सेहरा जी ने अपने पहले के भाषण में यह आरोप लगाया कि समाचार-पत्रों के ऊपर सरकारी नियन्त्रण आज भी ज्यों का त्यों है और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय होता है, कोई मैंने ऐसे निर्देश दिये हैं कि उनको प्रकाशित न किया जाय, समाचार-पत्रों को इस प्रकार निर्देश दिया ही नहीं जा सकता। आज की तारीख में समाचार-पत्र बिलकुल स्वतन्त्र हैं। जिस समाचार को वह उपयुक्त समझते हैं उसको छापते हैं जिसको ठीक नहीं समझते जिसका जितना महत्व है, उस हिसाब से वह उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छापते हैं। इस बात की सभी को जानकारी है कि अगर समाचार-पत्र स्वतन्त्र न होते तो हरिजनों से सम्बन्धित घटनाओं को किसके द्वारा प्रकाश में लाया जाता। आज हम रोज देखते हैं जब कोई समाचार छपता है तो वह समाचार-पत्रों के माध्यम से हम लोगों के पास पहुंचता है। तो यह बात बिलकुल निराधार है कि ऐसा कोई निर्देश हमने दिये हैं या जो उत्पीड़न के मामले हैं उनको प्रकाश में न लाया जाय।

सूचना विभाग के अन्तर्गत कोई भी अनुसूचित जाति का अधिकारी नहीं है, इस बात को कहा गया। मैं उस बात के आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं कि सूचना विभाग में भी अन्य विभागों की तरह से वहां कर्मचारी काम करते हैं, अब पिछड़ी जाति के अधिकारी वहां पर क्यों नहीं हैं, मुझसे अधिक जानकारी तो माननीय सेहरा जी को है। क्योंकि वह जिनके उत्तराधिकार पर यहां पर बैठे हैं वह सूचना विभाग के मंत्री पहले रह चुके हैं, मुझसे बेहतर वह इसको जानते हैं कि सूचना विभाग के अन्तर्गत किस तरह से अधिकारी लाये गये, किस तरह से उनकी नियुक्तियां हुई, क्यों आज वे अस्थायी रूप से काम रहे हैं, वे पब्लिक सर्विस कमीशन से क्यों एप्रूव नहीं हो पाये, इसके बारे में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में सेहरा जी अधिक जानते हैं। अगर मेरे शासन काल के दौरान अगर कोई ऐसी नियुक्तियां हुई हों, जिसमें आरक्षण की बात न हो, तो मैं उस पर विचार करूंगा और भविष्य में यथा-सम्भव प्रयास किया जायगा कि आरक्षण का ध्यान रखा जाय।

हमारे आरिफ मोहम्मद साहब ने विज्ञापन के सम्बन्ध में कहा। उनको और हमको भी जानकारी है कि विज्ञापन किसी कारण से बन्द किया गया। जो नीति सम्बन्धी मामला था, उस समाचार से सम्बन्धित जो समाचार प्रकाशित हुआ, उनको भी देखने का हमें मौका मिला है, हो सकता है कि उनकी शिकायत जायज हो या उन्हें महसूस हुआ हो या वह किसी द्वेष या व्यक्तिगत रंजिश के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरे विचार से ऐसा नहीं हुआ है। इस देश के पांच वरिष्ठ पत्रिकाओं को विज्ञापन भेज देंगे और यदि यह साबित हुआ कि उनका विज्ञापन गलत प्रकाशित हुआ तो मैं निश्चित उनको विज्ञापन देना बन्द कर दूंगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नीति शासन की है, जो नियमावली है अगर उसका उल्लंघन समाचार-पत्र करें तो शासन मजबूर है, वह उस पर कार्यवाही करेगा। क्योंकि उसमें निश्चित बात है कि इस-इस तरह के समाचार प्रकाशित नहीं होने चाहिये जिससे द्वेष और साम्प्रदायिक भावना भड़के अगर यह सब बातें संतोषजनक नहीं हैं तो शासन ने उनके मुताबिक कार्यवाही की है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस देश के ५ वरिष्ठ पत्रकारों को यह काम सुपुर्द कर दूंगा और अगर उनकी राय हुई कि विज्ञापन देना गलत तरीके से बन्द किया गया है तो मैं खोल दूंगा।

इसके बाद सूचना विभाग से सम्बन्धित जो छोटे-मोटे प्रश्न उपस्थित किये गये हैं उनमें विस्तार में जाकर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन दो बातें जो विशेष रूप से कहीं गयीं हैं छोटे और मध्यम पत्रकारों के सम्बन्ध में। इन पत्रों को सम्पन्न और सुदृढ़ करने की नीति सरकार की है और हमारी कोशिश रहेगी कि जो समाचार-पत्र स्वच्छ परम्पराओं के साथ चलते हैं और किन्हीं कारणों से उनके साथ भेदभाव होता है तो इस भेद-भाव को मिटाने की कोशिश की जायगी और इनको सम्पन्न करने का प्रयास किया जायगा। पत्रकारों और

[श्री राम सिंह--]

संवादादताओं के सम्बन्ध में कुछ बातों का जिक्र किया गया कि इनको कुछ सुविधायें दी जायं। कुछ सुविधायें हम दे रहे हैं इसके अतिरिक्त और जो कुछ सुविधायें देने की आवश्यकता होगी और शासन की वित्तीय स्थिति के मुताबिक यह सुविधायें होगी तो हम अवश्य देने पर विचार करेंगे। यहां पर बाजपेयी कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा की गयी है। मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है। उस रिपोर्ट में विशेष रूप से इस विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की बात की गयी है और भी बहुत सी संस्तुतियां की गयी हैं लेकिन विशेष बल प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में दिया गया है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रदेश के अन्दर केवल ३७ सूचना अधिकारी हैं तो वह सही बात है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो दो जिलों का काम देखते हैं। तो सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि इस विभाग को सुदृढ़ किया जाय। इस विभाग का दुर्भाग्य यह रहा कि इसको कई झटके खाने पड़े। एक बार तो ऐसी स्थिति हुई, मुझे याद है, कि लगता था शायद समाप्त हो जायगा। परिवार कल्याण के काम की जिम्मेदारी भी इस विभाग को सौंपी गयी थी। तो जिस तरह से इस विभाग की तरफ तवज्जह होनी चाहिये थी, पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं दी। जब यह सरकार आई, मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि हम इस विभाग को सुदृढ़ और सुगठित करने का विचार रखते हैं।

इसके साथ ही साथ हरिजन विभाग से सम्बन्धित बातें कही गयीं हैं। उसमें भी मैं यदि विस्तार से जाऊंगा तो बहुत समय की आवश्यकता होगी। तो इसमें मुख्य रूप से २ बातों की चर्चा की गयी। आरक्षण के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे। जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात् हमने २, ३ तरह के आरक्षण की व्यवस्था की है। जो कांग्रेस की रेजीम में नहीं की गयी थी। मान्यवर, हाउसिंग के बारे में, प्लाट और दुकान और मकान चाहे वह हाउसिंग बोर्ड की तरफ से निर्मित हों, चाहे सरकारी मकान या दुकानें हों इनमें आरक्षण की व्यवस्था पहले नहीं थी। तो इन सबमें इन वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था हमने की है। इसी तरह से जो गैर सरकारी संस्थायें थीं उनके अन्दर आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने इन गैर सरकारी संस्थाओं में इनके आरक्षण की व्यवस्था की है। इसी तरह से जो शैक्षिक संस्थायें हैं, जो सरकारी अनुदान प्राप्त कर चलती हैं उनके स्टाफ में विशेषरूप से अध्यापक वर्ग में इनके आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी थी। सैद्धांतिक रूप से हमने स्वीकार कर लिया है और शासन से इस बात के आदेश प्रसारित हो जायेंगे कि शैक्षिक संस्थाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था हो। लगभग इसमें ८० हजार अध्यापक हैं और यदि सभी कर्मचारियों को जोड़ दिया जाय तो लाखों की संख्या में कर्मचारी आते हैं।

इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि उन संस्थाओं के अन्दर अनुसूचित और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को आरक्षण दें।

मान्यवर, अभी सेहरा जी ने आरक्षण के सम्बन्ध में जो आंकड़े पढ़े थे उससे मालूम होता है कि वह अपने किये गये कामों के आंकड़े पढ़ रहे थे। जो हमने एक वर्ष में उपलब्धि हासिल की है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि सेहरा जी कह रहे थे कि इस प्रदेश के अन्दर पहली श्रेणी में ३.१ प्रतिशत का आरक्षण हुआ। तो मान्यवर, ३.१ का आरक्षण उस समय

था जब मान्यवर, आप सरकार में थे हमारी सरकार में श्रेणी १ में ४.१ प्रतिशत आरक्षण हुआ है। दूसरी श्रेणी में आपकी जब सरकार थी तो ३.६ प्रतिशत था, हमारी सरकार में भी उतना ही है। श्रेणी-३ में आपके समय में ८ प्रतिशत का आरक्षण था लेकिन अब ८.४ प्रतिशत हुआ है। श्रेणी-४ के अन्दर आपके समय में १२.७५ प्रतिशत था आज वह आरक्षण १६.४ प्रतिशत है। यानि श्रेणी-४ में ४ प्रतिशत से ज्यादा एक वर्ष में बढ़ा है। टोटल आरक्षण पूरे प्रदेश में २.३ प्रतिशत बढ़ा है। इसलिये माननीय सेहरा जी ने जो फीगर्स पढ़ी थी वह पिछले वर्ष की किताब से पढ़ी थी इस वर्ष की किताब से नहीं पढ़ी थी। चूंकि इसमें वह आंकड़े हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, साढ़े १० बजे किताब मिली है तो हम उसको कब पढ़ते।

श्री अध्यक्ष --

मैं सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा रहा हूं।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय श्री सेहरा जी ने कहा कि पिछड़ी जातियों का आरक्षण जो किया गया या जो शैक्षिक सुविधायें दी हैं उससे उनको तकलीफ है। तो उनको उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिये। हमने उनकी तादाद बढ़ाने की कोशिश की है। आरक्षण जो १८ प्रतिशत आबादी से था तो उनके मुताबिक पूरी पापूलेशन को मान लें तो २२ फीसदी था जिसको हमने ६० प्रतिशत पहुंचा दिया। मान्यवर, तीन बिरादरियां हैं बैकवर्ड में जिनके खिलाफ कहा जाता है कि सारी सुविधायें उनको मिलेगी। अनुसूचित जाति और जन जाति के आरक्षण की जब बात चलती है तो कभी-कभी जब हम सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं आप लोग भी जब शामिल होते हैं तो प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जिन जिलों में प्रभावशाली जो जातियां हैं आरक्षण का लाभ वह उठा लेती हैं उसको दूर करने के लिये हमने दो काम किये हैं। पहले हम आर्थिक सुविधायें अनुसूचित जाति को देते हैं जैसे हमने वाल्मिकी बच्चों के लिये कम्पलसरी किया कि उन्हें किसी संस्तुति की आवश्यकता नहीं है। दसवीं कक्षा से चूंकि सीमित सुविधायें हैं इसलिये हमने तय किया कि जिसके प्रार्थना-पत्र शासन में आयेंगे उनको हम देंगे और संस्तुति की जरूरत नहीं है। मान्यवर, तीन जातियां बता रहे थे तो दूसरी में लिस्ट को यदि पढ़ें तो इसमें हमें गरीब इतने हैं जो कि पिछड़ी जातियों से कम नहीं हैं। उनको सुविधा दी है। इससे सेहरा जी को प्रसन्नता होनी चाहिये थी कि गरीब लोगों के लिये कुछ किया है। गरीब सूची में यह जातियां हैं जैसे बंजारा, बढ़ई, भोटिया, भुर्जी, दर्जी, गोसाई, हलवाई आदि ५८ जातियां हैं जिसमें हिन्दू और मुसलमान भी हैं। इसको देखें तो उनकी स्थिति किसी सूरत में अनुसूचित जातियों से बेहतर नहीं है।

जिसकी वजह से यह सफलता हुई है। एक बात मान्यवर, निगमों के सम्बन्ध में कही गयी। इस विभाग से सम्बन्धित चार-पांच निगम हैं जिस समय निगमों की स्थापना की गयी थी पिछले सरकार के शासन में उस समय प्रत्येक जिले से इस बात की शिकायत आती थी कि जो अनुदान अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए दिया जाता है वह

[श्री राम सिंह--]

सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता बल्कि वहां के कर्मचारी और अन्य व्यक्ति मिल करके यह सब बांट कर खा जाते हैं और सही तरीके से उनको रोजगार नहीं मिल पाता । जिस समय इन निगमों की स्थापना की गयी मुझे लगता है कुछ जल्दी इसमें की गयी । यह सारा काम एक निगम के सुपुर्द किया जा सकता था क्योंकि हाउसिंग के लिए अलग निगम, इकानामिक डेवलेपमेंट के लिए अलग निगम, विमुक्त जातियों के लिए अलग निगम, तराई के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए अलग निगम । तो इस प्रकार पांच निगमों की स्थापना हुई । अगर एक निगम के माध्यम से यह कार्य होता तो निगम के कार्य में सुविधा हो सकती थी । इसके दो कारण हैं । एक तो निगम जितना पैसा इकट्ठा करता उस पैसे को निश्चित रूप से अच्छे काम में लगाया जा सकता और दूसरा यह कि इन निगमों के मंडलीय स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित करने के लिए या अपने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करने के लिए इन्हें साधन उपलब्ध हो सकते थे । यह बात हमारे समाने है और शासन के विचाराधीन है । पांच साल के बीच में इन निगमों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है शासन इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि पांच निगमों को एक करके इनको प्रापर स्टाफ दिया जाय ताकि मंडलीय और जिला स्तर पर इनका काम सुचारु रूप से चल सके और काम में सुविधा हो सके ।

पीने के पानी के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने कहा और इस बात की शिकायत की कि मुनासिब तरीके से हरिजन बस्तियों में कुओं का निर्माण नहीं होता । यह बात किसी हद तक सही हो सकती है लेकिन मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी की स्कीम सन् ७४ तक इस विभाग द्वारा संचालित होती थी और बड़ी सफलता से यह स्कीम चली लेकिन सन् ७४ के बाद न जाने किन कारणों से इसे ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित किया गया । हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है । यह बात शासन के विचाधीन है कि सन् ७४ में जो स्थिति थी कुंओं को बनाने की उसे दुबारा लौटाया जाय तो शायद पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से हम कर सकें ।

इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें यहां पर कही गयी । एक बात यह कही गयी । माननीय सेहरा साहब ने कही कि पहली सरकार ने बहुत कुछ काम किया था और इस बीच में काम कुछ नहीं हुआ है अनुसूचित जाति के लिए । उसके लिए मिसाल में माननीय सदन के सामने रखता हूं । पन्डित जवाहर लाल नेहरू जब तक देश के प्रधान मन्त्री रहे उत्तर प्रदेश के अन्दर अनुसूचित जाति पर ७७ पैसे प्रति व्यक्ति खर्च होते रहे और जब इंदिरा गांधी शासन करके गयी तो उस वक्त इन जातियों पर ४४ पैसे प्रति व्यक्ति खर्च होता रहा । अब आप देख लीजिए । ग्यारह वर्ष के दौरान टेलीविजन पर, रेडियो पर, समाचार-पत्रों में साफ इस बात की प्रशंसा की गई इस बात की बड़ी गाथा गायी गयी कि हरिजनों के लिए हमने बहुत कुछ किया है । दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं । केन्द्र सरकार ने व्यवस्था की कि अगर हरिजनों से सम्बन्धित सारा काम हरिजन विभाग ही करता रहेगा तो हरिजनों का कल्याण सम्भव नहीं है । इसलिए २० प्रतिशत सभी विभागों को हरिजन सम्बन्धित स्कीमों पर खर्च करना चाहिये । पिछले वर्ष की प्रगति रिपोर्ट हमने देखी केवल ०.०७ प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है हरिजनों के लिए । ये दो कारण हैं । इसलिए इस बात की जिक्र करते हैं कि पिछले वर्षों में हरिजनों के लिए बहुत काम किये । बजट में हमने इस साल ९ करोड़ रुपये से अधिक इन जन जातियों, इन वर्गों के लिए रखा है । हालांकि यह संतोषजनक नहीं है लेकिन फिर भी इससे बहुत कल्याण इन लोगों का होगा ।

इसके साथ ही दो तीन बातों का जिक्र किया गया उस सम्बन्ध में भी मैं सही स्थिति सदन के सामने रख देना चाहता हूं। भूमि के सम्बन्ध में बहुत शिकायतें की गयी। मैं मानता हूं कि भूमि का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है लेकिन मेरे विभाग की बहस के दौरान ये बातें कही गयी। हमने इतना बड़ा काम हरिजनों के लिये किया है जो बीस साल पहले होना चाहिये था। हमन एक अधिनियम बनाया है, अध्यादेश पहले ही जारी कर दिया था, किसी भूमिहीन व्यक्ति को जमीन पर कब्जा उसको नहीं मिलता है तो जिसका उस भूमि पर नाजायज कब्जा होगा उसको तीन वर्ष की सजा दी जा सकती है। यह इसलिये किया क्योंकि हरिजनों के पास इतना धन नहीं है, साधन नहीं हैं कि वे मुकदमा लड़ सकें। इस अधिनियम के बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ही यह है कि जो जमीन हरिजनों को दी गयी वह उनको मिले, केवल कागज पर ही न रह जाय। पिछली सरकार के समय में जो पट्टे हुए हैं वे कागज पर ही सीमित थे, वास्तविक कब्जे नहीं दिये गये थे उनको वास्तविक रूप से कब्जा दिलाने की हमने कोशिश की है।

जहां तक हरिजनों के उत्पीड़न का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में दो तीन बातें कही गयी और वह यह कि ५ हजार से ५०० रुपये तक क्षतिपूर्ति के लिये अनुदान जो दिया जाता है वह मजाक मात्र है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस घर का आदमी मर गया तो अगर हम उसकी कुछ आर्थिक स्थिति भी न सुधार सकें, इमदाद न कर सकें तो यह मुनासिब नहीं होगा। उसको दृष्टि में रखते हुए हमने यह योजना संचालित की है कि राज्य सरकार अगर कोई अत्याचार की घटना होती है तो, ५ हजार रु० से लेकर ५०० रुपये तक क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान के रूप में देगी। इसको लागू करने के लिये केन्द्र ने नागरिक अधिकार नियम भी पारित किया है उसके पालन हेतु हमने यह कदम उठाया है कि इस सम्बन्ध में हरिजन समितियां, निर्मित की जायं और उस सम्बन्ध में ऐक्शन हो और अगर ऐक्शन नहीं होगा तो जो जिम्मेदार अधिकारी होगा उसके खिलाफ ऐक्शन होगा। इस तरह से एट्रोसिटीज के बारे में यह सरकार जागरूक है। कई स्कीमें संचालित की गयी हैं। उनमें एक यह है कि पहले हमारे प्रदेश में पी० सी० एस० की कोचिंग के लिये दो सेन्टर थे, अब जुडीशियरी के लिये भी एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की है। प्रि-इंजीनियरिंग कोचिंग के लिये एक सेन्टर स्थापित करने का प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री को ५ बज कर २ मिनट पर समाप्त करना है।

श्री राम सिंह—

मैं समाप्त किये देता हूं। जो स्कीम्स हमने सदन के सामन विभाग के अन्तर्गत रखी हैं उनसे रोजगार मिलेगा, लोग रिहैबिलिटेट होंगे और ९ महीन के दौरान हमने बहुत से कदम उठाय हैं जिनसे यह विभाग हरिजन व कमजोर वर्ग को आश्वस्त कर सकेगा कि वास्तव में हम उनको सहायता देना चाहते हैं, सम्पन्न करना चाहते हैं तथा शिक्षित करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सेहरा जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और इस अनुदान को पास होने देंगे।

श्री गुलाब सेहरा--

जो प्रश्न मैंने उठाये थे उनका कोई हल नहीं बतलाया गया । आत्म संतुष्टि जरूर प्रदर्शित की गयी । इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७ सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७--सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२२,३३,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,१३,७४,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं उसमें मैंने श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा प्रस्तुत और उसी के साथ श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी की सूचना को स्वीकार किया है । वह इस प्रकार है "ननी टेलीफोन इन्डस्ट्री, इलाहाबाद में दिनांक १८ अप्रैल, १९७८ को मजदूरों द्वारा अतिरिक्त महा प्रबन्धक का घेराव एवं पथराव तथा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के कारण ६० व्यक्तियों का घायल होना" ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मेरा भी था ।

श्री अध्यक्ष--

आपका नहीं स्वीकार किया वह तो कामरोको प्रस्ताव था आपका । माननीय श्रम मन्त्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

श्री राम सिंह--

माननीय, सोमवार को दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

१९ अप्रैल, १९७८

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

अध्यक्ष प्रदत्त प्रति

मेरा पुस्तकालय सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२४ पर]

सर्वेक्षण रिपोर्ट

१—बालिकाओं के लिए जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता

	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	जन संख्या	ग्राम का वर्तमान विद्यालय	नवीन विद्यालय की संभावना
	विकास खंड बड़ा गांव	१ बाबूपुर	२२४१	प्राइमरी पाठशाला बालक, जूनियर हाई स्कूल बालक	बालिक जूनियर हाई स्कूल
		२ ताड़ी	७६३	प्राइमरी पाठशाला बालक, प्राइमरी पाठशाला बालिका	जूनियर हाई स्कूल
	विकास खण्ड पिण्डरा	१ रसूलपुर	१६९४	प्राइमरी पाठशाला बालक, जूनियर हाई स्कूल बालक	बालिका जूनियर हाई स्कूल
		२ हिरायनपुर	१२७८	प्राइमरी पाठशाला बालक/प्राइमरी पाठशाला बालिका, जूनियर हाई स्कूल बालक	जूनियर हाई स्कूल
बालक		३ गरथना	९९८	प्राइमरी पाठशाला बालक, जूनियर हाई स्कूल बालक	बालिका जूनियर हाई स्कूल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२—बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता

	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	जन संख्या	ग्राम का वर्तमान विद्यालय	संभावनायें
विकास खंड बड़ा गांव	१	अनेई ..	११५०	प्राइमरी पाठशाला बालक, जूनियर हाई स्कूल बालक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक, बालिका क्रमोत्तर विद्यालय	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।
	२	बड़ा गांव ..	४७६९	प्राइमरी पाठशाला बालक, प्राइमरी पाठशाला बालिका, जूनियर हाई स्कूल बालक, जूनियर हाई स्कूल बालिका, इण्टर कालेज, बालक	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।
	३	कठिरांव ..	४५३५	प्राइमरी पाठशाला बालक, प्राइमरी पाठशाला बालिका इण्टर कालेज बालक	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।
विकास खंड पिंडरा	१	मंगारी ..	१७५९	प्राइमरी पाठशाला बालक, प्राइमरी पाठशाला बालिका, जूनियर हाई स्कूल बालक इण्टर कालेज बालक	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।
	२	पिंडरा ..	६४१२	प्राइमरी पाठशाला बालक, प्राइमरी पाठशाला बालिका, जूनियर हाई स्कूल बालिका, इण्टर कालेज बालक	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।
	३	सिन्धौरा ..	२८९०	प्राइमरी पाठशाला बालक, प्राइमरी पाठशाला बालिका, जूनियर हाई स्कूल बालक, क्रमोत्तर विद्यालय बालिका, इण्टर कालेज, सिन्धौरा (बालक)	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।

नवीन विद्यालय खोलने के निमित्त विभागीय आदेश निर्गत होने पर बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल खोले जा सकते हैं । जहां तक बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रश्न है, वे संस्थायें व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों तथा जिला परिषद् द्वारा संचालित की जा सकती हैं । जिला परिषद् द्वारा कतिपय बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें पिण्डरा तथा मंगारी ग्राम भी सम्मिलित हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३—उर्दू शिक्षा की व्यवस्था—

वर्तमान समय में यदि पूरे स्कूल में ४० तथा किसी एक कक्षा में १० छात्र उर्दू पढ़ने के इच्छुक हों तो उर्दू शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राइमरी स्कूलों के लिए उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है। विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर उर्दू अध्यापक ग्रामीण प्राइमरी स्कूल में नियुक्त किये जा सकते हैं। पिण्डरा विकास खण्ड के पिण्डरा थाने रामपुर, सिन्धौरा, गढ़खड़ा, सराय शेख लाड, शारीसंभार हिरामनपुर, नदाय तथा ऊदपुर में स्थित प्राइमरी स्कूलों के उर्दू मातृभाषा वाले छात्र नहीं है किन्तु इन स्थानों पर मुस्लिम जन संख्या होने के कारण उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था होने पर उर्दू पढ़ने वाले छात्र मिल सकते हैं।

बड़ा गांव विकास खण्ड के ग्राम बादूपुर, कूड़ी, नेवादा तथा बड़ा गांव में मकतब चल रहे हैं, जहां उर्दू की शिक्षा दी जाती है। विभागीय प्राविधान होने पर बादूपुर, कूड़ी, नेवादा बड़ा गांव, कुवार तथा कठिरांव में स्थित प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापक रखे जा सकते हैं।

पिण्डरा ब्लाक ४—प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता—

	१—मरुड़	२८३६	प्राइमरी विद्यालय की आवश्यकता है।
	२—शाहपुर गिरधालपुर	१०६७	तदेव
	३—अजईपुर	५३८	कन्या प्राइमरी स्कूल।
	४—जयापुर	५४८	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	५—रामनगर	७८५	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	६—असवालपुर	६७०	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
बड़ा गांव ब्लाक	१—कुसुमरा	८४०	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	२—लखनीपुर	१२९३	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	३—धनन्जयपुर	८९५	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	४—सिसवा	९४४	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	५—पचरासी	६७९	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	६—कविरामपुर	८३२	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	७—फतेपुर	८५७	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।
	८—भरथरा	३८७	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।

नवीन विद्यालय खोलने के लिए विभागीय आदेश प्राप्त होने पर इन स्थानों पर नवीन प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२८ पर)

क्रम-संख्या	खण्ड का नाम	रिक्त पदों की संख्या	१ दिसम्बर, १९७७ को इन पदों को न भरे जाने का कारण	पदों के रिक्त रहने की अवधि
१	२	३	४	५
		गढ़वाल मण्डल		
		(१) सिविल		
१	प्रान्तीय खण्ड, उत्तर काशी ..	..	२ कार्य क्षेत्र सीमित होने के कारण २ प्रवर अभियन्ताओं की आवश्यकता नहीं है	४/७७ से अब तक
२	प्रान्तीय खण्ड, भटवारी ..	..	४ कार्यभार कम होने के कारण ..	४/७७ से अब तक
३	अस्थाई खण्ड, सैंया ..	..	४ कार्यभार कम होने के कारण ..	७/७७ से १२/७७ तक
४	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन ..	..	१ कार्यभार कम होने के कारण ..	११/७७ से १२/७७
५	अस्थायी खण्ड, श्रीनगर ..	..	४ कार्यभार कम होने के कारण ..	५/७७ से १२/७७
६	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर ..	..	२ कार्यभार कम होने के कारण ..	११/७७ से अब तक
७	अस्थाई खण्ड, पीपल कोठी ..	..	४ कार्यभार कम होने के कारण ..	१२/७७ से अब तक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(२) वि०/या०

१	प्रान्तीय खण्ड, भटवारी	..	..	२	कार्यभार कम होने के कारण	..	प्रारम्भ से
२	अस्थायी खण्ड, थटूर	..	..	५	कार्यभार कम होने के कारण	..	१-४-७७ से
३	अस्थायी खण्ड, नरेन्द्र नगर	..	..	१	कार्यभार कम होने के कारण	..	प्रारम्भ से
४	अस्थायी खण्ड, दुगड्डा	..	..	५	कार्यभार कम होने के कारण	..	प्रारम्भ से
५	अस्थायी खण्ड, पेखरी	..	..	५	कार्यभार कम होने के कारण	..	प्रारम्भ से
६	अस्थायी खण्ड, (वि०/या०) टनकपुर		..	४	कार्यभार कम होने के कारण	..	२१-९-७७ से
७	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन	..	..	१	कार्यभार कम होने के कारण	..	प्रारम्भ से

(३) प्राविधिक

१	अस्थायी खण्ड, बड़कोट	..	..	१	अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी		प्रारम्भ से
२	२४वां बृत्त, देहरादून	..	..	१	अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी		२ वर्ष से अधिक
३	अस्थायी खण्ड, देहरादून	..	..	१	अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी		प्रारम्भ से
४	३६वां बृत्त, गढ़वाल	..	..	१	अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी		२ वर्ष से अधिक
५	अस्थायी खण्ड, पौड़ी	..	..	२	अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी		प्रारम्भ से
६	प्रान्तीय खण्ड, कर्ण प्रयाग	..	..	१	कार्यभार न गृहण करने के कारण	..	एक वर्ष से

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२		३		४
	७ प्रान्तीय खण्ड, रुद्र प्रयाग	..	१ अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी	..	एक वर्ष से
५३	८ अस्थायी खण्ड, पोखरी	..	१ अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी	..	एक वर्ष से
			कुमाऊं मण्डल		
			(१) सिविल		
	१ अस्थायी खण्ड, खटीमा	..	४ कार्यभार कम होने के कारण	..	७/७६ से १२/७७
	२ प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़	..	२ कार्यभार कम होने के कारण	..	९/७७ से १२/७७
			(२) वि/था		
काशीपुर	१ अस्थायी खण्ड, पिथौरागढ़	..	१ कार्यभार कम होने के कारण	..	प्रारम्भ से
	२ अस्थायी खण्ड, रामनगर	..	१ कार्यभार कम होने के कारण	..	प्रारम्भ से
	३ अस्थायी खण्ड, घटीमा	..	१ कायभार कम होने के कारण	..	प्रारम्भ से
	४ निर्माण खण्ड, बागेश्वर	..	१ कार्यभार कम होने के कारण	..	प्रारम्भ से
			(३) प्राविधिक		
	१ १२वां वृत्त, पिथौरागढ़	..	१ अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी		२ वर्ष से
	२ अस्थायी खण्ड, अस्कोट	..	१ अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी		प्रारम्भ से
	३ अस्थायी खण्ड, नैनीताल	..	१ अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी		प्रारम्भ से
१४	४ ४३वां वृत्त, अल्मोड़ा	..	१ अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी		२ वर्ष से अधिक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३९ पर)

क्रम सं०	अध्यापिका का नाम	संस्था का नाम
१	कु० कृष्णा अवस्थी ..	राजकीय बालिका इंटर कालेज नौतनवां (गोरखपुर)
२	श्रीमती सरोज श्रीवास्तव ..	राजकीय बालिका इंटर कालेज, गोरखपुर।
३	श्रीमती राजपति पाण्डेय ..	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, नौतनवां (गोरखपुर)
४	श्रीमती प्रेम कौर सौढ़ी ..	राजकीय बालिका इंटर कालेज, नौतनवां (गोरखपुर)
५	कु० पुष्पलता अवसेना ..	राजकीय बालिका इंटर कालेज, नौतनवां (गोरखपुर)
६	श्रीमती विमला देवी वर्मा ..	राजकीय बालिका इंटर कालेज, नौतनवां (गोरखपुर)
७	श्रीमती माया देवी ..	राजकीय बालिका इंटर कालेज, नौतनवां (गोरखपुर)
८	श्रीमती आमना चौधरी ..	राजकीय बालिका इंटर कालेज, सरदार-नगर (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४६ पर)

माध्यमिक शिक्षक संघ की जो मांगें मान ली गई है उनकी सूची

(१) शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से न हटाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को संस्तुति भेजना ।

(२) मानक एवं समायोजन के नाम पर की जाने वाली छटनी को रोकना ।

(३) वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय समस्त अवशेषों का भुगतान किया जाना ।

(४) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत शिक्षकों के वेतन से की गई कटौतियों को नगद रूप से भुगतान किया जाना तथा योजना समाप्त किया जाना ।

(५) मनमाने ढंग से विद्यालयों को अल्प संख्यक घोषित करने की प्रक्रिया समाप्त किया जाना ।

(६) असाहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दो वर्ष के अन्दर निर्धारित अर्हतायें पूरा करने के प्रतिबन्ध के साथ मान्यता वर्ष के क्रमानुसार अनुदान सूची पर लाना ।

(७) मई, १९७२ के पश्चात् अनुदान सूची पर लाये गये विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन निर्धारण अन्य शिक्षकों की भांति सेवा काल के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धियों को सम्मिलित करके किया जाना ।

(८) दिनांक ३० जून, १९७४ से राजकीय कर्मचारियों के समान दर पर पेंशन देना और यदि कोई ५८ वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति होने का विकल्प दें तो उसे सेवा निवृत्ति अनुतोषित भी देना ।

(९) सी टी, एल० टी० और प्रवक्ता वेतनमानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सेलेक्शन ग्रेड देना ।

(१०) सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के ५ वर्ष का शैक्षिक अनुभव रखने वाले इण्टर बी० टी० सी० अध्यापकों को सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध जूनियर कक्षाओं के शिक्षकों को अनुमन्य वेतनमान देना ।

(११) बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों की भांति आवासीय, पर्वतीय, सीमान्त भत्ता देना ।

(१२) माध्यमिक शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियों की निःशुल्क शिक्षा हेतु निर्धारित ४५० रु० मासिक वेतन की वर्तमान सीमा को बढ़ा कर ५५० रुपये किया जाना ।

नत्थी (ङ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४८ पर)

शारदा सहायक खण्ड–४३

माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर, १९७७ में कुल ३ आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जिनमें से दो पर कुलावा लगाने हेतु तथा एक पत्र फर्जी पड़ताल दुरूस्त करने हेतु प्राप्त हुए । वांछित कुलावे का क्षेत्र नसेवी होने के कारण वहां कुलावा दिया जाना उचित नहीं है । फर्जी पड़ताल के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

शारदा सहायक खण्ड–२३–

जुलाई, अगस्त व सितम्बर, १९७७ में जनता द्वारा दो पत्र पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में एक पत्र कुलावे के सम्बन्ध में तथा १३ पत्र गलत पड़ताल के सम्बन्ध में प्राप्त हुए । दो प्रार्थना–पत्रों में ठेकमा राजवाहा के कि० मी० ३४–५०० एवं कि० मी० ३७–३०० पर कृषकों द्वारा पुलिया की मांग की गई । ठेकमा राजवाहा कि० मी० ३४–०४० पर पुलिया का निर्माण हो चुका है और कि० मी० ३४–५० पर कोई और पुलिया बनाने का प्रस्ताव नहीं है । कि० मी० ३७–३०० पर पक्का पुलिया बनाये जाने की मांग विचाराधीन है । कुलावे के सम्बन्ध में प्राप्त एक आवेदन–पत्र में दिये गये ग्रामों में कुलावों को यथा स्थान लगा दिया गया है । गलत पड़ताल ठीक कराने के सम्बन्ध में ८ प्रार्थनापत्रों पर अमलदरामद की कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित कृषकों को सूचित किया जा चुका है तथा शेष ५ आवेदन–पत्रों पर जांच की जा रही है ।

शारदा सहायक खण्ड–३२

३ प्रार्थनापत्र पुलिया से सम्बन्धित तथा एक प्रार्थना–पत्र फसली कुलावा लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए । वांछित पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है । और कुलावा लगाने की स्वीकृति दे दी गई है ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५२ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली, १९६५

भाग–६–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

१७–(१) मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में तथा अधीक्षक अभियन्ता के कार्यालय में आशुलेखकों की रिक्तियों को छोड़कर, उच्च श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान विभाग में प्रत्याशित मौलिक रिक्तियों तथा स्थानापन्न अथवा अस्थायी रिक्तियों में पदोन्नति द्वारा भरती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति निम्नलिखित रूप से गठित की जायगी ।

क––मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में भरती के लिये

(क) मुख्य अभियन्ता अथवा उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी ।

(ख) विभाग के दो अन्य अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न पद के न हों, मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

ख––अधीक्षक अभियन्ता के कार्यालयों में भर्ती के लिये

(क) सर्किल का अधीक्षक अभियन्ता अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी ।

(ख) विभाग के दो अन्य अधिकारी, जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न पद के न हों, अधीक्षक अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(२) यह समिति पदोन्नति के पात्र समस्त अभ्यर्थियों के उच्चतर पद के लिए, जिस पर पदोन्नति की जानी है उनकी उपयुक्तता पर निर्णय करने के उद्देश्य से सूची में उनके स्थान के प्रसंग में विचार करेगी । असामान्य प्रतिभा के आधार पर पदोन्नति के लि उसी समय किसी ऐसे अभ्यर्थी के, यदि ऐसे कोई अभ्यर्थी हों, उससे ज्येष्ठ सभी अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिका का परीक्षण करने के पश्चात् विचार किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की असामन्य प्रतिभा का निर्णय करने में उसी की समता, दक्षता, अग्रसरता (initiative), स्वष्टवादिता, सत्यनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करन के उसके प्रयत्नों को ध्यान में रखा जायगा । यदि समिति का यह समाधान हो जाय कि अभ्यर्थी असामान्य रूप से प्रतिभावान है और केवल योग्य (meritorious) ही नहीं है तो वह उसकी पदोन्नति के लिए सिफारिश कर सकती है ।

(३) चयन समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे और उस वर्ष के दौरान जब–जब और जैसे–जैसे रिक्तियां हों अभ्यर्थियों को उसी क्रम में मौलिक तथा/अथवा स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्त किया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि असामान्य रूप से प्रतिभावान अभ्यार्थी के मामले में ज्येष्ठता के क्रम के अनुसरण पर जोर न दिया जायगा और उसे ऐसी अन्तिम स्थायी या स्थानापन्न या अस्थायी रिक्ति में नियुक्ति किया जायगा जिसके लिए उसके नाम की सिफारिश की गई थी । यह सूची केवल एक वर्ष अथवा उस समय तक, जब कि आगामी चयन में समीक्षा की जाय, लागू रहेगी ।

(४) उस दशा में जबकि लगातार दो वर्षों तक रिक्तियां न हो और केवल स्थानापन्न अथवा अस्थायी रिक्तियों के लिये चयन करना आवश्यक हो जाय तो उपर्युक्त उपनियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा ।

मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में आशुलेखकों के पदों पर पदोन्नति—

१८-(१) मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में आशुलेखकों के पदों पर पदोन्नति प्रयोजनों के लिये सर्किल कार्यालयों में काम करने वाले आशुलेखकों को मुख्य अभियन्ता द्वारा संचालित की जाने वाली अर्हकारी परीक्षा में, ऐसे विषयों में, जो समय-समय पर निर्धारित किये जायं, बैठना पड़ेगा ।

टिप्पणी—अर्हकारी परीक्षा के विषय पाठ्य विवरण तथा नियम वहीं होंगे जो इस नियमावली के परिशिष्ठ 'च' में आशुलेखकों की सीधी भरती सम्बन्धी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित किये गये हैं, सिवाय इसके कि इस परीक्षा हिन्दी निबन्ध (essay and composition) तथा अंग्रेजी निबन्ध का कोई प्रश्न-पत्र नहीं होगा ।

(२) उन अभ्यर्थियों के नाम को उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनकी श्रेष्ठता के क्रम में रखें जायेंगे ।

पी० एस० यू० पी०—२३ वि० सभा—२१-७-७८-८४३ (पी० डी०) ।

उदय प्रकाश विधान सभा